राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आठवां दिवस [संख्या 4

बुधवार,

दिनांक 10 अक्टूबर, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[श्रम, सामान्य प्रशासन शिक्षा, अकाल सहायता, गृह, खाद्य, जन-स्वास्थ्य, कृषि, नियुक्ति, उद्योग, आबकारी, चुनाव, समाज कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न!

प्रश्न संख्या 77

श्री भंवरलाल भदादा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 78

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

राज्य के स्कूलों में पंजाबी भाषा के अध्यापक

79. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान के कितने स्कूलों में पंजाबी (गुरमुखी) चालु की जा चुकी है ? तथा कितने ऐसे स्कूल बाकी हैं जहां सिख अल्पमत के विद्यार्थी पंजावी पढ़ना चाहते हैं, मगर उन्हें आज तक पंजावी पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं दिये गये हैं ? यह प्रबन्ध सरकार कब तक करायेगी और आज तक न किये जाने का क्या कारण है ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : राजस्थान के 16 विद्यालयों में पंजाबी भाषा तृतीय भाषा के रूप में व गुरमुखी माध्यम से पढ़ाई जा रही है। विभाग के पास वर्तमान में ऐसी कोई मांग नहीं है जहां विद्यार्थी पंजाबी पढ़ना चाहते हैं। अतः पंजाबी पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं, अध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बिलकुल निराधार बात है। गंगानगर क्षेत्र में सारे बच्चे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं।

श्री जुझारसिंह : आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स देंगे तो अवश्य उस पर विचार किया जावेगा। उस प्रकार की हमारी नीति है कि जहां 40 बच्चे पंजाबी पढ़ने वाले हों तो हम वहां पर एक टीचर देंगे। गंगानगर में 1,251 बच्चों के लिए 12 टीचर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ऐसी हमारे पास कोई मांग नहीं है कि बच्चे पढ़ना चाहते हों और वहां पर टीचर न अवेलेबल कराया हो।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरे पास का क्षेत्र है वहां की डिमान्ड आयी, पदमपुरा की डिमान्ड आयी और बहुत से स्कूल हैं वहां पर आज तक टीचर्स नहीं दिये भविष्य में किनको लगाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मांग उनके पास भिजवा दीजिये।

श्री जुझारसिंह : डिपार्टमेन्ट की जो नीति है वह मैंने बतायी। आपकी ओर से हमारे पास तो कोई डिमान्ड है नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : 1251 विद्यार्थी बताये। अध्यापक कितने ?

श्री जुझारसिंह : अध्यापक 12।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : एक अध्यापक चार-पांच पीरियड पढ़ाता है। चालीस का नियम तो वहां रखा है कि कम से कम जहां पर चालीस बच्चे हों तो वहां पर एक टीचर प्रोवाइड कर देंगे। उससे कम होने की हालत में नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

बाड़मेर जिले में चारे की खरीद

80. श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में इस वर्ष अकाल में कुल कितना क्विन्टल चारा खरीदा गया ? इस चारे की कीमत इसकी ढुलाई व कुट्टी कराने पर कुल कितनी धन राशि राज्य सरकार ने व्यय की ?

(2) क्या यह सही है कि दूसरे जिलों व इस जिले की चारे की मांग का सही अनुमान लगाये बिना चारा जल्दबाजी में खरीद कर लिया गया ?

(3) इस चारे में से कितना चारा दूसरे जिलों को भेजा गया ?

(4) क्या यह सही है कि इसमें से कुल चारा जल गया ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जब चारा दूसरे जिलों में नहीं भेज सकी तो ऐसे आदेश प्रसारित कर दिए कि चारा स्थानीय मवेशियों को मुफ्त में चरा दिया जावे ?

(6) क्या यह सही है कि इस तरह चारा खत्म न होते देखा तो फिर उसकी बागरें लगाने के आदेश दिये, पर वर्षा जल्दी होने से चारा बहुत बड़ी मात्रा में सड़ गया ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) बाड़मेर जिले में अकाल के समय में कुल 1,62,252 क्विन्टल

Page No 3

(श्री परसराम मदेरणा)

चारा खरीदा गया था। इस चारे की ढुलाई व कुट्टी कराने आदि पर कुल मिला कर 16,36,744.12 रुपये खर्च हुए हैं।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जिला बाड़मेर से दूसरे जिलों को 55,369 क्विन्टल चारा भेजा गया है।

(4) इस चारे में से लगभग 7,210 क्विन्टल चारा बामसीन एवं सिवाना रोहट डिपो पर जल गया है।

(5) यह सही नहीं है। बाड़मेर जिले में पशु शिविर अवश्य खोले गए थे एवं यह आदेश दिए गए थे कि उनमें लावारिस पशुओं को भर्ती किया जावेगा तथा ऐसे पशुओं को भी भर्ती किया जा सकता है जिनके मालिकों की आर्थिक स्थिति खराब हो एवं इस कारण वे अपने पशुओं को रखने एवं उन्हें चराने में असमर्थ हों। इस श्रेणी के पशुओं के बावत यह आदेश भी दिया गया था कि उन्हें तब ही पशु शिविरों में भर्ती किया जावे जब तहसीलदार इस बात की तस्दीक कर दे कि वास्तव में उन पशुओं के मालिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने पशुओं को चराने में असमर्थ हों।

(6) जो चारा बच गया है उसमें से कुछ को जिलाधीश ने बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को झोंपड़े बनाने के लिए उपलब्ध कर दिया शेष चारे की बागर लगाने की व्यवस्था की गई है। सिवाना तहसील में जो चारा बचा हुआ था उसमें से 2,904 क्विन्टल चारा अचानक बहुत अधिक वर्षा आने से भीग कर खराब हो गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या यह बात सही है कि इस चारे की खरीद में, इसके ट्रान्सपोर्टेशन में और कुट्टी कराने में भयंकर अनियमिततायें हुई हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की शिकायत आने पर कि चारे के ट्रान्सपोर्टेशन में और कुट्टी कराने में अनियमिततायें हुई हैं, जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें एक डी. वाई. एस. पी. को भी मेम्बर रखा गया है। रिपोर्ट आने पर केस पुलिस में दर्ज करा दिया गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या यह सही है कि केस इस बात का दर्ज कराया गया कि ठेकेदार ने 1,17,000 रुपया ट्रान्सपोर्टेशन का उठाया, एक दिन भी चारा ट्रान्सपोर्ट नहीं किया और सारे के सारे धन का दुरुपयोग हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : चारा जला है लेकिन कुदरत से नहीं जला है। किसके द्वारा जलाया गया इसके लिए केस रजिस्टर कराया गया और वह पुलिस के जेर तजवीज है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि यह नोटिस दिया है कलेक्टर ने ठेकेदार को, 420 का केस रजिस्टर किया अधिकारियों के विरुद्ध और ठेकेदार के विरुद्ध कि एक लाख 17 हजार रुपया चारा ढुलाई के लिए

Page No 4

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
पेमेन्ट किया गया और उसमें यह लिखा है कि एक क्विन्टल भी चारा ट्रान्सपोर्ट नहीं किया। यह कलेक्टर ने नोटिस दिया है। यह निर्विवाद बात है कि गबन किया है 1 लाख 17 हजार रुपये का।

श्री परसराम मदेरणा : जो मुझे सूचना दी गई है वह यह है कि पुलिस में केस दर्ज कराया गया है 435 में, 673 में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नोटिस मैंने अपनी आंखों से देखा है। केस दर्ज हुआ तो आपके हिसाब से मतलब यह हुआ कि 1 लाख 17 हजार का तो गबन नहीं हुआ और चारा जला यह एक्सीडेन्टल जला ? यह क्या व्यवस्था है मन्त्री महोदय ? 1 लाख 17 हजार रुपया बिना किसी चारे की ढुलाई के ठेकेदार ने उठा लिया अन्दाज लगाइये सरकार के खजाने पर पहरा रहता है, सरकारी अधिकारी उत्तरदायी होते हैं, चारा खरीदने में कितना घोटाला हुआ होगा आप यह अन्दाजा तो लगावें।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में जो कुछ है वह केस रजिस्टर किया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने आंख से नोटिस देखा है। एक क्विन्टल भी चारा ट्रान्सपोर्ट नहीं किया इसलिए 1 लाख 17 हजार रुपया आपने उठाया वह फौरन जमा कराओ। यह नोटिस दिया है जिलाधीश ने ठेकेदार को और यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरा चारा जल गया। दूसरी कमेटी बैठी छानबीन करके इस नतीजे पर पहुँची कि वाकई कुछ न कुछ घोटाला हुआ है। इसलिये 420 का केस रजिस्टर हुआ। यह प्रामाणिक बात है। 1 लाख 10 हजार क्विन्टल चारा बच गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चारा क्यों बच गया। किसने डिमान्ड की थी और डिमान्ड न होने पर यह क्यों खरीदा गया ? सरकार के किस प्रकार से आदेश गये ? माननीय मंत्रीजी इसमें 10-12 लाख का सरकार को नुकसान होता है। इतना जला कैसे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय ...

कई माननीय सदस्य : जवाब देने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : 60 हजार की राशि रोक दी गयी है। पुलिस में केस रजिस्टर हुआ है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुट्टी वाला होगा वह। ध्यान से पढ़ लीजिये। कुट्टी की तो अलग गड़बड़ी है।

श्री परसराम मदेरणा : ट्रान्सपोर्टेशन का है, कुट्टी का है। 60 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। वह रोका गया है ठेकेदार को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कुट्टी वाले का भी रोका गया है। तो यह एक अलग मसला है। अब तो तीन मामले फिर सामने आ गये। इस पर से लगता है कि घास की खरीद में भी निश्चित घोटाला होगा। यही क्यों बचेगा जब और कोई नहीं बचा तो ?

Page No 5

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
आपने यह 110 हजार का घास कैसे खरीदा किसकी डिमाण्ड पर खरीदा ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के भिन्न भिन्न कलेक्टरों की डिमाण्ड आई उस पर से यह खरीद हुई। राजस्थान में 68, 69, 70 में लाखों क्विन्टल चारा बाहर से लाना पड़ा। रेल्वे ने कन्सेशन दिया था। पर इस साल मना कर दिया। 70 में अकेले राजस्थान में ही नहीं देश भर के दो तिहाई हिस्से में अकाल पड़ा था और सभी जगह अकाल होने से रेल्वे ने इसके ट्रान्सपोर्टेशन को थर्ड प्रायोरिटी में रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी में फूड को रखा। अब जिलाधीशों की जगह जगह से जो चारे की मांग आई वह बीस जगह से आई जो इस प्रकार थी—

जोधपुर	टौंक
सिरोही	सीकर
चित्तौड़	अजमेर
झुंझुनूं	डीडवाणा
चूरू	डूंगरपुर
बीकानेर	गंगानगर
बूंदी	जैसलमेर
पाली	

जब सेन्ट्रल स्टेडी टीम जोधपुर में आई तो बाड़मेर के कलेक्टर ने यह कहा कि उसके यहां पर इन्टरनल कन्जम्पशन के लिये चारे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके यहां जो चारा है वह दूसरों को दिया जा सकता है, क्योंकि उसके यहां की कैटल जितनी थी वह सब माइग्रेट हो चुकी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप उत्तर को इस तरह से लम्बा नहीं करिये। संक्षेप में मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। फालतू बातों में प्रश्न को उलझाने की कोशिश न करें। सीधा सा हां या ना में उत्तर दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : हमारे धैर्य को तोड़ रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने कहा कि उन्होंने 75 हजार क्विटल चारा इकट्ठा कर लिया है। सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेन्स में भी उन्होंने यह कहा। इस पर कहा गया उनको कि जितना चारा वे प्रोक्योर कर सकते हैं करें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नकाल है। डिबेट तो हो नहीं रही है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : प्रश्न काल अकाल काल बन जाता है।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन सभी के लिये है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 110 हजार क्विटल चारा आपने बेचने के लिए इकट्ठा किया है ? अल्टीमेटली आपको उसे राइट ऑफ करना होगा। हम समझ सकते हैं कि इस बरसात के काल में उस चारे का क्या हस्र हुआ होगा जो खुले में पड़ा है। इस पर से क्या हम यह मानकर चलें कि 60 हजार जो बाहर गया उसका भी 12 लाख रुपया अपव्यय हुआ है सरकार के अधिकारियों की पूरी लापरवाही के कारण एक तरफ तो आपका यह हाल है कि लाखों रुपया बरबाद हो जाता है, दूसरी तरफ अगर किसी किसान में पांच रुपया आपका बाकी रह गया तो कुर्की लाते हैं बड़ी कठोरता से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
उसे वसूल करते हैं, खाना तक उसको नहीं खाने देते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक प्रश्न और है। ठेकेदार ने ट्रान्सपोर्टेशन न करके रुपया सरकार से वसूल कर लिया दिस अमाउन्ट्स टू चीटिंग। क्या इसके लिये भी आपकी तफतीश आरम्भ है ? रिकवरी भी आपकी साथ साथ चल रही है क्या और क्या इससे जो हरजाना हुआ उसके लिये भी सिविल सूट करने का सरकार का इरादा है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : सिवाना पंचायत समिति के बी. डी. ओ. श्री विश्नोई जिनके खिलाफ ये सब गम्भीर चार्ज हैं, ने इस सारे मामले को खतम करने के लिये और ट्रान्सपोर्टेशन नहीं करने पर भी जो रुपया ठेकेदार को दे दिया उसे हजम करने के लिए स्वयं उस चारे में आग लगा दी और उस थोड़े बहुत चारे को भी जो किसी तरह से आ पाया जला कर खाक कर डाला। इस बारे में जिलाधीश, बाड़मेर ने केस बनाकर रजिस्टर करवाया है। क्या यह सही नहीं है ?

आगे और कहना चाहता हूं कि क्या यह भी सही नहीं है कि आपकी ओर से केलेक्टर, बाड़मेर पर राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है कि इस सारे मामले को रफा-दफा कर दिया जाय ? उस कलेक्टर का वहां से ट्रान्सफर कराने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था तक की जा रही है इस घोटाले पर किसी तरह से परदा डालने के लिये ?

श्री भगराज चौधरी : Did you go on the spot ? क्या आपने यह सब देखा है ? क्या आप वहां पर गये हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ओमनीपोटेन्ट कह सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बाड़मेर का हर व्यक्ति यह जानता है। बाड़मेर कलेक्टर ने केस बनाकर रजिस्टर कराया है। जिलाधीश कार्यवाही करना चाहते हैं पर मिनिस्टर द्वारा यह सारा मामला दबाया जा रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : साफ हां या ना में आप संक्षेप में जवाब दे दें। स्पष्ट सवाल है। आश्चर्य है कि मन्त्री जी आज सदन को यह जानकारी तक देना नहीं चाहते कि ठेकेदार बिना ट्रान्सपोर्ट किये ट्रान्सपोर्ट के नाम पर एक लाख 17 हजार रुपया ले गया या नहीं ले गया। यह प्रशासन की निकम्मापन की कितनी पराकाष्ठा है ? सरकार इसे स्वीकार भी नहीं करती, न इन्कार ही करती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या मुख्य मंत्री इसकी जांच करवाएंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है जैसा मन्त्री महोदय ने बताया चारे की हर जिले में रिक्वायरमेन्ट काफी थी। इसमें से 163 हजार क्विन्टल खरीदा, 95 हजार क्विन्टल भेज दिया। अब इस 95 हजार में से कितना बिका यह और बता दीजिये। अब आपका असैसमेन्ट का मैथड भी पूरा का पूरा बोगस हो गया है क्योंकि जब अकाल पड़ा तो एक लाख क्विन्टल चारा चाहिये था जिसमें से दो हजार भी नहीं आ पाया। फिर इसको इकट्ठा करने से क्या लाभ हुआ ? 95 हजार क्विन्टल में से कितना बिका आप यह बता दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रॉन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : During question hour no point of order is allowed.

श्री परसराम मदेरणा : 1,62,252 में से 55,369 क्विन्टल जिलों को भेज दिया। 7,210 क्विन्टल के ग्रास पास जल गया। 33 हजार के ग्रास पास फोडर बैंक में 75 नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से देने के लिये इकट्ठा कर दिया। इस तरह 96,517 तो जो रहा वह खर्च हो गया। जिलाधीश के पास कितना है, यह अलग से प्रश्न है।

मैं निवेदन कर रहा था कि बी. डी.ग्रो. की बात कही। इस सम्बन्ध में कमेटी में जब यह कहा गया कि श्री विश्नोई बी. डी.. ग्रो. पर शक शुबाह है। तो इस पर तो यह केस दर्ज किया गया है।

ग्रब ट्रान्सपोर्टेशन का मामला ग्रौर है तो यह भी देख लूंगा। बी. डी. ग्रो. द्वारा कितनी घास जलने की बात है इसकी जांच के लिए कलेक्टर को ग्रादेश दे दिये हैं कि इस बात की जांच की जाय। किसी प्रकार की ग्रनियमितता यद्यपि नहीं हुई है फिर भी ग्रगर कोई प्राइमा फेसी केस बन गया या कोई बात किसी प्रकार से पाई गई तो मैं इस मामले को लोकायुक्त को देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री करणसिंह !

डीग थाने में दर्ज मामला

81. श्री करणसिंह (डीग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एफ. ग्राई. ग्रार. 53, मई, 1972 थाना डीग, जिला भरतपुर की केस फाइल वास्ते तफतीश सी. ग्राई. डी., जयपुर में ग्राई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त केस की तफतीश श्री रोशनसिंह डी. वाई. एस. पी., सी. ग्राई. डी. ने मुकम्मिल करके ग्रपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि मुलजिमान की तरफ से दबाव पड़ा हुग्रा है जिससे केस को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने ग्रभी तक मुलजिमान का पक्ष करते हुये मुस्तगीस का सामान बरामद करके सुपुर्दगी में नहीं दिया है जिससे सारा सामान खुर्द-बुर्द तथा खराब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त केस में मुलजिमान की गिरफ्तारी के ग्रादेश डी. ग्राई. जी., सी. ग्राई. डी. से हो चुके हैं ? यदि हां, तो ग्रब तक मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? तथा ग्रादेशों की पालना क्यों नहीं हुई है ग्रौर इसमें देरी क्यों की जा रही है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री रोशनसिंह डी. वाई. एस. पी. ने मुलजिमानों के खिलाफ उपलब्ध शहादतों पर उन्हें गिरफ्तार करने की स्वीकृति चाही थी ताकि मुकदमे में सामान की बरामदगी की जाकर ग्रागे की तफतीश की जा सके।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। मुकदमा अभी तक जेर तफतीश है।

(5) जी हां। लेकिन गिरफ्तारी के पहले मुलजिमानों ने एक दरख्वास्त श्री रोशनसिंह डी. वाई. एस. पी. तफतीश कुनिन्दा के खिलाफ दिनांक 5-9-73 को पेश की थी और उन्हें मुकदमे में गलत फंसाने की शिकायत की थी जिस पर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मुकदमे की तफतीश की तस्दीक करवाई जा रही है। बाद तस्दीक जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जावेगी।

श्री करणसिंह : क्या यह सही है कि जो माल है अभी तक पुलिस की हिरासत में जहां है, वहीं पड़ा हुआ है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माल जहां पर है वहीं पड़ा है।

श्री करणसिंह : पुलिस ने अपनी तफतीश में क्यों नहीं लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुलिस की तफतीश के मुताबिक जिन मुलजिमान ने माल उठाया है उसमें गिरफ्तारी के लिये आदेश हो चुके थे लेकिन बीच में शिकायत आ गई थी कि माल गलत तौर से उठाया गया है।

श्री करणसिंह : अब दूसरी तफतीश में कितना समय लगेगा ? पहले वाली तफतीश में तो पहले ही काफी समय लग चुका है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय मैं स्वयं भी मानती हूं कि इसमें देरी हुई है आगे जल्दी कराई जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

उदयपुर दुग्ध वितरण योजना

82. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में चल रही दुग्ध वितरण योजना में 1970-71 तक दस लाख रुपये से भी अधिक का घाटा हुआ ? जब कि 1968-69 में 40 हजार का लाभ बताया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के दुग्ध वितरण योजना के संचालकों ने जनता में एक पैम्फलेट छपवाकर बांटा जिसमें 30 हजार का 1968-69 में लाभ बताया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय की दुग्ध वितरण योजना के कूपन मेन बाजारों में अनधिकृत रूप से बेचे गये ?

(4) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तत्कालीन वित्त नियन्त्रक ने सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई ? यदि हां, तो उस जांच परिणाम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कृषि विभाग से सम्बन्धित होने के कारण वहां ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कृषि मन्त्री जी बैठे हैं, वे ही उत्तर दे देते।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केसरीमल।

वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर की अदालत में विचाराधीन मामले

83. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्कमैन कम्पनसेशन कमिश्नर की कितनी अदालत हैं जिनमें कामगारों के कम्पनसेशन के मामले सुने जाते हैं तथा किस किस अदालत में कितने कितने केस कब से विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त सभी अदालतों में वर्कमैन कम्पनसेशन के कितने ऐसे केस हैं जिनके फैसले हो चुके हैं किन्तु रिकवरी नहीं हो सकी ? इन केसों के फैसले की तारीख क्या है ? और रिकवरी की कार्यवाही किस स्टेज पर कहां कहां हो रही है ? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) रिकवरी कराई जाकर भुगतान शीघ्र करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी केवल राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा इसको अगले समय के लिये स्थगित रखा जाय।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय यह बता दिया जाय कब तक आ जायगा ? बहुत से लोग मर गये, चले गये, उनका कुछ पता नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : एक सप्ताह के लिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री सुखलाल !

रामपुर, जैतारण तहसीलों में अनाज एवं शक्कर का वितरण

84. श्री सुखलाल (जैतारण) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामपुर, जैतारण तहसीलों में अनाज, व शक्कर के वितरण में भयंकर घोटाला व काला बाजारी हुई है ? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र के किन-किन रिटेलरों को ब्लैक करने के अपराध में पकड़ा गया है ? जांच रिपोर्ट सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र में काला बाजारी में पकड़े गये रिटेलरों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) (1) जी हां। कुछ अनियमितता के मामले पकड़े गये थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दोषी पाये गये खुदरा विक्रेता के खिलाफ जो कार्यवाही की गई प्रेषित सूची के कॉलम 5 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह !

करौली पंचायत समितियों के ग्रामों को जल योजना

85. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि करौली पंचायत समिति के ग्राम मासलपुर, फतेहपुर, परीता और कैला देवी में जल योजना आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु कार्य आरम्भ अभी तक नहीं हुआ है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) जी नहीं, अभी ग्राम कैला देवी की जल योजना बनाई गई है व उसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : यह जांच कब तक हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : जांच होने के बाद धन की स्वीकृति करने में बाधा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री छंगाणी !

ग्राम भीनयाना में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

86. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव भीनयाना, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर से गत अकाल वर्ष 68-69 व इस अकाल वर्ष 72-73 के वक्त में कुल मिलाकर निम्नलिखित सड़कें निकाली गई: (1) भीनयाना से सांकड़ा, (2) भीनयाना से सेतारावा, (3) भीनयाना से पोकरण, (4) भीनयाना से राजमुथाई, (5) भीनयाना से रातड़िया, (6) भीनयाना से फलसूंड और (7) भीनयाना से शेरगढ़।

(2) क्या यह सही है कि भीनयाना-शेरगढ़ रोड़ जो करीब 30 मील लम्बी है, उसका नाम खरताराम रोड़ रखा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि भीनयाना में न मण्डी है और जिन गांवों से इस गांव को जोड़ा गया है, वहां भविष्य में भी कोई बस आदि नहीं चल पायेगी, फिर भी यह इतनी सड़कों से जोड़ने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि भीनयाना पर पत्थर की गिट्टी पिछले अकाल में बेहद तुड़वाई गई ? उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि भीनयाना तालाब को खुदवाने के लिये पिछले अकाल में एक लाख से भी ऊपर रुपया खर्चा किया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि भीनयाना को कलाऊ से पाइप लाइन द्वारा भी इसी अकाल के वक्त जोड़ा गया ? यदि हां, तो इस पाइप लाइन योजना पर कुल कितना खर्चा किया गया ?

(7) क्या यह सही है कि भीनयाना में खड़ीन एवं भू-संरक्षण कार्य पर भी पिछले अकाल में धनराशि दी गई ? यदि हां, तो कुल कितनी दी गई ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की

(श्री परसराम मदेरणा)
सूचना पूर्ण उपलब्ध नहीं हो सकी इसलिये अगले सप्ताह तक इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सख्या 87

श्री विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें) नेक्स्ट।

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं रोस्टर प्रणाली

88. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तारांकित प्रश्न संख्या 40 सी. एम. दिनांक 7-3-73 के उत्तर में राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि राजस्थान सरकार भी केन्द्रीय सरकार की भांति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर भी रोस्टर प्रणाली लागू करेगी ?

(2) क्या यह भी निश्चय किया है कि इस प्रकार के आदेश निकट भविष्य में जारी करेगी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस प्रकार के आदेश अब कब जारी किये जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियां मुताबिक रोस्टर प्रणाली के किसी भी विभाग के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह राज्य सरकार की नीति व निर्णयों का खुला उल्लंघन नहीं है ? और यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) ऐसा किये जाने की संभावना व्यक्त की गई थी और यह कहा गया था कि मामला सरकार के विचाराधीन है। अब इस बारे में निर्णय लिया जा चुका है, क्योंकि एक साल की जगह दूसरे साल में केरीफारवर्ड नहीं होगी अतः पदोन्नति पर रोस्टर-प्रणाली लागू करने का भी प्रश्न नहीं आता।

(2) आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है, कि जब प्रश्न पूछा गया था तब माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि रोस्टर प्रणाली लागू कर दी जायगी। आज मंत्री महोदय मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : केबिनेट के सामने जो निर्णय हुआ है, उसकी प्रति रख

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

दी गई है और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो कंन्सीडर किया जायगा लेकिन वर्तमान में इसको अभी नहीं माना गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

विदेशी फर्म के साथ ट्रेक्टर का कारखाना लगाने का एग्रीमेन्ट

89. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उद्योग निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चन्दनमलबैद किसी विदेशी फर्म के साथ ट्रेक्टर बनाने के कारखाने के सम्बन्ध में व्यापार करार करने के लिये फ्रान्स गये थे ? यदि हां, तो किस फर्म के साथ क्या व्यापार करार हुआ और कौन कौन अधिकारी उनके साथ गये तथा इस यात्रा में निगम का कितना खर्चा हुआ ? कृपया व्यापार करारनामे की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ट्रेक्टर बनाने के कारखाने को जोधपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव था जिसके लिये 10 नवम्बर, 1970 को एक आशय पत्र भी जारी किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आशय पत्र की अवधि भारत सरकार द्वारा दो बार बढ़ाई गई ? यदि हां, तो कब कब ?

(4) क्या यह सही है कि गत 15 जुलाई, 1973 को उक्त आशय पत्र की मियाद समाप्त हो गई ? यदि हां, तो क्यों और किसकी गफलत से ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, श्री चन्दनमल बैंद तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स की रेगी रिनॉल्ट कम्पनी के साथ राजस्थान में ट्रेक्टर के कारखाने के निर्माण के सम्बन्ध में बातचीत (नेगोसियेशन्स) करने गये थे। किन्तु वार्ता असफल हो जाने के कारण व्यापार के करारनामे (एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। श्री बैंद के साथ श्री एम. पी. सारथी, तकनीकी निदेशक एवं श्री विजय प्रताप, तत्कालीन, प्रोजेक्ट इन्जीनियर गये थे। यात्रा में निगम का कुल व्यय 22827) रु. 50 पैसे हुआ।

(2) जी हाँ, आशय पत्र 1 नवम्बर, 1970 को जारी किया गया था।

(3) जी हां, पहली 15 अक्टूबर, 1971 में तथा दूसरी 19 जुलाई, 1972 में।

(4) जी हां, क्योंकि किसी भी विदेशी ट्रेक्टर निर्माता से सही शर्तों पर बातचीत (नेगोसियेशन्स) सफल न हो सकी। उक्त आशय पत्र की 19 जुलाई, 1973 को मियाद समाप्ति को ध्यान में रख कर भारत सरकार को राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा दिनांक 10-7-73 को मियाद बढ़ाने हेतु लिख दिया गया था। इसमें किसी की कोई गफलत नहीं थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय बातचीत करने फ्रान्स गये और जब बातचीत हुई तो पहला प्रश्न तो यह है कि क्या फ्रान्स की कन्सर्न ने उनको बुलाया था इन दो अधिकारियों के साथ ? दूसरी बात बातचीत का क्या दौर रहा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और तीसरी बात विफल होने के क्या आसार हैं ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात साथ में और बता दी जाय। बातचीत से पहले क्या कोई पत्र-व्यवहार हुआ कि बातचीत बराबर होगी या नहीं। अगर यह नहीं था और यात्रा पर जाने से विफलता लेनी थी तो यह विफलता तो पत्र-व्यवहार से ही ले लेते।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन फ्रान्स गये थे, उससे पूर्व, राजस्थान सरकार और फ्रान्स की रेगी रिनॉल्ट कम्पनी में एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के आधार पर यह प्रोजेक्ट फिजीबल है या नहीं और उनकी डिटेल्स की क्या शर्तें रहेंगी, उनकी क्या कंडीशन्स होंगी आदि टेक्निकल बातों पर बातचीत करने के लिये गये थे। उनके कोलोबोरेशन से ट्रैक्टर का कारखाना लगाने के लिए उस कम्पनी से प्रोडक्शन के लिये टेक्निकल कोलोबोरेशन करना पड़ा। क्योंकि यहां पर जितने एक्सपर्ट थे या एक्सपर्ट होंगे उसके मैन्यूफैक्चर के लिये वे एक्सपर्ट हो सकते हैं और अगर फ्रान्स की रेगी रिनॉल्ट कम्पनी से इस तरह का प्रि-एग्रीमेंट किया जाय तो क्या शर्तें आदि हो सकती हैं। एग्रीमेंट में 90 लाख के ओवर पेमेन्ट की, टेक्नीकल गाइडेन्स की और लेबोरेटरी सर्वे की बात कही थी और राज्य सरकार ने उचित समझा कि इतना ज्यादा अमाउन्ट देकर इस कम्पनी के साथ में एग्रीमेंट नहीं करना चाहिये। यह भी भारत सरकार के सामने—

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रि-एग्रीमेंट के समय सारे मामले को टेक्नीकली एग्जामिन किया या नहीं ? दूसरे इस प्रकार के जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें फॉरेन एक्सचेन्ज को एग्जामिन किया या नहीं ? नम्बर तीन, इस सारे टेक्नीकल ऐग्जामिनेशन के बाद इतना पैसा खर्च किया कि दो इम्पॉर्टेन्ट एम्प्लॉइज को साथ लेकर चेयरमैन महोदय फ्रांस के लिये गये उससे पहले क्या यह विचार किया या नहीं कि कुछ थोड़ी सी शर्तें इधर उधर की तय हो जायेंगी क्योंकि जब किसी प्रकार के कोलोबोरेशन के एग्रीमेन्ट होते हैं तो यह तीन-चार फैक्टर्स तय कर लिये जाते हैं। फिर फॉरन करेन्सी का भी बहुत बड़ा संकट है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी-बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह है कि जो कोलोबोरेशन की बात चीत हुई उसके पहले कोई केबिनेट से इजाजत ली या नहीं और अगर केबिनेट ने इजाजत दी तो उसका आधार क्या था ? आचार्य जी ने जो सवाल रखा उसमें से किसी एक का भी जवाब नहीं आया कि इससे पहले जो कॉरिस्पोन्डेन्स हुई वह क्या हुई ? इसके बारे में कोई विस्तार से जवाब नहीं आया। उस कॉरेस्पोन्डेंस की प्रतिलिपि सदन में रखी जाये ताकि पता चल जाये कि आखिर इसका आधार क्या था।

श्री परसराम मदेरणा : प्रि-एग्रीमेन्ट राजस्थान सरकार के बीच में और मेसर्स रेगी रिनॉल्ट कम्पनी के बीच में हुआ था और उसके बाद में कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई क्योंकि एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऐसे काम के लिए बनाया गया और जो एग्रीमेन्ट राजस्थान सरकार का इस कम्पनी के साथ

(श्री परसराम मदेरणा)
हुआ था उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसकी टेक्नीकल फिज़िबिलिटी देखने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष के साथ टेक्नीकल एक्सपर्टस वहां पर गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी सवाल पूछा गया कि क्या इस मामले में कैबिनेट की स्वीकृति है ? यदि है तो किस आधार पर ? और तीसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि आप दिल्ली से बात कर रहे हैं कि हमको पत्र मिल जाये उस बात का क्या दौर है ? क्या यह सही है कि पहले निरस्त किया गया और आपने वापिस जिन्दा किया और यह पैसा जो खर्च हुआ यह राज्य सरकार का है या निगम का है ?

श्री परसराम मदेरणा: एग्रीमेन्ट इसके साथ ही नहीं हुआ लेकिन उसके बाद में ट्रेक्टर के मेन्युफेक्चर करने की बात थी । उसकी भी टेक्नीकल फिजिबिलिटी और दूसरे मामले में नेगोसियेशन्स चल रही थी एक जर्मन कन्सर्न से और उनकी एक कन्सर्न यहां है किलोस्कर ट्रेक्टर्स करके उनके साथ में बातचीत चल रही थी 50 हार्सपावर ट्रेक्टर राजस्थान की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे इसलिए लैटर ऑफ इन्डेन्ट इसलिए कर दिया गया कि पहले हम फ्रांस की कम्पनी से बात कर रहे थे और बाद में जर्मन कम्पनी से और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि वह ट्रेक्टर भी हमें नहीं लेना चाहिए और हमें कोई दूसरा छोटा ट्रेक्टर हो उसके संबंध में बात करनी चाहिए और आस्ट्रेलिया का जो ट्रेक्टर है उस संबंध में बातचीत चल रही थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब न तो आपके क्वेश्चन का है और न मेरे क्वेश्चन का है। तो हम बैठ जायें और आप जवाब देते रहें। मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा है कि यह पैसा निगम का है या राज्य सरकार का है ?

श्री अध्यक्ष: एक एक पूछते जाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह होशियार हैं, सारा जज्ब हो जाता है लेकिन जवाब दूसरा देते हैं। मैं यह पूछ रहा था किन आधार पर फैसला हुआ और फिर इस संबंध में कहा कि आशय पत्र को मैं नयी जिन्दगी दे रहा हूँ उसकी अब क्या स्थिति है दिल्ली में ?

श्री परसराम मदेरणा : यात्रा व्यय निगम का हुआ यह प्रश्न के पार्ट (1) की आखिरी लाइन में लिख चुका हूं यात्रा में निगम का कुल व्यय 22,827 रुपये 50 पैसे हुआ। यह मैंने हाउस में पढ़ा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने पूछा ही नहीं कितना हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : निगम का हुआ है। प्रश्न के पार्ट (1) में आपने पूछा है किस फर्म के साथ क्या व्यापार करार हुआ और कौन कौन अधिकारी उनके साथ गए तथा इस यात्रा में निगम का कितना खर्चा हुआ। यह बात पूछी और मैंने जवाब दिया है। दूसरी बात यह है कि केबिनेट के फैसले के लिए पूछा तो उसका फैसला अभी मेरे पास नहीं है लेकिन जो प्रि-एग्रीमेन्ट हुआ वह राजस्थान सरकार के बीच में और इस कन्सर्न के बीच में हुआ है। निगम तो बाद में पिक्चर में आया जब कि ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना हुई और तीसरी बात जो हमने 10 जुलाई को लैटर ऑफ इन्टेन्ट की जांच कराने की बात कही है...

Page No 15

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ऐतराज की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : जो लेटर ऑफ इन्टेन्ट के पीरियड को एक्सटेन्ड करने का 10 जुलाई को लिखा है अभी तक भारत सरकार के मंत्रालय से इसका उत्तर नहीं आया है लेकिन अभी नेगोसियेशन्स मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर के लिए चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न बहुत स्पष्ट है। एग्रो-इण्स्ट्रीज कॉर्पोरेशन बीच में आ गया लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि एग्रो-इण्स्ट्रीज को किसने ऑथोराइज किया ? क्या केबिनेट ने डिसीजन लेकर एग्रो-इण्स्ट्रीज को ऑथोराइज किया कि फांस जाये और इसको फाइनेलाइज करे ? बड़ा क्लियर प्रश्न है। यह तो बीटिंग अबाउट दी बुश हो रहा है, 30 हजार रुपये खर्च हो गए।

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो यों ही कह देते।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन एग्रो-इण्डस्ट्रीज ऑटोनॉमस बॉडी है और उसके बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ही निर्णय ले सकते हैं कि टेक्नीकल आदमियों को और चेयरमैन को बाहर भेजा जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कैसे ले सकते हैं ? राजस्थान सरकार के बीच में और फर्म के बीच में बातचीत चली और प्रि-एग्रीमेन्ट हुआ और एग्रो-इण्स्ट्रीज बाद में आई कैसे आप केबिनेट के निर्णय के बिना डिसीजन ले सकते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। कैसे इन्टरवीन कर सकते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि इसका एग्रीमेन्ट नहीं हो सका मैं पूछना चाहूंगा कि जब तक आपका ट्रैक्टर बनाने का कोई एग्रीमेन्ट ही नहीं हुआ उसके पहले क्या आपने दिल्ली में जो इण्डस्ट्रियल एग्जीबीशन हुई थी उसके अन्दर राजस्थान की भी प्रदर्शनी थी और उसमें ट्रैक्टर का बहुत बड़ा चित्र लगाया था जो कि जोधपुर' में राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और सारे हिन्दुस्तान के लीडर्स आये उनको आपने बताया कि यह ट्रैक्टर राजस्थान सरकार के द्वारा और एग्रो-इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह सारी बात चली तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या आप आश्वासन देंगे कि पांच-सात साल की घोषणा के बाद किसी न किसी प्रकार से किसी कम्पनी के साथ कोलोबोरेशन करके निश्चित रूप से ट्रैक्टर की योजना जोधपुर में कार्यान्वित करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक प्रचार का प्रश्न है और योजना का संबंध है तो क्योंकि यह योजना सरकार के विचाराधीन थी। पिछले सत्र में ही बजट सैशन में भी मैंने कहा था कि यह मामला राज्य सरकार के अभी तक विचाराधीन है और जो मामला विचाराधीन है और जिसमें लेटर ऑफ इन्टेन्ट हमारे पास में है कि क्या क्या कारखाने लगाने की बात सरकार सोच रही है अगर उसकी रूपरेखा जनता के सामने नहीं रखी तो वह भी ठीक नहीं है और अभी तक राज्य सरकार के सामने मामला विचाराधीन है। मैं नहीं कह सकता।

(श्री परसराम मदेरणा)
कि किस कम्पनी के साथ टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स और गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया की कन्करेन्स कई तरह के मामले बीच में आते हैं उनको ध्यान में रख कर निर्णय लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरी गुजारिश है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये क्योंकि पूरी इन्फर्मेशन नहीं आई है। केबिनेट का फैसला हुआ या नहीं जब तक इसका जवाब नहीं आता इसको स्थगित किया जाये।

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अमृतलाल गहलोत !

डिग्गाड़ी-चैनपुरा ग्रामीण जल योजना

90. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील की डिग्गाडी-चैनपुरा ग्रामीण जल योजना के रिवाइज्ड एस्टीमेट अब तक स्वीकृत न होने से योजना अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट कब तक स्वीकृत हो जायेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : डिग्गाड़ी-चैनपुरा ग्रामीण जल-प्रदाय योजना पर कार्य प्रगति पर है और योजना के लिए आवश्यक संशोधित तखमीना 16,58,200 का दिनांक 1-10-73 को मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुआ है। संशोधित योजना की तकनीकी जांच की जा रही है जिसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का मैं इस बात के लिए तो बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यह योजना बना कर 25 गांवों को पानी पिलाने की बात स्वीकार की परन्तु जन स्वास्थ्य विभाग ने इसका अण्डर एस्टीमेट किया और जिसके कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी और लोगों में असंतोष फैल गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देकर काम करने के बारे में मन्त्री महोदय क्या निर्णय लेंगे और यह योजना पूरी करायेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं पहले भी यही जानकारी दे चुका हूं कि 18 बस्तियों के लिए पहले यह योजना बनाई गई थी और उसमें 6 लाख 94 हजार की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 1 लाख 50 हजार तो पिछले साल आवंटित किया गया और इस साल 5 लाख 50 हजार आवंटित किया गया है। अब यह नई योजना 22 बस्तियों के लिए बनाई गई है और यह संशोधित योजना 16,58,200) रु. की है जिसकी टैक्निकल जांच की जा रही है। टेक्निकली अगर यह योजना ठीक पाई गई और उसके बाद अगर धन की उपलब्धि होगी तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा वरना 18 बस्तियों को भी पानी देकर अगले साल इस मामले पर विचार किया जाएगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : अगले साल में तो इसके लिए उचित धनराशि मिल जाएगी ?

Page No 17

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कह दिया कि विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 91।

एनफोर्समेंट ऑफिसर एवं निरीक्षकों की नियुक्तियां

91. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली), **श्री हनुमान सहाय** (वैराठ), **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग द्वारा एनफोर्समेंट ऑफिसर व निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पदों के लिये क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी।

(2) उपरोक्त पदों के लिए साक्षात्कार का क्या आधार था तथा क्या जो आधार तय किया गया था उस श्रेणी में आने वाले सभी आवेदनकर्त्ताओं को इन्टरव्यू में बुलाया गया था ? यदि हां, तो किन किन को इन्टरव्यू में बुलाया गया था? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन्टरव्यू की सूचना जिन आवेदनकर्त्ताओं को नहीं भेजी गई थी उनको भी इन्टरव्यू में शामिल किया गया ?

(4) उपरोक्त पदों पर जिन आवेदनकर्त्ताओं का चयन किया गया है उनके नाम, पूर्ण पते की सूची सदन के पटल पर रखें।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) हां; इन पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं विभागीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेन्डरी रखी गई थी।

(2) सीधी भर्ती के लिए केवल निम्न योग्यता वाले सभी अभ्यार्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था :—

1. समस्त विषयों के पोस्ट ग्रेज्यूएट।
2. कृषि स्नातक।
3. स्नातक एल. एल. बी. के साथ
4. स्नातक (एन. सी. सी. एवं खेल-कूद में अथवा एक्स्ट्रा केरीक्यूलर एक्टीविटीज में रुचि रखने वाले जिन्होंने आवेदन-पत्र के साथ ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है)

इन्टरव्यू में बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा में पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि यह जो रुचि की बात मंत्री महोदय ने कही है यह रुचि की बात पहले कहीं पर भी नहीं थी। क्या जो क्वालिफिकेशन का एडवरटाईजमेंट निकाला गया था उनमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था।

दूसरी बात यह कि क्या यह सही है कि जो इन्सपेक्टर्स की लिस्ट निकली है उसके नम्बर 31 में जिसका नाम है श्री कमल-प्रकाश कांवरिया वह स्नातक भी नहीं है फिर भी उसका सलेक्शन किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इन सर्विसेज के लिए अलग से रूल्स थे……

श्री सुरेशचन्द्र : यह सर्विस में नहीं है कांवरिया ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्विसेज में ग्रेज्यूएट और दो साल की सर्विस या हायर सेकेन्ड्री के साथ पांच साल की सर्विस। इन पोस्ट्स के लिए दस हजार एप्लीकेशन आई और यह इमर्जेंसी रिक्रूटमैंट था, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत अलग से रिक्रूटमैंट रुल्स बनेंगे। चूंकि राजस्थान में एन्फोर्समैंट अधिकारियों की बहुत कमी थी और काफी लम्बे अर्से से पोस्टें खाली पड़ी हुई थीं और इनके अभाव में एन्फोर्समेंट का काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए इमर्जेन्सी रिक्रूटमैंट करने के लिए स्पेशल रुल्स बनाए गए जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन की कांकरेंस ली गई और गवर्नर की एप्रूवल लाने के बाद इनको बनाया गया तथा इसके अतिरिक्त जो ग्रेज्यूएट नहीं थे और उनका रिक्रूटमैंट कर दिया गया कि वे अपनी कैपेबिलिटी रेज कर देंगे। उन्होंने इस आधार पर छः-सात व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिए थे कि हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। इनमें से तीन व्यक्ति नियुक्त हुए हैं जिनमें एक शिड्यूल्ड कास्ट का कांवरिया भी था जिसके लिए आप कह रहे हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री सुरेशचन्द्र : जब वह क्वालिफाइड नहीं था तो उसका सलेक्शन क्यों किया गया जब कि दूसरे क्वालिफाइड व्यक्ति मौजूद थे।

इसके अलावा जो लिस्ट के नम्बर 11 पर तिलकराज परनामी है जो कि मंत्री महोदय का पी. ए. रहा है और पी. ए. होने के कारण उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन के लोग मौजूद होते हुए भी उसका सलेक्शन किया गया जबकि उसके पास एन. सी. सी., खेल-कूद अथवा अन्य एक्टीविटिज का कोई प्रमाण-पत्र नहीं था। क्या यह सही है कि जिन लोगों को इण्टरव्यू में भी नहीं बुलाया गया उनका सलेक्शन कर लिया गया ?

श्री बीरबल (सांगरिया) : क्या यह सही है कि इस लिस्ट में शिड्यूल्ड कास्ट का कोटा पूरा किया गया है ?

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): एक एक सप्लीमेंट्री का उत्तर माननीय मंत्रीजी दे दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने के लिए ही खड़े हुए हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक परीक्षा का नतीजा नहीं निकलने से पहले सलेक्शन करने का प्रश्न है, जिन सात लोगों ने सलेक्शन बोर्ड के सामने इस बात की रिक्वेस्ट की कि हमारा रिजल्ट निकलने वाला है और चूंकि इस परीक्षा में सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि रिजल्ट निकलने में काफी देरी हो गई थी और देरी होने के कारण आन्दोलन भी हुआ और वाइस चांसलर का

Page No 19

(श्री परसराम मदरेणा)
घेराव भी किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि रिजल्ट जल्दी ही निकाल दिया जाएगा, तो उनको इस कण्डीशन पर लिया गया था कि बेसिक क्वालिफिकेशन एक्वायर करेंगे। दूसरे मामले में उसकी कैपेबिलिटी ठीक थी इसलिए बोर्ड ने एप्रूव कर लिया।

आपने मेरे पी. ए. के सम्बन्ध में कहा कि उसका बिना इंटरव्यू के सलेक्शन हो गया। जहां तक यह प्रश्न है मैं स्पष्ट कर दूं कि रूल 17 बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार की कोई कनवेसिंग नहीं की जाएगी। चूंकि वह फूड मिनिस्टर का पी. ए. था और यदि कहीं पर इंटरव्यू में जाता है उसको रूल्स की जानकारी होने के आधार पर उसको सलेक्ट होने का अधिकार है। मैंने उस व्यक्ति के बारे में कतई कुछ नहीं किया है। मैं तो स्वयं चाहता था कि वह मेरे पास रहे। वह असेम्बली में था और यहां से मेरे पास गया था। वह अच्छा स्टेनो था। उसका सलेक्शन होने के बाद वह मेरे पास आया कि मेरा सलेक्शन हो गया है तो भी मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोई फायदा इसमें नहीं है, जिलों में चले जाओगे, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और चला गया। मैंने कतई तौर पर उसके सलेक्शन में कोई इण्टरफियर नहीं किया है। जितने एन्फोर्समेंट लॉज हैं उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है और उसका बेटर परफॉर्मेन्स है तो निश्चित रूप से उसका सलेक्शन होगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण है कि क्वालिफिकेशन फुलफिल करने के बिना ही.......?

(निरन्तर कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जो कुछ कहा है मैंने सुन लिया है। श्री लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है कि क्वालिफिकेशन फुलफिल किए बिना ही सर्विसेज में कण्डीशनल सिलेक्शन कर दिया गया हो कि क्वालिफिकेशन बाद में फुलफिल कर देना। आज एपॉइन्टमेंट कर देते हैं और क्वालिफिकेशन बाद में एक्वायर कर लेना।

दूसरा प्रश्न यह है कि सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा क्या सरकार से इसके लिए कांकरेंस ली गई? कण्डीशनल एपॉइन्टमेंट की क्या कोई कांकरेंस थी?

(व्यवधान—शोरगुल—अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है इसका उत्तर डिपार्टमेंटल पर्सनल दे सकते हैं फूड मिनिस्टर नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं और मेरा यह निवेदन है कि क्या

((श्री श्रीराम गोटेवाला)
यह सही है कि एक साथ दस-दस व्यक्तियों के इण्टरव्यू लिए गये ?

श्री परसराम मदेरणा : कॅंडीडेट्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से दस-दस व्यक्तियों को एक साथ इण्टरव्यू लिया गया लेकिन इन्डिविजुअल कॅंडीडेट की कैपेबिलिटी अलग से जज की गई और इन्डिविजुअल इण्टरव्यू के आधार पर ही सलेक्शन किया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें जब दस हजार एप्लीकेशन्स आईं और संख्या बहुत ज्यादा थी तो आपने गजट में 12-6-73 को शाया किया और 20 तारीख को इण्टरव्यू के लिए बुलाया तो इसका कारण तो यह है कि बेरोजगारी के कारण बहुत ज्यादा एप्लीकेशन्स आईं तो क्या इसमें आपने मैरिट का भी ध्यान रखा है। इस प्रकार से मैरिट के लिए सैम्पल सर्वे करने के लिए और दस-दस आदमियों को एक साथ इण्टरव्यू लेने के लिए क्या जब आपने रूल्स फ्रेम किए तो उसमें इसका प्रोविजन किया था ? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह सलेक्शन मैंने नहीं किया बोर्ड ने किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो जवाब आपसे ही चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो भी सलेक्शन किया है इन्डिपेंडेन्ट बोर्ड ने किया है और मुझे यह सूचना दी गई है कि मैरिट के आधार पर सलेक्शन किया गया है। और जो दस-दस आदमियों की बात है उसमें भी हर व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है और उसका इण्टरव्यू लिया गया है और कैपेबिलिटी जज करके ही सलेक्शन किया गया है।

श्री केदारनाथ : इसमें आपने रिटन टैस्ट को लागू क्यों नहीं किया ? रिटन टैस्ट नहीं लेने का क्या कारण है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग वहां पर थे उनको क्यों नहीं लिया गया ? क्या यह सही है कि इनको नहीं लिया गया है ? जो एम्प्लाई स्ट्राइक पर थे और प्रोमोशन के लिए एलिजिबल थे क्या उनको इन्टरव्यू के लिए कॉल किया गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या आपके यहां पर रिटन टैस्ट का रूल्स में प्रोविजन नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : "The Selection Board may call such number of candidates, as it considers reasonable, to appear before the Board for interview. In case of Government servants, the Board may also call for and scrutinise the confidential reports relating to the candidates."

रिटन एग्जामिनेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न और है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन लोगों ने हड़ताल में हिस्सा लिया उन लोगों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्टरव्यू कॉल नहीं भेजा गया है। वे क्यों रह गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह डेफीनेटली जानना चाहता हूं, जितने भी इन्टरव्यू में कॉल किए गए हैं उनमें एक भी ऐसा आदमी नहीं बुलाया गया जो कि स्ट्राइक पर था, जबकि गवर्नमेंट की ओर से यह एश्योरेन्स दिया गया था कि कर्मचारियों को विक्टेमाइजेशन नहीं किया जाएगा। परन्तु स्ट्राईक में हिस्सा लेने की वजह से कर्मचारियों को इन्टरव्यू कॉल नहीं भेजा गया है।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार का कोई डिस्क्रीमीनेशन नहीं किया गया है। फिर भी मैं जानकारी प्राप्त करके ही कह सकता हूं कि जो स्ट्राइक पर थे उनका सलेक्शन हुआ है या नहीं ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एलिजीबिल नहीं है क्वालिफिकेशन के लिहाज से उसको इन्टरव्यू के लिए कैसे बुलाया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं। उस वक्त उनका रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट आएगा और उसमें सक्सेसफुल होंगे तो उसके आधार पर एपॉइन्टमेन्ट किया जाएगा। बोर्ड के सामने उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया था। वे इन्टरव्यू में क्वालिफाई हो गए परन्तु शर्त यह रखी गयी कि क्वालिफिकेशन फुलफिल कर लेंगे तो ही इनका सलेक्शन माना जायगा····

(व्यवधान)

श्री सुरेशचन्द : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह टू दी पॉइन्ट नहीं है। आपने उन लोगों से अन्डरटेकिंग ली है जो कि क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। परन्तु वहां पर शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग मौजूद थे जो कि क्वालिफिकेशन को पूरा करते थे फिर उनको क्यों नहीं लिया गया ?····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कौन आया और कौन नहीं आया यह मैं नहीं कह सकता हूं।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है····

श्री परसराम मदेरणा : यह क्लॉज 9 है, जिस सर्विस के आदमी की यह क्वालिफिकेशन हो, यह रूल यह बताता है और इसमें वह पूरी तरह से क्वालिफाइड है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मिनिस्टर का पी. ए. वैसे ही बड़ा आदमी होता है और फिर उसको कलेक्टर थोड़े ही बना दिया है····

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया श्री विट्ठल भाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह श्री रामसिंह कुड़ी का प्रश्न है। इस प्रश्न को लिया जाना चाहिए।

Page No 22

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह जो श्री रामसिंह कुड़ी का प्रश्न है इसको लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद सामरिया !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न संख्या 92

डाक बंगले में ठहरने की प्राथमिकता

92. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) की अनुपस्थित में] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार में ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं, जिनके लिए एम. एल. ए. द्वारा पहले से लिया हुआ कमरा डाक बंगले में से खाली कराया जा सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर डाक बंगले में श्री गुलाबसिंह शक्तावत एम. एल. ए. ठहरे हुए थे एवं पुनर्वास कमिश्नर श्री व्यास के लिए उनसे कमरा खाली कराया गया ? यदि हां, तो किन किन कारणों से ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न पी. डब्ल्यू. डी. से ताल्लुक रखता है इसलिए इसको उस विभाग को स्थानान्तरित किया जाए।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रीविलेज का प्रश्न है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न को अभी अभी देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि किन्ही माननीय सदस्य से किसी ऑफिसर के वहां पर डाक बंगले में ठहरने के लिए कमरा खाली करवाया गया। मैं श्री गुलाबसिंह शक्तावत से बात करूंगा और जानकारी करूंगा और अगर ऐसा किया गया है और वह गैर कानूनी कार्य था तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कोई जवाब नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : Please listen to me. अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो सरकार खेद प्रकट करती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है····

श्री अध्यक्ष : ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) सवाल यह है कि·······

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बोलने का हक तो है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय भविष्य के लिए इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन इश्यू करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसी प्रकार मुख्य मन्त्री महोदय सर्किट हाउसेज के लिए भी इन्स्ट्रक्शन इश्यू करें। कई ऑफिसर पहले से एप्लाई कर देते हैं और जवाब आ जाता है

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
कि जगह नहीं है। मैं मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे डाक बंगलों के लिए और मुख्य मन्त्री सर्किट हाउसेज के लिए इस प्रकार की इन्स्ट्रक्शन जारी करें कि रिजर्वेशन ऑफिसर के मुकाबले में एम.एल.एज. का पहले रखा जाए और एम. एल. ए. को प्राथमिकता दी जाए।

श्री हीरालाल देवपुरा : बस, प्राथमिकता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं......

श्री बीरबल (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को हमारी एस्टीमेट कमेटी सीकर गई थी......

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, क्या उनमें यदि एक एम. एल. ए. डाक बंगले या सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं तो किसी भी ऑफिसर के लिए चाहे वह चीफ सेक्रेटरी ही क्यों न हो उनके लिए एम. एल. ए. से कमरा खाली करवाया जा सकता है। I wanted a positive answer.

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक सवाल। क्या यह अपमानजनक सदन के लिए नहीं है कि किसी एम. एल. ए. को वहां से हटाया जाकर किसी अधिकारी को रखा जाय यह अपमानजनक सदन के लिए है या नहीं, और यदि यह अपमानजनक है तो आप क्या कार्यवाही सजेस्ट करते हैं सदन के प्रांगण के ऊपर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल्स क्या हैं? यदि यह रूल्स की अवहेलना है तो वी. विल कॉल दी ऑफिसर इन दी हाउस। हमें मन्त्री की रक्षा की जरूरत नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि रूल्स क्या हैं ? हम अपने खुद की रक्षा कर सकते हैं किसी मन्त्री की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। This House is capable to protect its honour itself.

श्री अध्यक्ष (श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया से) : इसका जवाब सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं इसी के साथ जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप भी कहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह एक एम. एल. ए. का प्रश्न नहीं है, यह सारे एम. एल. एज. का प्रश्न है। आज यह श्री गुलाबसिंहजी के साथ हुआ है जो कि हमारी पार्टी के सचिव हैं। उसके बारे में एक एम. एल. ए. ने प्रश्न किया है तो इसमें जानकारी की जरूरत नहीं है, एन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। इसी के आधार पर एक्शन लेने का सदन में आश्वासन दें।

श्री बीरबल : हमारी एस्टीमेट्स कमेटी में कम्युनिस्ट पार्टी के श्री हाण्डा मेम्बर हैं। वह एस्टीमेट्स कमेटी के साथ दौरे पर गये थे और डाक बंगले पर पधारे 9.10 बजे तो चपरासी से उन्होंने कहा कि मैं एम. एल. ए. हूं और हमारी एस्टीमेट्स कमेटी यहां पर आई हुई है और मैं उनके साथ

Page No 24

(श्री बीरबल)
नहीं आ सका बाद में आया हूं और मैं ठहरना चाहता हूं। चपरासी ने कहा कि आप कौन हैं आप जाइये और बेइज्जत करके निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, आॅर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया मेरा तो यह वकिंग डे नहीं है लेकिन प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन रूल्स क्या हैं......

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर तो हैं।

श्री हरिदेव जोशी : हूं लेकिन उसका अर्थ यह नहीं हैं। रूल्स वगैरह के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह बहुत ही अनडिग्नीफाइड और अनधिकृत और बहुत ही गलत एक्टीविटी......

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अपमानजनक भी कह दें।

श्री हरिदेव जोशी : अपमानजनक भी मानता हूं। कोई भी एम. एल. ए., एम. पी. अथवा जन-प्रतिनिधि किसी जगह पर ठहरा हुआ है उससे कमरे खाली करवाये जायं। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि अगर यह ब्रीच आॅफ प्रिविलेज हो तो उसके अनुसार उसका वह किया जाना चाहिए। और उस व्यक्ति को जिसने भी यह किया है उसको हाउस के बार के समक्ष पेश किया जाय।

रह जाता है सवाल यह कि आज प्रजेन्ट रूल्स क्या हैं? मैं यह भी मानता हूं कि प्रजेन्ट रूल्स यह हैं कि अमुक जगह अमुक आदमी ठहर सकता है और अमुक नहीं ठहर सकता, अथवा यह कि अगर एक बार जिसको आपने परमिट कर दिया है और वह उस स्थान के ऊपर ठहरा हुआ है तो उसकी सुविधा का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अधिकारी को यह अधिकार है कि यदि पहले से कोई रिजर्वेशन हो तो बाद में आने वाले व्यक्ति को ना कहें कि स्थान नहीं है, किन्तु किसी को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने परमिट कर दिया है उसके बाद में आप दूसरे के लिए उससे खाली करवायें।

25 बार गुलाबसिंहजी मिले उन्होंने कुछ नहीं कहा और न माननीय मंत्री महोदया ने मुझसे इस प्रश्न के पढ़ने के पहले कुछ कहा, इसलिए इस वक्त कुछ नहीं जानता हूं, मगर पढ़ने के ऊपर ऐसा लगता है कि गलत और अपमानजनक कार्यवाही हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि गवर्नमेंट का कभी इन्टेन्शन यह नहीं हो सकता कि किसी माननीय सदस्य का अथवा इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव का इस प्रकार से अपमान किया जाय। जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर सरकार को खेद है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : नो, नो।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय......

Page No 25

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक नगरों में बनी लेबर कॉलोनियां

77. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार भीलवाड़ा नगर और अन्य औद्योगिक नगरों में बनी लेबर कॉलोनियों के मकानों में निवास करने वाले मजदूरों को बम्बई, अहमदाबाद और इन्दौर आदि राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में बनी लेबर कॉलोनियों के समान हायर परचेज पर शीघ्रातिशीघ्र मकान कब दिला रही है?

उत्तर

जी हां,

भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होते ही इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

अस्थाई राज्य कर्मचारी

78. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में क्या कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन के समय कितने कर्मचारी अस्थाई थे और आज अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? तथा इन अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में क्या दलील है ?

(स्थगित किया गया)

भीलवाड़ा जिले में गेहूं व माइलो का वितरण

87. **श्री विजयसिंह** (माण्डल) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के पड़ौसी जिले उदयपुर एवं अजमेर के देहात में इस वर्ष माह जून व जुलाई में प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं अथवा 4 किलो माइलो दिये गये थे और भीलवाड़ा जिले के देहात में 750 ग्राम गेहूं और 2 किलो माइलो दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर :

जी हां। भीलवाड़ा जिले के देहाती क्षेत्र में जून, 73 में 2 किलो, गेहूं और 2 से 4 किलो मोटा अनाज तथा जुलाई, 73 में 1 किलो गेहूं एवं 2 किलो मोटा अनाज प्रति व्यक्ति दिया गया था क्योंकि आवंटन पर्याप्त नहीं मिला और खाद्य निगम के पास स्टाक में माल कम था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संजय साप्ताहिक पत्र को विज्ञापन

56. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ (झालरापाटन) से निकलने वाले 'संजय साप्ताहिक' पत्र को

(श्री रामप्रसाद वोहरा)
जनवरी, सन् 1967 से दिसम्बर, 1972 में कितना कितना रुपया कब कब विज्ञापनों के लिए दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

'संजय' झालावाड़ को जनवरी, 67 से दिसम्बर, 72 तक निम्नांकित वर्षों में उनके सामने अंकित धनराशि का विज्ञापन दिया गया है—

1966-67	3027.40	इसमें जनवरी, 67 से मार्च, 67 तक दिया गया विज्ञापन का रुपया शामिल है।
1967-68	5143.60	
1968-69	4263.00	
1969-70	3469.40	
1970-71	3057.00	
1971-72	3492.00	
1-4-72 से 31-12-72	1493.70	

औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को भविष्य निधि

57. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि का वार्षिक ए/सी अभी तक नहीं भेजे जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे कितने (लगभग) मामले विचाराधीन हैं ?

(ग) जिन संस्थानों के भविष्य निधि सम्बन्धी मामलों में कोई कमी नहीं है उन कर्मचारियों के वार्षिक ए/सी अब कब तक भेज दिये जावेंगे ?

उत्तर

(क) यह पूर्णतया सच नहीं है कि राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का वार्षिक ए/सी फार्म अभी तक नहीं भेजी जा रही है।

अधिकांश संस्थानों के वार्षिक हिसाब की रसीदें तैयार कर भिजवाई जा चुकी हैं।

(ख) ऐसे बहुत कम संस्थान हैं जिनकी रसीदें भेजनी बाकी हैं।

(ग) ऐसे बचे हुये संस्थानो का कार्य पूरी क्षमता से कराया जाकर शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को बिना ब्याज ऋण की स्वीकृति

58. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अब तक राजस्थान स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फाईनेन्स सोसाइटी ने प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को बिना ब्याज ऋण स्वीकृत

Page No 27

(श्री अमृतलाल गहलोत)

किया है और उससे कितने गृह निर्माण होने का कार्य-क्रम है ?

(2) अब तक जोधपुर नगर की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के बिना ब्याज ऋण के लिये आवेदन-पत्र उपरोक्त फाईनेन्स सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये गये हैं और उनमें से कितनी को कितना ऋण स्वीकृत हुआ है ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त ब्याज की राशि अनुदान के रूप में उपरोक्त फाइनेन्स सोसाइटी को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण पूर्ण होना कुछ सीमा तक कई कारणों से संदिग्ध है। यदि नगरों के लिये यह धनराशि अनुदान के रूप में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को प्रदान की जाय तो नए मकानों की नई कॉलोनीज का निर्माण अनिवार्य तौर पर हो सकता है। कृपा करके यह स्पष्टीकरण करने का कष्ट करें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, उसे ब्याज की राशि अनुदान के रूप में प्रदान कर, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिए कम किश्तों के मकान नगरों में क्यों नहीं बनवाये जाते ?

उत्तर

(1) दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी द्वारा कोई ऋण बिना ब्याज स्वीकृत नहीं किया जाता है। लेकिन दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि., जयपुर द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की 131 गृह निर्माण सहकारी समितियों के 4,332 सदस्यों को 1,73,25,977 रुपयों का ऋण मंजूर किया गया है, जिसका ब्याज समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनर्भुगतान किया जाता है।

(2) जोधपुर नगर की एक गृह निर्माण सहकारी समिति जिसके 23 सदस्य हैं, को वर्ष 1972-73 में 92,000 रुपयों का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जोधपुर नगर की निम्न चार गृह निर्माण सहकारी समितियों के प्रस्ताव दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि. जयपुर के पास इस वर्ष प्राप्त हुए हैं जो कि ऋण स्वीकृत करने के लिये उनके विचाराधीन है:—

क्र.सं.	नाम समिति	सदस्य संख्या
1.	मंसूरिया अनुसूचित जाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि., नर कॉलोनी, जोधपुर	31
2.	नागौरी गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जोधपुर	19
3.	रावण का चबुतरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जोधपुर	20
4.	पुरुषार्थी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जोधपुर	18

(3) दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर को ब्याज की राशि के रूप में कोई अनुदान-स्वीकृत नहीं किया जाता है। योजनानुसार

(समाज कल्याण मन्त्री)

अनुसूचित जाति व जन जाति की गृह निर्माण सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु दी राजस्थान कोआॅपरेटिव हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि., जयपुर द्वारा जो ऋण स्वीकृत किया जाता है उसके ब्याज का पुनर्भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

दी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो कि केवल कुछ ही नगरों में गृह निर्माण कार्य करता है, के माध्यम से अनुसूचित जाति व जन जाति के सदस्यों हेतु गृह निर्माण के लिये किसी प्रकार के अनुदान देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।

वृद्धावस्था पेन्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

59. **श्री लूणाराम** (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वृद्धावस्था पेन्शन चालू हुई है, जब से लेकर जून, 1973 तक चूरू जिले में तहसीलवार कितने कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) तहसीलवार तहसीलों से जिलाधीश के पास कितने कितने प्रार्थना-पत्र जून, 1973 तक प्राप्त हुये और उनमें से तहसीलवार जिलाधीश द्वारा जून, 1973 तक कितने कितने स्वीकृत किये गये। तथा कितने अब भी विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकृत न होने या देर से होने के कारण बिना पेन्शन प्राप्त किये ही वृद्ध स्वर्गवासी हो गये ? यदि हां, तो जून, 1973 तक बिना पेन्शन प्राप्त किये तहसीलवार कितने कितने स्वर्गवासी हुए ? शेष कितने कितने तहसीलवार जून, 1973 तक पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में तहसीलवार निम्न प्रकार से वृद्धावस्था पेन्शन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं:—

सुजानगढ़	34
राजगढ़	34
डूंगरगढ़	229
रतनगढ़	8
सरदार शहर	6
तारानगर	5
चूरू	81

(2) जिलाधीश कार्यालय में जून, 73 तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किये गये प्रार्थना-पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम तहसील	प्राप्त प्रार्थना-पत्र	स्वीकृत प्रार्थना-पत्र	कॉलम 3 में अंकित प्रार्थना-पत्रों में से शेष
1	2	3	4	5
1.	सुजानगढ़	18	18	—
2.	राजगढ़	19	4	15
3.	डूंगरगढ़	112	101	11
4.	रतनगढ़	8	6	2
5.	सरदारशहर	2	1	1
6.	चूरू	55	55	—
	कुल :	214	185	29

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) जी हां, यह सही है कि तहसील राजगढ़ में बिना पेन्शन प्राप्त किये ही एक व्यक्ति व डूंगरगढ़ में 39 व्यक्ति स्वीकृति से पूर्व ही स्वर्गवास हो गये। अब निम्न प्रकार से तहसीलवार पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं:—

सुजानगढ़	18
राजगढ़	3
डूंगरपुर	101
रतनगढ़	6
सरदार शहर	1
चूरू	55

प्राप्त प्रार्थना-पत्र में से दो प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये हैं। विचाराधीन पड़े पत्रों के लिये सम्बन्धित तहसीलदारों का निरीक्षण के समय मामले अविलम्ब निपटाने की हिदायत जिलाधीश द्वारा कर दी गई है।

जिला गंगानगर में खाद का बटवारा

60. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर में तहसीलवार रवी की फसल कितनी बोई जाने की आशा है और उसमें कितनी खाद की और किस किस किस्म की आवश्यकता होगी ?

(2) सरकार कितनी और किस किस किस्म की खाद का प्रबन्ध कर रही है और वह तहसीलवार कितनी कितनी दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि खरीफ फसल में सरकार किसानों को खाद देने में असमर्थ रही है और खाद का वंटवारा ठीक ढंग से नहीं हो सका जिस कारण बहुत से किसानों को आज तक खाद नहीं मिल पा रही है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में ऐसा प्रबन्ध करेगी कि हर किसान को उसकी जरूरत के अनुसार खाद मिल सके ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में रबी 73-74 की फसल निम्न क्षेत्र में वोई जाने की संभावना है:—

(क्षेत्र हैक्टरों में)

क्रमांक	फसल	सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	कुल क्षेत्र
1.	गेहूं	1,78,000	40,000	2,18,000
2.	जौ	4,000	36,000	40,000
3.	चना	1,29,000	3,45,000	3,74,000
4.	तिलहन	76,000	—	76,000

(कृषि मन्त्री)

उपरोक्त फसल के लिए विभागीय सिफारिशों के अनुसार खाद की आवश्यकता निम्न प्रकार होगी:—

खाद्यान्न	एन.	पी.	के.	(मात्रा टनों में)
गेहूं	10,680	5,340	3,560	
जौ	1,100	1,000	—	
दालें				
चना	1,290	3,870	—	
तिलहन	3,040	2,280	2,280	

तहसीलवार फसल बोई जाने की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रबी, 1973-74 (अगस्त, 1973 से जनवरी, 1974) में श्री गंगानगर जिले के लिए कुल 10,325 मै. टन नत्रजन, 2500 मै. टन फासफेटिक एवं 1100 मै. टन पोटाश खाद का प्रबन्ध किया गया है जिसका विशेषतया नत्रजन का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. श्रीराम केमिकल्स, कोटा	3258 मै. टन, एन.
2. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी, बड़ौदा	450
3. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नांगल	376
4. इण्डिया एक्सपलोजिव लि., कानपुर	444
5. केन्द्रीय पूल से	5,797
	10,325 मै. टन एन.

(3) जी नहीं। गत खरीफ में श्री गंगानगर जिले में खाद वितरण के लक्ष्य 7,500 मै. टन नत्रजन खाद के थे तदनुसार जिले में 693 मै. टन नत्रजन का पिछला स्टॉक था और 3,021 मै. टन पूल से तथा 3,786 मै. टन अन्य उर्वरक उत्पादकों द्वारा प्राप्त होना था। पूल से 1,111 मै. टन तथा उर्वरक उत्पादकों से 3,323 मै. टन एन. प्राप्त हुआ इस प्रकार का 5,127 मै. टन नत्रजन खरीफ के लिये उपलब्ध हो गया। खाद वितरण में अनियमितता को रोकने हेतु जिले के जिलाधीश द्वारा परमिट प्रणाली से खाद वितरण किया गया और किसी को खाद नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) सरकार भविष्य में उर्वरक उपलब्धि के आधार पर फसल की आवश्यकतानुसार खाद की आपूर्ती के लिए पूर्ण प्रयत्नशील है। वस्तुत: किसानों को खाद आसानी से उपलब्ध हो इसके लिये खाद का

(कृषि मन्त्री)
वितरण रेवन्यू की पर्ची वर्ष 1972-73 के आधार पर किया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

गन्ने का उत्पादन

61. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) वर्ष 1972-73 में जिला बूंदी में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ है ? मिल द्वारा किसानों से वह गन्ना किस कीमत पर खरीदा गया और इस वर्ष 1973-74 में गन्ने का कितना उत्पादन होने की आशा है और उसकी किसानों को क्या कीमत दी जायेगी ?

(ख) क्या यह सच है कि 1972-73 से आज 1973-74 में गन्ने के उत्पादन पर अधिक खर्चा आया है और कारखाना में कीटनाशक दवाइयां, खाद आदि देने की कोई सुविधा किसानों को इस वर्ष नहीं दी गई है ? ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार जिला बूंदी में गन्ने की कीमत पिछले वर्ष से अधिक निश्चित करना उपयुक्त समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) (1) बूंदी जिले में सन् 1972-73 में गन्ने का उत्पादन अनुमानतः 2,11,920 टन हुआ ।

(2) मिल द्वारा यह गन्ना 15 रुपये प्रति क्विन्टल से कृषकों से खरीदा गया ।

(3) वर्ष 1973-74 में 3,08,000 टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान है। कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो अभी तक तय नहीं हुई है ।

(ख) (1) इस प्रकार के आंकड़े इस विभाग में एकत्रित नहीं किये गये ।

(2) जी नहीं । कारखाना अपनी गारंटी पर किसानों को को-ऑपरेटिव बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा क्रॉप लोन जिसमें बीज, खाद, कीटनाशक औषधियां शामिल हैं इस वर्ष उपलब्ध करा रहा है ।

(3) गन्ने की कीमत भारत सरकार निर्धारित करती है ।

जिला जैसलमेर में अकाल राहत में खडीनों का निर्माण

62. श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में वर्ष 1968-69, 1969-70 व 1972-73 में अकाल राहत में कितने खडीनों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया ? कृपया नामों की सूची दें ।

(2) उपरोक्त कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इनमें से इस साल की वर्षा में कितने खडीन क्षतिग्रस्त हो गये ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में सिंचाई विभाग के माध्यम से वर्ष 68-69 में 46, 69-70 में 110 तथा 72-73 में 58 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये । नामों की सूची संलग्न है ।

Page No 32

(अकाल राहत मन्त्री)

(2) उपरोक्त कार्यों पर कुल 49,40,283 रुपये धनराशि व्यय हुई इनमें से 15 खडीन टूटे व 67 खडीन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला सवाई माधोपुर से मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध

63. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने जिला सवाई माधोपुर से मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा रखा था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतिबन्ध के बावजूद कृषकों को अपनी फसल को जिले के बाहर ले जाकर बेचने की छूट थी ?

(3) सवाई माधोपुर जिले के कितने कृषक अपने माल को बेचने के लिये कितनी तादाद में अन्य जिले में ले गये थे ?

(4) क्या अधिकारियों ने माल ले जाने के पूर्व तसदीक की थी कि वास्तव में माल उनके खेतों के द्वारा ही उत्पादित है ?

(5) उप खण्ड सवाई माधोपुर से कितनी तादाद में ज्वार अन्य जिलों में कृषकों के द्वारा भेजी गई ? अलग से बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केवल अनुज्ञा-पत्र धारियों पर प्रतिबन्ध था।

(2) जी हां।

(3) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) सूचना उपलब्ध नहीं है।

सिरोही जिले में डबल रोटी बनाने वालों को मैदा का परमिट

64. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सिरोही जिले में गत एक वर्ष में डबल रोटी बनाने वालों को किस किस माह में कितनी कितनी मैदा का परमिट दिया गया ? कृपया नामवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

नागौर जिले के अकाल राहत कार्य

65. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में ऐसे कौन कौन से अकाल राहत कार्य हैं जो राज्य सरकार ने स्वीकृत किये, मगर विभागों ने उन पर काम चालू नहीं किया और उसके क्या क्या कारण थे ?

(2) नागौर जिले में ऐसे कौन कौन से अकाल राहत कार्य हैं जो अब भी अधूरे हैं एवं उन पर क्या क्या काम होना शेष है तथा उसके लिये कितनी कितनी धनराशि और चाहिये ?

Page No 33

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(3) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में से किस किस काम का कितना कितना भुगतान विभिन्न विभागों का कब कब से अभी तक यानि ता. 15-9-73 तक नहीं हो पाया है ? राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, भू-संरक्षण विभाग के ऐसे कार्यों की सूची मय बकाया रही रकम व उसके अब तक भुगतान नहीं होने के कारणों सहित विवरण पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

माण्डल तहसील को रबी की फसल योग्य भूमि

66. **श्री विजयसिंह (मांडल)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

माण्डल तहसील में रबी की फसल योग्य भूमि कितनी है तथा इस वर्ष रबी की फसल कितने एकड़ भूमि में बोई जायेगी ? और राज्य सरकार द्वारा कितना बीज इसके लिये दिया जाना है ?

उत्तर

माण्डल तहसील में रबी की फसल योग्य भूमि अनुमानतः 35,000 एकड़ है जो कि इस वर्ष बोई जावेगी। पंचायत समिति द्वारा मांगा गया निम्नलिखित बीज विभाग से भिजवाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

गेहूं मैक्सीकन	700 क्वि.
जौ	150 ,,
चना आर. एस. 10	450 ,,

अनाज का परमिट

67. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 1 जनवरी, 1973 से अब तक खाद्यान्न ले जाने हेतु किस किस व्यापारी को किन किन शर्तों के साथ कितने कितने अनाज का परमिट दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कालावधि में राज्य के बाहर से राज्य में आयात करने हेतु किस किस व्यापारी को कितने कितने और किस किस प्रकार के अनाज का किन किन शर्तों पर परमिट दिया गया ?

(3) उक्त कालावधि में राज्य से कितने और किस प्रकार के खाद्यान्न के बाहर ले जाने का कितने कितने अनाज का किस किस व्यापारी को कब कब परमिट दिया गया और क्यों ?

(4) उपर्युक्त परमिट किस किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

68. **श्री चेतराम (टोडाभीम)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा किन किन क्लोजली कनेक्टेड ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को कितना कितना ऋण दिया गया है ?

(श्री चेतराम)

(2) क्या यह सही है कि निगम के ऋण की राशि कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में जा रही है ?

(3) क्या निगम ने किन्हीं उद्योगों को डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टी दी है ? यदि हां, तो किस किस उद्योग को और कितनी कितनी धनराशि की तथा उसका अभिप्राय क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन क्लोजली कनेक्टेड ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को जो ऋण दिये गये हैं, उनका विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी हां। राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन जिन उद्योगों को डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टी दी गई है उसका विवरण सलग्नक (ख) में दिया गया है। इनको डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टी देने का अभिप्राय: यह है कि जिससे ऋणी संस्थान प्लांट एवं मशीनरी उधार पर खरीद सकें। इन मशीनरीज को कीमत के बजाय मशीनरी सप्लायर्स अलग अवधि के बिल्स ड्रा करते हैं जिनका निश्चित तिथि पर ऋण संस्थान द्वारा पेमेन्ट कर दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

लालसोट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग

69. **श्री मोठालाल मीणा** (लालसोट): क्या औद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लालसोट (जयपुर) में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु की गई मांगों के बारे में क्या राज्य सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यदि कुछ उद्योगपतियों/व्यक्तियों से लालसोट (जयपुर) में उद्योग लगाने की निश्चित सूचना प्राप्त होगी तो वहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी। इससे पूर्व क्षेत्र का टेक्नो इकोनॉमिक सर्वेक्षण कराया जावेगा।

जयपुर शहर के औद्योगिक क्षेत्र

70. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) **श्री मोठालाल मीणा** (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर के अन्दर व आस-पास कितने औद्योगिक क्षेत्र (वस्तियां) हैं ?

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में आराजी अलॉट कराने के लिये गत पांच वर्षों में कितने आवेदन-पत्र आये ?

(3) उक्त आवेदकों में से किन किन उद्योगों को जमीने अलॉट की गई ? तथा उक्त उद्योगों में साझेदारों का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इनमें से कितने आवेदन-पत्र अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उद्योगपतियो ने प्रस्तुत किये तथा उनमें से किन किन को कब कब, कहां कहां, कितनी कितनी आराजी अथवा भू-खण्ड अलॉट किए गये ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(5) भू-खण्ड अलॉट करने के नियम क्या हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में व आस पास निम्न औद्योगिक क्षेत्र हैं ।

(क) झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र ।

(ख) सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र ।

(ग) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र ।

(घ) मालवीया औद्योगिक क्षेत्र ।

औद्योगिक वस्ती बाइस गोदाम में है ।

(2) उद्योग विभाग में 489 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा 683 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ।

(3) सूची 'क' संलग्न है ।

(4) यह सूचना बताना संभव नहीं है क्योंकि इस सूचना के बारे में आवेदन-पत्र में कोई कॉलम नहीं है ।

(5) उद्योग विभाग भू-खण्ड आवंटन राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया एलाटमेंट रूल्स, 1959 के अन्तर्गत किये जाते हैं । राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा प्लॉट सूची 'ख' में दिये मुख्य आधारों एवं शर्तों पर दिये जाते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बामनवास पुलिस चौकी के मुंशी के के खिलाफ शिकायत

71. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की बामनवास पुलिस चौकी के मुंशी श्री बुनियाद अली के विरुद्ध जनता की भारी शिकायतें होने के बावजूद भी आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न स्थानान्तरण ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मुंशी जब गंगापुर थाने में 1969-70 में थे उस समय उन्होंने एक गम्भीर जालसाजी का कांड किया था जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सुपरिटेंडेन्ट पुलिस सवाई माधोपुर ने इनकी सर्विस बुक में यह नोट लगाया था कि इन्हें कभी भी लाइन के अतिरिक्त किसी थाने या चौकी पर न लगाया जावे ?

(ग) यदि हां, तो इन्हें दण्ड न देकर किसी चौकी पर कैसे लगाया गया तथा वापिस लाइन में कब तक भेजा जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी नहीं, श्री बुनियाद अली मुन्शी, पुलिस चौकी, बामनवास के विरुद्ध जनता की भारी शिकायतें नहीं हैं । श्री कुंजी लाल मीणा साकिन बामनवास ने श्री बुनियाद अली के विरुद्ध केवल एक शिकायत की है जिसमें उसने यह आरोप लगाया है कि श्री बुनियाद अली मु. नं. 53/73 व 64/73 के मुलजिमानों को पेश कराने के

Page No 36

(गृह मन्त्री)
लिये उस पर नाजायज दबाव डाल रहा है। इस शिकायत पर दोनों मुकदमों की तफतीश अपर अधीक्षक पुलिस, करौली को तबदील कर दी गई है।

(ख) जी नहीं, सन 1968-69 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर ने श्री बुनियाद अली मुंशी की सेवा पुस्तिका में यह नोट दिया है कि उसने थाने के रोजनामचे में सिपाही नूर मुहम्मद की आमद का फर्जी इन्द्राज किया है तथा वह शरारती व नाकाबिल ऐतबार है। इस इन्द्राज पर श्री बुनियाद अली के विरुद्ध विभागीय जांच कर उसका 3 साल का ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोक दिया गया था। उसकी सेवा पुस्तिका में यह इन्द्राज नहीं है कि उसे किसी थाने या चौकी में नहीं लगाया जावे और पुलिस लाइन में ही रखा जावे।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम तौलियासर तहसील डूंगरगढ़ का ट्यूब वैल

72. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तौलियासर, तहसील डूंगरगढ़, जिला चूरू में एक ट्यूब वैल इस चालू वित्तीय वर्ष 1972-73 में बनवाया गया ?

(2) क्या यह ट्यूब वैल भू-गर्भ शास्त्रियों की जांच के पूर्व खोदा गया या बाद में ?

(3) क्या यह सही है कि ट्यूब वैल में मीठा व अथाह पानी मिल गया था और बाहर फेंका गया ?

(4) क्या यह सही है कि बोरिंग के बाद पम्प डालने व कंकर डालने में काम करने वाली पार्टी की लापरवाही के कारण पानी रुक गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए पानी न होने की रिपोर्ट बतलाई ?

(5) यदि हां, तो जब पानी था ही नहीं तो उन्हें बाद में जालीदार पाइप व कंकर डालने की क्यों आवश्यकता पड़ी जबकि असफल कुओं में ऐसा नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भू-गर्भ शास्त्रियों की जांच के पश्चात् यह नलकूप खोदा गया है।

(3) जी नहीं, मीठे पानी की केवल एक सतह जिसमें भी सीमित पानी था, मिली थी।

(4) जी नहीं, पम्प डालने या कंकर डालने आदि के कार्य में कोई लापरवाही नहीं की गई तथा कुए में अभी भी विकास का कार्य चल रहा है।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर, शिक्षा निरीक्षक द्वारा सामानों की खरीद

73. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर, शिक्षा निरीक्षक द्वारा वर्ष 1972-73 व 1973-74 के लिए कितने कितने सामान की विभिन्न पाठ-

(श्री रामसिंह कुंडी)

शालाओं में वितरित करने हेतु किस किस रेट पर किस किस तारीख को स्वीकृत टेन्डरों के आधार पर किस किस फर्म से खरीद की गई ?

(2) नागौर, शिक्षा निरीक्षक द्वारा वर्ष 1972-73 व 1973-74 के लिए की गई खरीद बाबत 'क्या कोई चेकिंग या इन्सपेक्शन नोट विभाग में या ऑडिट में तैयार किया गया ? यदि हां, तो ऐसे नोट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। सूची में अंकित है।

(2) शिक्षा निरीक्षक, नागौर द्वारा वर्ष 1972-73 में की गई खरीद बाबत ऑडिट नोट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। वर्ष 1973-74 का ऑडिट अभी तक नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सनातन धर्म पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मंडावा का सहायक अध्यापक

74. श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सनातन धर्म पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मण्डावा (झुंझुनूं) की प्रबन्ध समिति ने श्री वासुदेव मिश्र, सहायक अध्यापक को बिना किसी कारण के ही सेवा से पृथक् कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यालय निरीक्षक, जिला झुंझुनूं ने उक्त मामले की जांच की ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति के निर्णय को अवैध ठहराया व उक्त अध्यापक को तुरन्त सेवा में वापिस लेने का आदेश दिया ? यदि हां, तो अध्यापक को अभी तक ड्यूटी पर क्यों नहीं लिया गया ?

उत्तर

(1) सनातन धर्म पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मण्डावा (झुंझुनूं) की प्रबन्ध समिति ने श्री वासुदेव मिश्र, सहायक अध्यापक को सेवा से पृथक् इसलिए किया क्योंकि इनके विरुद्ध कई गम्भीर आरोप थे जैसे परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी, साथियों के साथ मारपीट एवं गाली गलोच करना, शैक्षणिक कार्य में शिथिलता आदि।

(2) यह सही है कि इस मामले में विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनूं ने जांच की। जांच की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक ने श्री वासुदेव मिश्र की सेवा मुक्ति को नियमानुकूल नहीं बताया है और

(शिक्षा मन्त्री)

विद्यालय निरीक्षक ने यह आदेश दिया कि श्री वासुदेव मिश्र की दो वेतन वृद्धि रोक कर जो भविष्य में प्रभावशील न हों उन्हें दिनांक 1-3-72 से बहाल किया जावे। विद्यालय निरीक्षक के इस आदेश के विरुद्ध सनातन धर्म उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मण्डावा (झुंझुनूं) ने अपील की है जिसमें यह कहा गया है कि विद्यालय निरीक्षक ने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया, एक तरफा निर्णय लिया, पक्षपात किया तथा कई तथ्यों को छिपाया है। इस सम्बन्ध की अपील की सुनवाई संयुक्त निदेशक जयपुर-अजमेर वृत्त द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी तक दो बार सुनवाई हो चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले के नलकूप

75. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या भूतल जल बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में अब तक कितने नलकूप किन किन एजेन्सियों एवं विभागों द्वारा खोदे गये हैं ? उनकी क्या क्षमता है? विवरण देते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त नलकूपों में से कितने नलकूप सफल हुये हैं और कमिशन हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त नलकूपों में से कितने नलकूप किस विभाग द्वारा किस प्रकार कार्य में लाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले में क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण एवं नगरीय नल योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट

76. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग राजस्थान ने बाड़मेर जिले में जल कष्ट समस्या के निवारण हेतु किन किन क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण एवं नगरीय नल योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण तौर से तैयार कर दी है ?

(2) क्या यह सही है कि धनराशि के अभाव में उक्त योजना स्वीकृत नहीं हुई है ? ऐसी योजनायें जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है उनकी सूची जल स्रोत का नाम, योजना में लिये जाने वाले ग्रामों के नाम, सन् 71 के आधार पर जनसंख्या, जिसके लिये योजना बनाई जा रही है एवं योजना के अनुमानित लागत का विवरण देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां, इस समय किसी भी नई जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। तैयार योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रश्न 1 में संलग्न सूची में दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

लालसोट सैकन्डरी स्कूल में कॉमर्स विषय खोलने की मांग।

77. श्री मोठालाल (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जयपुर जिले के लालसोट सैकण्डरी स्कूल के छात्रों ने गत दिनों स्थानीय स्कूल में कॉमर्स विषय सहित कुछ अन्य विषय खुलवाने हेतु मांग कर आवश्यक धनराशि जमा कराने के लिये कहा था ? यदि हां, तो उक्त स्कूल में उक्त विषय न खोलने के क्या कारण थे ? भविष्य में वाणिज्य विषय कब तक खोले दिये जावेंगे ?

उत्तर

सत्र 73-74 के अन्दर राज्य सरकार ने किसी भी विद्यालय में राजकीय व्यय से अतिरिक्त विषय खोले जाने का प्रावधान नहीं रखा है। अतिरिक्त विषय उन्हीं विद्यालयों में खोले गये हैं जहां कि निवासियों ने इस अतिरिक्त विषय को चलाने के लिये चालू अकेडेमिक सेशन का रैकरिंग और दो साल का नॉन रैकरिंग व्यय देना स्वीकार किया है तथा जहां छात्र संख्या पर्याप्त हो व विषय खोलने की आवश्यकता हो। वाणिज्य विषय खुलवाने हेतु जन सहयोग द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करवाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव लालसोट के नागरिकों की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री जी. डी. रुइया सैकन्डरी स्कूल रामगढ़ शेखावाटी के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

78. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री आर.पी. गर्ग, प्रधानाध्यापक श्री जी. डी. रुईया सैकण्डरी स्कूल, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु स्कूल से संबंधित रिकार्ड विद्यालय निरीक्षक, सीकर के कार्यालय में गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जांच के परिणाम से डर कर शिक्षा विभाग, सीकर के पास लाये गये रिकार्ड को श्री गर्ग ने निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को दिखाने का धोखा देकर सम्बन्धित रिकार्ड बिना जांच कराये ही प्राप्त कर लिया और समाचार पत्रों में इस रिकार्ड को गायब घोषित करे दिया ?

(3) क्या यह सही है कि इस विद्यालय में गत 15 वर्षों से अभी तक कोई स्टॉक रजिस्टर ही नहीं बना है और स्टॉक रजिस्टर के अभाव में श्री गर्ग स्कूल के सामान का निरन्तर गबन करते आ रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि स्कूल को राज्याधीन लेने के अवसर पर स्कूल का स्टॉक रजिस्टर एवं पुराना रिकार्ड तक नहीं देखा गया और स्कूल को राज्याधीन कर लिया गया ? यदि हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि बीकानेर जांच हेतु भेजने के लिये विद्यालय निरीक्षक, सीकर के कार्यालय से श्री आर. पी. गर्ग ने रिकार्ड वापिस ले लिया व उसे खो जाना बताया।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) यह सही है कि गत 15 वर्षों से विद्यालय में स्टॉक रजिस्टर नहीं रखे गये हैं। रिकार्ड के अभाव में यह कहना सम्भव नहीं है।

(4) नये स्टॉक रजिस्टर जो प्रस्तुत किये गये उसके आधार पर चार्ज लेकर संस्था को राज्याधीन किया गया।

जल समस्या

79. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की जल समस्या को हल करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया था ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त समस्या के हल के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में कितनी कितनी राशि अब तक जिलेवार ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय हुई ? अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समस्या के हल के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितनी राशि व्यय कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पेय जल समस्या के निवारण हेतु नगरीय क्षेत्र में 11 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के लिये जो 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है उसमें से 16 करोड़ रुपये जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा पेय जल योजनाओं के निर्माण हेतु व्यय किया जाना था जबकि शेष 4 करोड़ रुपये सार्वजनिक विभाग एवं विकास विभाग द्वारा क्रमशः राजस्थान नहर क्षेत्र में डिग्गियों के निर्माण एवं साधारण कूओं के निर्माण हेतु व्यय किये जाने थे।

(2) उक्त समस्या के हल के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो व्यय किया गया उसके आंकड़े जिलेवार ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं से सम्बन्धित संलग्न तालिकाओं में दर्शाये गये हैं।

(3) उक्त समस्या के हल के लिये राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र में 34.50 करोड़ (लगभग) तथा नगरीय क्षेत्र में 24.50 करोड़ राशि व्यय की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दौसा पंचायत समिति क्षेत्र के स्कूलों के प्रधानाध्यापक

80. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में चालू सत्र में कितनी प्रारम्भिक शालाओं को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया ?

Page No 41

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापक लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक लगा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) दौसा पंचायत समिति क्षेत्र में 9 (नौ) प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया।

(2) उक्त सभी उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक लगा दिये गये हैं।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें

81. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

स्वीकृत ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें प्रत्येक जिले में कितनी निर्माणाधीन हैं तथा प्रत्येक योजना की लागत क्या है तथा प्रत्येक की स्वीकृति के क्या आधार हैं ? कृपया जिलेवार योजनाओं के धन का आवंटन बतायें ?

उत्तर

स्वीकृत निर्माणाधीन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की जिलेवार सूची मय योजनाओं की लागत के व इस वित्तीय वर्ष में आवंटन राशि के संलग्न हैं। ये योजनायें राज्य सरकार के नीति निर्देश क्रमांक यू. ओ. नोट नं. एफ. 3 (12) प्लान /68, दिनांक 4-7-1969 (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार स्वीकृत की गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

दौसा वृहद् जलदाय योजना का कार्य

82. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दौसा वृहद् जलदाय योजना का कार्य कब तक पूरा किया जा सकेगा तथा इसमें विलम्ब का क्या कारण रहा है ? क्या सरकार इसे उच्च प्राथमिकता देकर शीघ्र पूरा करा देगी ?

उत्तर

दौसा वृहद् जल प्रदाय योजना से माह अक्टूबर, 1973 में ही जल देना प्रारम्भ कर दिया जावेगा। कार्य में विलम्ब ठेकेदारों द्वारा काम छोड़ दिये जाने व बिजली बोर्ड से समय पर बिजली कनेक्शन न मिल पाने के कारण हुआ है। इस योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा।

ग्राम धनेरु, तहसील-श्री डूंगरगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा बनाये गये होज व क्वार्टर्स

83. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धनेरु, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू में जलदाय विभाग द्वारा होज व क्वार्टर बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत ?

(2) उक्त होज की लम्बाई व चौड़ाई क्या है, इसे किस ठेकेदार से बनवाया गया तथा किस माह, सन् तथा किन शर्तों पर

(श्री लूणाराम)
ठेका दिया गया व कब काम सम्पन्न हुआ व कुल कितना खर्च होकर अन्तिम भुगतान कब किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि बीदासर-बरजागसर पानी की लाइन से इस हौज में पानी डाल कर परीक्षण किया गया तो इसमें पानी कतई नहीं ठहरा ? यदि हां, तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि जून, 73 के इर्द-गिर्द इस हौज की मरम्मत करवाई गई ?

(5) यदि हां, तो क्या मरम्मत शुदा होज की मजबूती ओरजिनल मजबूती के अनुसार ही रही है ?

(6) क्वार्टर कुल कितने व किस साइज के बनाये गये है ? किस सन् व किस माह में किस अधिकारी द्वारा ठेका दिया गया ? कब कार्य सम्पन्न हुआ तथा अन्तिम भुगतान न होने तक कुल कितना खर्च हुआ ?

(7) अब यह क्वार्टर किस उपयोग में आ रहे हैं तथा किसके अधिकार में रखे गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम धनेरु तहसील श्री डूगरगढ़, जिला चूरू में जलदाय विभाग द्वारा एक हौज व दो सेट एच. टाइप क्वार्टर बनवाये गये हैं। यह जल प्रदाय योजना बीदासर के अन्तर्गत बने हैं।

(2) उक्त हौज 40,000 गैलन क्षमता का है। यह कार्य मैसर्स सुजानगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., सुजानगढ़ द्वारा और कुछ बकाया कार्य मैसर्स लाडनू सहकारी ठेका समिति लि., लाडनूं द्वारा किया गया यह ठेका माह जनवरी सन् 1970 में मैसर्स सुजानगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., सुजानगढ़ को दिया गया और माह जनवरी, 1971 में बकाया कार्य का ठेका मैसर्स लाडनूं श्रमिक सहकारी समिति लि., लाडनूं को दिया गया। ठेके की शर्तों का पन्ना संलग्न है। कार्य माह मई सन 1971 में सम्पन्न हुआ और कुल खर्च 3,770/-रुपये हुआ। अन्तिम भुगतान माह जून सन् 1971 में मैसर्स लाडनूं श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., लाडनूं को किया गया। और मैसर्स सुजानगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., सुजानगढ़ का अन्तिम भुगतान नहीं हुआ।

(3) जी हां, यह सही है कि हौज में पानी डालकर परीक्षण किया गया था तो लीकेज अधिक पाई गई थी। लीकेज को मिटाने हेतु विभागीय स्तर पर मैसर्स सुजानगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति की रिस्क एवं कॉस्ट पर ठीक करवा दिया गया था।

(4) हां यह सही है कि माह मई, 1973 में इस हौज की विभागीय स्तर पर मरम्मत करवाई गई।

(5) हां, मरम्मत शुदा हौज का पूर्ण क्षमता पर परीक्षण हो चुका है। और परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मजबूती ओरीजिनल मजबूती के अनुसार है।

(6) धनेरु में दो सेट एच टाइप क्वार्टर बनवाये गये। एक सैट की लम्बाई 39 फीट 3 इन्च व चौड़ाई 28 फीट 10 इन्च है। यह माह जनवरी, 70 में

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, चूरू द्वारा ठेका दिया गया और कार्य माह जून, 71 में सम्पन्न हुआ। इसमें प्रथम ठेका मैसर्स शाहपुरा भवन निर्माण श्रमिक ठेका सहकारी समिति, जोधपुर को दिया गया था परन्तु कार्य पूरा न करने पर बकाया कार्य का ठेका मै. बीदासर आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति, बीदासर को दिया गया इस पर कुल खर्चा 28,021/- रुपये हुआ।

(7) अब ये क्वार्टर बीदासर जल योजना के तकनीकी कर्मचारी व चौकीदार के रहने के उपयोग में आ रहे हैं तथा सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग सुजानगढ़ व अधिदर्शक प्रभारी जल योजना, बीदासर के अधिकार में हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री प्रतापसिंह व सुरेशचन्द्र, सदस्य, विधान सभा की ओर से (श्री हरिदेव जोशी और श्रीमती सुमित्रा के बातचीत करते रहने पर) प्लीज ! किशनगढ़ जल-प्रदाय द्वारा किशनगढ़ के नागरिकों को कीटाणुयुक्त जल-वितरण करने के सम्बन्ध में ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं यह अर्ज कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : मैं बैठ जाऊं। Should I sit for some time. मैं बैठ जाऊं क्या घण्टे भर ?

(2) सर्व श्री सुरेशचन्द्र और मीठालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका कोटपूतली के सदस्यों के साथ वहां के अध्यक्ष के समर्थकों द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में,

(3) सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, केशरीमल व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूतपूर्व महाराजा अलवर के पुत्र द्वारा नाजायज तौर से जमीन बेचने के सम्बन्ध में,

(4) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में मौहल्ला व्यापारियान में अवैध शराब, जुआ आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में,

(5) सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से कडाणा बान्ध के सम्बन्ध में राजस्थान एवं गुजरात के बीच हाल ही में हुए समझौते के विषय में,

(6) सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा, अजीतसिंह व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील मण्डावर के एक अध्यापक की गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी के सम्बन्ध में,

टोंक नगर निवासी श्री राधेश्याम हरिजन के दो पुत्रों को डी. आई. जी. पुलिस की कार द्वारा कुचल दिये जाने के सम्बन्ध में, एवं वन विभाग के 300 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर देने के सम्बन्ध में,

(7) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दो भिन्न-भिन्न प्रस्तावों द्वारा क्रमशः पंचायतों

Page No 44

(श्री अध्यक्ष)
व नगरपालिकाओं के चुनाव न होने के सम्बन्ध में तथा श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर नगर परिषद् के चुनाव न होने के सम्बन्ध में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

इनके अतिरिक्त पूर्व में निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई थी:—

(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर मिल्क डेरी स्कीम द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध में दूध की मात्रा नहीं होने के बावत है, इस सम्बन्ध में,

(2) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री, उम्मेदीलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक नगर में दिनांक 9-9-1973 को हुई आगजनी, मारपीट आदि की घटनाओं के सम्बन्ध में,

(3) सर्व श्री केदारनाथ, योगेन्द्रनाथ हांडा, गुरुदयालसिंह सन्धु, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा, उम्मेदीलाल व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में हाल ही में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में,

इन तीनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से सदन में अलग अलग वक्तव्य दिये जायें, इस आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) सर्व श्री जोधिंग व विट्ठलभाई, सदस्य, विधान सभा ने बांसवाड़ा में कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी सम्बन्ध में सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा, उम्मेदीलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने भी पूर्व में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। साथ ही सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव और मोहम्मद गफ्फार अली, केशरीमल व निरंजननाथ आचार्य, सदस्य, विधान सभा ने राज्य कर्मचारियों के गत आन्दोलन के दौरान दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में अलग अलग स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। चूंकि सदन में राज्य कर्मचारियों की गत हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे दिनांक 12-10-1973 को चर्चा हो रही है। अतः उस समय माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचन भी प्राप्त हुई है:—

1. सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, केशरीमल व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अखिल भारतीय स्टुडेण्ट्स फैडरेशन की राजस्थान कमेटी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत एक मांग-पत्र के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव किसी एक घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोक-महत्त्व का भी नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की कुछ जमीन पर जयपुर महाराज द्वारा जबरदस्ती कब्जा किये जाने के प्रयत्न के सम्बन्ध में। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. सर्वश्री केशरीमल व योगेन्द्रनाथ हांडा सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ फार्म के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में। इस विषय में पूर्व में एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रखी गई भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतिहास तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति नामक दो पुस्तकों में सिक्खों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है, इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का भी नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान सरकार द्वारा किराया बेदखली कानून में संशोधन न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का नहीं है। इस विषय पर सदन में एक विधेयक कल ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और इस पर विचार के समय माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

6. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी दी है:—

1. जयपुर में अक्टूबर मास में वितरण किये जाने वाले गेहूं में 4 किलो से घटा कर 3 किलो कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

2. जयपुर शहर के लिए किये गये घी के आवंटन में कमी के सम्बन्ध में।

ये विषय अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के नहीं हैं और इन पर सदन में कल व परसों चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में, इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय समाविष्ट कर दिये गये हैं, अतः मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. राज्य के शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध श्री बिशनसिंह शेखावत द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में, पूर्व में इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है और यह अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का विषय नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

9. सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केशरीमल और रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूर्व में आयुर्वेद विभाग द्वारा दवाइयों

(श्री अध्यक्ष)
में मिलावट के मामले को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी।

इसी प्रकार श्री सुरेशचन्द्र, मीठालाल व मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान के कोटे की बिजली उत्तरप्रदेश को देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

ये दोनों ही प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पंचायत समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में दिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रस्ताव पहुंचने की बात है। कल माननीय गुमानमल जी का प्रस्ताव पहले पहुंच गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप का प्रस्ताव तो नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आप बोलना भी पसन्द नहीं करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं जिस प्रश्न को सदन के सामने रखना चाहता हूं, वह राजस्थान की अधिकतर नगरपालिकाओं का समय अगले मास में समाप्त होने वाला है। नगरपालिका कानून के अनुसार शासन चुनाव के लिये समय से पहले कार्य करे और चुनाव करवा लें, अन्यथा जनतन्त्र पद्धति स्वायत्त शासन संस्थाओं में समाप्त हो जाती है। फिर वहां एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किये जाते है। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न पर कि राजस्थान विधान सभा 6 महीने के बाद मिल रही है। इसके पश्चात् फिर 6 महीने बाद मिलेगी। जनता यह जानना चाहती है। यह नगरपालिकाओं के चुनावों का प्रश्न नहीं है। यह जनतन्त्र के मूल्यों का प्रश्न है। क्या हम इन चुनावों को करायेंगे या नहीं ? या मन्त्री महोदय वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की इच्छा रखते हैं। मेरा निवेदन है कि यह स्वायत्त शासन संस्थाओं के मूलभूत अधिकारों का प्रश्न है। मैं चाहूंगा, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेश देते हैं। मैं यह भी चाहूंगा, सत्र की समाप्ति के पहले पहले अधिकारिक घोषणा की जाये, नगरपालिका के कब चुनाव कराये जायेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये जायेंगे। अगर नहीं कराये जायेंगे तो इसके बारे में माननीय सदस्यों को विचार करने का अवसर मिले।

एक प्रस्ताव इससे भी महत्त्वपूर्ण है। वह है सारी पंचायत समितियों के चुनावों के बारे में। कल भी चर्चा हुई लेकिन खेद है कि मन्त्री महोदय चुप्पी साधे बैठे हैं। राजस्थान की जनता को 1965 के बाद 1973 में यह बताने की स्थिति में नहीं हैं। गिरधारीलाल व्यास कमेटी का निर्माण किया है। माननीय सदस्य जानकारी करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है। कइयों के प्रस्ताव हैं। जानकारी करने के लिए भेजा गया है। अगर वह नहीं स्वीकार होता

Page No 47

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)
है, तो हमको भी अधिकार मिलता है, बोलने का।

श्री अध्यक्ष : अभी आप यह कैसे मानते हैं कि अस्वीकार हो गया ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा यह निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, समय निश्चित कर दें ? क्योंकि गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट सदन के अन्दर वितरित कर दी गई है । टू टायर सिस्टम रहेगा या थ्री टायर सिस्टम रहेगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो तीनों ही टायर फटने वाले हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तीनों ही फटने वाले हैं । तो भविष्य में कोई चुनाव होने वाला नहीं है । मैंने ध्यान दिलाया था । गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जनता का विश्वास पंचायत समितियों से हटता जा रहा है। उन्होंने यह घोषणा की है । मैं निवेदन करूंगा कि घोषणाओं का सम्मान होना चाहिये । कितने दिनों में चुनाव करवा देंगे ? अभी पंचायत क्षेत्रों का डीलिमिटेशन नहीं हुआ है । मेरा निवेदन है कि इन स्थगन प्रस्तावों के महत्त्व को देखते हुये श्री हरिदेव जोशी को यह आदेश दें कि वह इस बारे में वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भूतपूर्व महाराजा अलवर तेजसिंह के पुत्र ने जो रिजर्व फॉरेस्ट शुगन ओदी का जंगल है उसकी जमीन को बेचने के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है । उनके बड़े लड़के प्रतापसिंह हैं

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए दिया है । उसमें इमीजियेट एक्शन आज ही लेना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिये दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जंगल है, यह प्राइवेट प्रोपर्टी के लिंक में है । उनका प्रिविलेज है । मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं:—

"Shugan Odi Forests"

(a) His Highness will have exclusive Shikar rights in a reasonable number of blocks.

(b) His Highness will have the right to graze his cattle, to extract firewood and grass from an area to be specified by the Regional Commissioner in consultation with His Highness and the Chief Minister. Third party rights in the area so reserved shall not be extinguished.

(c) His Highness will have exclusive fishing rights in the tank."

श्री अध्यक्ष : एक बात कहना चाहता था। जानकारी चाही है। कोई इम्पोर्टेन्ट बात हो तो फर्मा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक निवेदन करना है कि इस लिस्ट के अनुसार केवल घास लाने के, लकड़ी लेने के और शिकार के प्रिविलेजेज थे, वह प्रिविलेजेज खत्म होने की वजह से अब नहीं रहे। अब यह महाराज कुमार ने इस जमीन को अपनी दो हजार बीघा जमीन की खातेदारी में जंगलात और बन्दोवस्त विभाग से मिल कर दर्ज करा लिया। अब उस जमीन को दो सौ रुपया बीघा में बेच रहे हैं। मैंने लिस्ट दी है एडजोर्नमेंट मोशन के साथ में। उन्होंने इस प्रकार पचास हजार, साठ हजार रुपया वसूल कर लिया है बेचारे भोले भाले किसानों से जिनको इस बात का मालूम नहीं है। उनकी एक रसीद मेरे पास है, जिसकी फोटो कापी मेरे पास है जिसमें उन्होंने रसीद लिखी है। बाकी कुछ लोगों को रसीद नहीं दे रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि जाकर कब्जा कर लो, जंगल को तोड़ लो, खेत में जितनी लकड़ी निकले, मेरे घर पर पहुंचा दो। इस प्रकार सैंकड़ों बीघा जमीन तुड़वा दी है, लकड़ी निकलवा कर घर में मंगवा ली है। मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, वहां का लोकल प्रशासन है, ऐसा लगता है, उनसे मिला हुआ है। पिछले साल हजारों मन लकड़ी काट कर ले गये। जमीन उनकी मान ली जाय तो लकड़ी काटने का अधिकार नहीं है, यह सीलिंग एक्ट के खिलाफ है, टेनेन्सी एक्ट के खिलाफ है। इस तरह से कानूनी जुर्म कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : थोड़े से में कह दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे, वहां पर एक कोठी बनी हुई है, तीन लाख की कम से कम कोठी थी, शुगन ओदी कोठी। वह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, लिस्ट के मुताबिक। उन्होंने अभी चन्द महीने हुए, उस कोठी को डिस्मार्क कर दिया, तुड़वा दिया, खम्भे और गर्डर वगैरह निकलवा लिये हैं। इससे नेशनल वेस्ट सारे देश का हुआ है। उसमें हम स्कूल चला सकते थे, हॉस्पिटल खोल सकते थे। गांव के लोगों ने पन्द्रह हजार रुपये ऑफर किये और कहा, हमें दे दीजिये। गांव के लोग छप्पर में रह रहे हैं। मेरा निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, महाराज कुमार ने यह पैसा चारसौ बीस के जरिये लोगों से लिया है और लोग उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने यह लकड़ी गैर कानूनी तरीके से काटी है। मैं खुद देख कर आया हूं, वहां ट्रैक्टर चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद पिछली सात तारीख को वहां मौजूद था, वहां ट्रैक्टर चल रहा है, उसकी यह फोटो मौजूद है, कोठी टूटी हुई है, उसकी यह फोटो मौजूद है। मैं यह सदन के सामने पेश कर रहा हूँ। आज भी वहां पर इस तरह से जंगल को काट कर उसे बरबाद किया जा रहा है। मेरा निवेदन करना है, महाराजा के लड़के और खुद महाराजा ने क्राइम किया है, उनको इस सम्बन्ध में अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस तरह से अरेस्ट करके, जिस तरह से जमीन बेची है और चारसौ बीस से पचास हजार, साठ हजार रुपया इकट्ठा किया है, वह लिया जाना चाहिए, और जो दस्तावेज उनके कब्जे में हैं उनको जब्त किया जाना चाहिए, जिससे प्रूफ हो जाये कि उन्होंने किस किससे पैसा लिया है, जिससे यह

Page No 49

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साबित हो जाय कि उन्होंने लकड़ी वहां से मंगवाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह भी सोचने की बात है, हमारे यहां इतना आर्थिक संकट है, बिल्डिंग नहीं है, हम बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी लाखों की बिल्डिंग, केवल इस वजह से कि उस पर प्राइवेट राइट्स हैं, डिमॉलिश कर दी। मैं मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए इमीजिएटली कानून बना कर इमीजिएटली इसको रोक देना चाहिए, इन्टेरिम तरीके से रोक देना चाहिए जिससे कोई महाराजा, पुराना भूतपूर्व महाराजा इस प्रकार से लैंड को बेच नहीं सके, जब तक कि सरकार से इसकी इजाजत न ले ले। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, केरल की सरकार ने तमाम प्राइवेट फॉरेस्ट बिना कम्पेन्सेसन दिए एक्वायर कर लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो पूरी तकरीर फर्माने लग गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन करना है, सरकार की तरफ से कम से कम एक्शन लिया जाना चाहिये। वहां पर दरख्त काटने की बात हो रही है, और यह जो कार्यवाही हो रही है इसको रोका जाना चाहिये। महाराजा के कब्जे में जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जाना चाहिये और उनको गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना सदन के सामने दी है, आप टाइम फर्मा दें।

श्री अध्यक्ष : टाइम फर्माने की बात तो यह है कि बोलना ही नहीं चाहिये इस पर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बोलना नहीं चाहिये तो सबको ही बोलना नहीं चाहिए। ऐसा है, मुझे भी स्थगन प्रस्ताव पर कहना है। जिसको आप चाहें बोल लेने दें उसके बाद मुझे टाइम दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं कहना चाहता था, जिन एडजोर्नमेंट मोशन को अस्वीकार कर दिया है उन पर थोड़ा बोल लें तो समझ में आता है, लेकिन जिन पर जानकारी चाही है, उन पर बोलने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। यह परम्परा के प्रतिकूल है और नियमों के प्रतिकूल है। मैं हाउस की गुडविल का सम्मान करता आया हूं। मैं आपको कहता हूं, बोलने की बहुत जरूरत हो तो बोल लें और थोड़े समय में बोल लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। उन पर मैं अपने विचार रखूंगा। एक स्थगन प्रस्ताव है, दो दिन से जब फेमिन पर डिबेट हो रही थी तब भी खाद किसानों को मिल नहीं रही थी। सवाईमाधोपुर के पास मण्डावर है

श्री अध्यक्ष : डिबेट हो चुकी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : खाद के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं। मैं पुलिस की बात कहना चाहता हूं। वहां एक अध्यापक ने, जो गांव के अन्दर खाद आयी थी, और किसानों को वह खाद नहीं मिल रही थी, उसने वह खाद अपने अधिकारियों को कह कर, विकास अधिकारी को कह कर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। यह घटना 9-1-73 की है उसके दूसरे दिन व्यापारियों ने पुलिस के पास जाकर उस अध्यापक की उस गांव के अन्दर पिटाई करवा दी। वह अध्यापक उस दिन अपनी सेलेरी लेकर लौटा था, उसकी सेलेरी गायब कर दी गई। उसकी पिटाई हो जाने के बाद लड़कों ने हड़ताल की, हड़ताल के बाद कुछ व्यक्ति पीछे पड़े और उस अध्यापक का स्थानान्तरण हो गया। लेकिन व्यापारियों ने दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवा दी और एफ. आई. आर. दर्ज करवा दिया ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दो मिनिट में कह दूंगा। दो मिनिट में।

उन्होंने फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाई, उस अध्यापक का स्थानान्तरण हो गया। लेकिन लगातार पांच महीने के बाद दूसरे गांव से पुलिस ने उस अध्यापक को गिरफ्तार करा और उसके हथकड़ियां लगाकर, डकैती, लूट और सभी जितने अपराध लगाए जा सकते हैं, हत्या के सिवाय, वह लगाकर उसे शहर में घुमाया और घुमाकर थाने में बन्द कर दिया। मजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश देते समय खेद प्रकट किया कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है, उसके खिलाफ कोई ऑफेन्स सिद्ध नहीं होता है, उसके हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यापक की हालत खराब है भाई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरे मैं कहना चाहता हूं, पुलिस....

श्री अध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूं, जैसा पहले भी निवेदन किया, डिटेल में एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस कर रहे हैं तो दूसरे कामों के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं दूसरे केस के बारे में कह रहा हूं। देश के अन्दर भागों की भी इस प्रकार की चर्चायें पार्लियामेंट और विधान सभाओं में आई हैं, एक हरिजन है टोंक के अन्दर, जिनका नाम राकेश है, उसके दो बच्चे थे, छोटू और ताराचन्द, एक की उम्र बारह वर्ष, दूसरे की उम्र आठ वर्ष। यह व्यक्ति टोंक के अन्दर रह रहा था। 3-7-73 को पौने बारह बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय, डी. आई. जी. की कार को उनकी लड़की चला रही थी और लड़कियां अन्दर बैठी थीं, वह कार उन दोनों बच्चों को कुचल कर चली जाए, उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, और पुलिस आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करे, इसलिए न करे कि वह हरिजन के बच्चे हैं, वह गरीब के लड़के हैं। हरिजन के बच्चे का देहान्त हो गया, वह भूख हड़ताल पर विधान सभा के बाहर बैठे हुए हैं। डी. आई. जी. की लड़की जीप चला रही थी, इसलिए केस न चलाया जाय, तो मैं पूछता हूं कि किसी पुलिस ऑफिसर, या बड़े आदमी या मिनिस्टर के लड़के को किसी ने कुचल दिया होता तो क्या किसी को गिरफ्तार न किया होता? मैं कह रहा हूं, जबसे यह मिनिस्ट्री आई है, नया सदन आया है, एक हरिजन का लड़का होने के कारण या अन्य कारणों से गरीब को कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इमीजियेटली इसके बारे में जांच की जाए। हरिजन के लडके का देहावसान

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हुआ है, इसलिए अपराधी, जो भी हो, के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाय और कोर्ट में चालान किया जाए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो इस हरिजन के बच्चे की डैथ के बारे में मामला रखा है, मेरे भी नोटिस में यह मामला है। मैं समझता हूं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। अव्वल तो किसी इन्सान का बच्चा इस तरह के इन्सीडेंट से मर जाय, और खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स, पिछड़ी हुई जाति पहले ही बहुत दबी हुई है, सवर्णों की गुलामी की सदियों से शिकार रही है, डेमोक्रेसी में भी इस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति हो, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, इमीजियेटली यहां सदन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में तथ्य को बतलाना चाहिए। यह जानकारी मिली है कि डी. आई. जी. की सुपुत्री चला रही थी, कोई भी हो, वैसे महिला के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन महिला ने कत्ल कर दिया, उस पर कत्ल का मुकदमा न चले, इस तरह की हमारी श्रद्धा नहीं है। हम यह जरूरी समझते हैं कि इस तरह के दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इमीजियेटली सरकार को इस केस के अन्दर जो भी मुल्जिम हों उनको गिरफ्तार करके केस रजिस्टर करना चाहिये। और हरिजन के साथ जो इस तरह से अत्याचार हुआ है उसको खत्म करना चाहिये। मन्त्री महोदया इमिजियेटली इस पर स्टेटमेंट दें। तब तक हमें कोई सन्तोष नहीं होगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हरिजन बालक की मृत्यु कार एक्सिडेन्ट में हुई पुलिस जिनके हाथ में कानून है, और इधर हरिजन का बालक है—यह दोनों ही ऐग्रिवेटेड हैं। मेरे ख्याल में मन्त्री महोदय को निर्णय करना चाहिए कि वह पुलिस को प्रोटेक्ट करेंगे या जनता को ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मन्त्री महोदय यह भी स्पष्ट करें कि हरिजन का लड़का जिस गाड़ी से मर गया वह गाड़ी सरकारी थी या प्राइव्हेट थी। इस प्रश्न का निर्णय होना चाहिए। ऐसी घटनाएं अनेक बार हो चुकी हैं कि पुलिस अधिकारी ने किसी सरकारी अधिकारी को मारा पीटा और फिर उसके खिलाफ धारा 34 का केस भी दर्ज करवा दिया। कभी डी. आई. जी. द्वारा बच्चे कुचले जाते हैं तो केस को दबा दिया जाता है। एक नहीं, अनेकों बार पुलिस अधिकारियों ने सत्ता के नशे में बच्चों को कुचला है। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री स्वयं इस सम्बन्ध में आज स्टेटमेंट दें और सदन को जानकारी दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इतने महत्वपूर्ण इश्यू को साइड ट्रेक नहीं किया जा सकता है। इस पर स्थगन प्रस्ताव अलाऊ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Whatever you have said, has been taken note of.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो जानकारी में होगा ही कि गाड़ी कौन चला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहा था । इस पर तुरन्त निर्णय होना चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसी संबंध में मैं कहना चाहता था....

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस मामले को या अन्य किसी मामले को दबाना नहीं चाहती । और कभी भी किसी मामले में कोई गुरेज नहीं की गई। यह कहना नितान्त गलत है। इस केस में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था....

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह झूठ है। डी. आई. जी. की लड़की गाड़ी चला रही थी । आप ड्राइवर का नाम लेकर सदन को गुमराह कर रही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पुरानी परम्परा है कि ड्राइवर का चालान किया जाता है और मालिक को छोड़ दिया जाता है। यह परम्परा अब नहीं चलेगी। हजारों लोगों ने देखा है कि डी. आई. जी. की लड़की गाड़ी चला रही थी। बच्चा मर गया तो ड्राइवर का चालान किया गया। यह चीज नहीं चलने वाली। इस तरह से बच्चे नहीं कुचले जायेंगे। इस प्रकार की अधिकारियों की उन्मत्तता नहीं बरदाश्त की जायेगी। इस प्रकार के जो पॉवर ड्रंक अधिकारी हैं उन्हें सहन नहीं किया जायेगा। डी. आई. जी. की लड़की का चालान होना चाहिये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : तफतीश के जरिये जो तथ्य सामने आये हैं, उनमें यह है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे। उस ड्राइवर का चालान हुये डेढ़ महीना हो चुका है और उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और केस में पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, असली मुल्जिम को छुपाकर ड्राइवर का चालान किया जा रहा है। आप इस केस को किसी सीनियर अधिकारी से इन्वेस्टीगेशन करवायें। सी. आई. डी. से करवायें। जब डी. आई. जी. की लड़की इन्वॉल्व्ड है, तो आई. जी. या एडीशनल आई. जी. के द्वारा तफतीश होनी चाहिये। एस. एच. ओ. की क्या हिम्मत होगी की वह डी. आई. जी. की लड़की का चालान करे। इसलिये आई. जी. या एडीशनल आई. जी. स्वयं इस केस की जांच करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या इस हत्या का केस रजिस्टर हुआ है ? नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि चालान कर दिया गया है, यह थोथी बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदया का स्टेटमेंट हो जाये, उसके बाद ही कुछ कहा जाये तो अच्छा होगा। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस मामले के लिए डेट फिक्स करके स्टेटमेंट दे दिया जाये, जिससे पूरे फैक्ट्स आपके सामने आ जायें, उसके बाद ही कोई बहस की जाय। स्टेटमेंट हो जाये, तो ज्यादा उचित होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ठीक है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह स्टेटमेंट किस दिन होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही होना चाहिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आज शाम को स्टेटमेंट दे देंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : हरिजनों के मोहल्ले में जाकर आप वहां उनके उत्थान की बात करते हैं, और आज राजस्थान विधान सभा भवन के सामने वह हरिजन, जिसका लड़का कुचला गया, भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, मन्त्री महोदय को यह फुर्सत नहीं कि उससे जाकर बात करें। राजस्थान के 184 माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनके द्वार के सामने एक आदमी पड़ा रहे, उसको न्याय नहीं मिले, तो फिर गांधीजी के नाम पर हरिजन के वोट लेने क्यों जाते हो ? वह हरिजन बाहर बैठा हुआ है, और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उस हरिजन को बुलाकर सांत्वना दें । सरकार को उस हरिजन के साथ न्याय करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट में कह दिया जाये ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, कोटपूतली में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, उस पर भाग लेने के लिए नगरपालिका के सदस्यों के साथ मैं भी जा रहा था तो हम लोगों को पुलिस ने जाने नहीं दिया । हम गाड़ी लेकर जाना चाहते थे तो हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेन्ट करने की चेष्टा की गई । हम किसी तरह से गाड़ी को बचा कर ले गये तो हमारे साथ मारपीट की गई और पुलिस देखती ही रही । इस पर भी वह अविश्वास प्रस्ताव तो पारित हो ही गया । आज कोटपूतली की जनता भयभीत है और वहां गुन्डागर्दी का खतरा पैदा हो गया है । आज वहां चोरियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, गुन्डागर्दी हो रही है और थानेदार द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के साथ मारपीट की जा रही है । वहां का बाजार बन्द हो रहा है । आज हालत यह है कि लोग भयभीत हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदया जनता के जान माल की रक्षा के लिये तुरन्त कदम उठायें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लें और इसमें इन्क्वायरी करें और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें । अध्यक्ष महोदय, आज जनता के प्रतिनिधियों का यह हाल है कि उनकी पिटायी कर दी जाय और राज्य सरकार को पहले से इत्तला की जाय और वहां पर जनता के प्रतिनिधियों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होता है। पुलिस उन से मिली हुई है तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरे चार स्थगन प्रस्ताव दिये हुए हैं.......

(सर्व श्री अजीतसिंह और लक्ष्मणसिंह के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : गिरधारीलाल जी आप बैठ जायें । महारावल साहब खड़े हो गये हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह तो एक बहुत ही गम्भीर विषय है कि जब एम. एल. ए. की पिटाई हो जाये और पुलिस उसमें जन प्रतिनिधियों की सुनवायी नहीं करे और उन लोगों से सहयोग करे जो कि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ हो ...

श्री अध्यक्ष : किसी एम. एल. ए. की पिटायी हुई यह तो मैंने नहीं सुना ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिये और ऐसी वारदातों के होने में मैं यह समझता हूँ कि यह तो एक जनतन्त्र की हत्या है। माननीय मन्त्री महोदय को इसके लिये तैयार होकर आना चाहिये था और इस सारे मामले का उत्तर इस सदन में मन्त्री महोदया को देना चाहिये ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत थोड़े में फरमाये तो ठीक रहेगा ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : बहुत थोड़े में ही अर्ज करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में टी. डी. सी. फर्स्ट ईयर में दो पुस्तकें कोर्स में पढ़ायी जाती हैं। एक तो है भारतीय संस्कृति का इतिहास, भारतीय सभ्यता का इतिहास । इन दो पुस्तकों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे गये हैं जिनमें सिख संस्कृति बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि सिख संस्कृति को जानबूझ कर एवॉइड किया गया है वैसे तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि यूनीवर्सिटी एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी है लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सिख इतिहास के बारे में भी कोर्स में पाठ रखे। यह तो हमारा पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि सिखों ने हमारे देश के लिये कितनी कुर्बानियां की हैं। हमारे सिखों के जो गुरु लोग थे उन्होंने काफी कुर्बानियां की हैं। हमारे यहां गुरु नानक से लेकर गुरु गोविन्दसिंह और गुरु तेजबहादुर और गुरु अर्जुनदेव का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने देश की कितनी सेवायें की हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि आप थोड़े में फरमायें ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : थोड़े में ही अर्ज कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन यह है कि इन कोर्स में सिख संस्कृति के बारे में जरूर रखा जाना चाहिये। आज आपने इन कोर्स में ऐसी संस्थाओं के विषय में पाठ रखे हैं जिनका, मैं समझता हूं सिख इतिहास के आगे कुछ भी काबिल इतिहास नहीं रहा। जैसे राधास्वामियों की संस्था के बारे में आपने पाठ्यक्रम रखा तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिये मैं इनका विरोध करता हूँ। आपको चाहिये आप उस किताब को खतम करके ऐसी किताब कोर्स में रखें कि जिसमें सिख इतिहास का वर्णन भी हो ताकि हमें तसल्ली हो । वैसे तो मैं अकेला ही सदस्य हूं ज्यादा कहना नहीं चाहता पर सिख इतिहास चूंकि भारतवर्ष में काफी महत्त्वपूर्ण रहा है इसलिए उसको उन किताबों में जरूर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज मैंने एक सिख साथी को विधान सभा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश-पत्र दिलवाया लेकिन उसे अन्दर नहीं आने दिया गया। आखिर मैं भी एक जिम्मेदार सदस्य हूं अकेला हुआ तो क्या हुआ। मेरे भी अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, जो खास बात है वही अर्ज कर रहा हूं। सन्तरी ने उस सिख को इसलिए अन्दर नहीं आने दिया कि उसके कमर में छोटी कृपाण थी। उन्होंने कहा कि आप कृपाण पहन कर अन्दर नहीं जा सकते। यह तो सभी को पता होगा कि सिख के कृपाण होना जरूरी है। और इस कृपाण के पीछे हमने इंगलैंड में भी लड़ाई लड़ी, हिन्दुस्तान में भी हमने कृपाण के लिये झगड़ा किया तो यहां पर हम बिना कृपाण कैसे आ सकते हैं तो आपको मेरा निवेदन है कि आप इस बारे जांच करें और आइन्दा ऐसी व्यवस्था करें कि सिख कृपाण लेकर अन्दर आ सकें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप स्थान ग्रहण करें। मैं इसको देख लूंगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : हां आप कृपया इसके लिये आइन्दा ऐसी व्यवस्था करावें कि सिख कृपाण लेकर अन्दर आ सकें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं विधायी कार्य शुरू कर रहा हूं। अब समय समाप्त हो गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया था कि मैं सभी को मौका एक एक मिनट के लिए दूंगा इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप किस बात पर कहना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं नगर-परिषद् के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमने सुना है कि जयपुर नगर परिषद की अवधि समाप्त हो रही है और उसकी अवधि आगे बढ़ायी जा रही है और फिर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह तो सभी जानते हैं कि जयपुर की नगरपालिका किस तरह से भ्रष्ट है और नगरपरिषद की 109 फाइलों में साफ भ्रष्टाचार साबित हो गया है। किसी में जमीन को बेच दिया तो किसी में सड़क बनवाने में पैसा खा गये या कहीं पर मकानों के मामले में पैसा खा गये और कहीं पर 400 रुपये में एक घन्टी खरीदी तो किसी मामले में 150 रुपये में फावड़ा खरीदा, तो ऐसी कई प्रकार की गड़बड़ियां उसमें हुई हैं, और ऐसी नगरपालिका की अवधि आप बढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में मेरा निवेदन है कि तुरन्त अवधि समाप्त होते ही इसकी अवधि नहीं बढ़ायी जाकर उसके चुनाव होने चाहियें। और जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्य-वाही की जानी चाहिये। आज जयपुर नगर परिषद् में लाखों रुपयों का घोटाला हो गया है। अभी स्वायत्त शासन मन्त्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं उन्हें मौजूद होना चाहिये था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कितना घोटाला यहां हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक सदस्य को निलम्बित भी किया गया है वैसे नगर परिषद के 8 अधिकारियों के खिलाफ में जांच होनी चाहिये उन्हें सजायें

Page No 56

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
देनी चाहियें क्योंकि उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो आपको अवधि समाप्त होने पर चुनाव कराने चाहियें और इसकी अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिये।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव हैं ...

श्री अध्यक्ष : No, I don't allow. विधायी कार्य।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है। (श्री गिरधारीलाल और विट्ठलभाई के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने एक बार कह दिया है कि अब मैं विधायी कार्य ले रहा हूं कृपया स्थान ग्रहण करें। जब मैंने आपसे कह दिया कि आपको मौका मिलेगा तब आप बोलें अभी समय कम है और विधायी कार्य लिया जा रहा है तो आपको स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। अभी तो गर्वनमैन्ट सर्वेन्ट्स पर चर्चा होगी तो माननीय सदस्य बोल सकते हैं और भी कई मौके आयेंगे आपको बोलने का मौका दिया जायेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई कि आप हर स्थगन प्रस्ताव को लेकर बोलना शुरू कर दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया है कि स्थगन प्रस्ताव का समय समाप्त हो गया है और अब विधायी कार्य शुरू होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्त्वपूर्ण है एक हरिजन बालक की हत्या हो गयी और उनके घरवाले यहाँ बाहर खड़े हैं आप उन्हें आश्वासन तो दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आप इस पर डिबेट हो जब बोल लेना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया को जांच के लिये आश्वासन देना चाहिये डी. आई. जी. की लड़की मोटर चला रही थी और एक हरिजन की हत्या हो गयी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान णग्रह करें। माननीय सदस्य!

Not to be recorded. Not to be recorded,

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पर डिबेट हो जब आप बोलें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर । (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) मैं तो आपको रेस्ट दे रहा हूं । बिठा नहीं रहा हूं ।

मेरा सिर्फ इतना अर्ज करना है कि न तो वे बताने वाले हैं, न आप थकने वाले हैं । अब दोनों बातों के बीच में मामला उलझ कर रह गया है । अब उन्होंने डिमाण्ड की है कि खाद्य मन्त्री जी आ जावें तो वे बैठ जाएं । खाद्य मन्त्री जी अगर सदन में आ जाए तो काम आगे बढ़ सकता है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि आज के ही समाचार पत्रों में यह समाचार आया है कि जयपुर में व अन्य स्थानों में प्रति व्यक्ति राशन की मात्रा चार किलो से घटा कर तीन किलो ही कर दी गई है । इधर तो सरकार की यह हालत और उधर हालत यह हो गई है कि जो किसानों को शहरों में अनाज लाकर बेचने की छूट दी गई थी, उनका पुलिस अन्धाधुन्ध चालान कर रही है, इसलिए वे भयभीत हो गये और अनाज लाना बन्द कर दिया । आज बाजार खाली पड़े हैं । बाजार में अनाज उपलब्ध नहीं है। इधर आपने चार का तीन किलो ही कर दिया । त्यौहार सामने है । लोग वैसे ही परेशान हैं । अब लोग करें तो क्या करें ? क्या भूखों मरें ? सरकार इसका उत्तर दे । वह क्या प्रबन्ध करने जा रही है इसके लिए । यह बड़ा महत्त्व का प्रश्न है । इससे बढ़ कर और महत्त्व का प्रश्न हो नहीं सकता । यह किसी पार्टी या दल वालों का भी प्रश्न नहीं है । जयपुर का बाजार खाली हो गया । लोग थैलियां लिए इधर से उधर घूम रहे हैं । लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ही सेन्टेन्स में निवेदन करूंगा । दो दिन खाद्यान्न की संकटपूर्ण स्थिति पर बहस हुई । अब यह अजीब बात उस बहस के बाद सामने आई कि चार किलो के बजाय तीन किलो ही देना सरकार ने तय कर दिया । यह इस सरकार की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है । अगर यह सरकार राष्ट्रीयकरण करके भी अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकती तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोग परेशान हैं, राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलता, बाजार में सरकार बिकने नहीं देती । हमारी तो मांग है सरकार राशन दें । पूरा दे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो हरित क्रान्ति का अंग है अनाज का बाजार से गायब होना ।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी को मेरे चेम्बर में बुला लिया जाए, आप भी वहां पधार जावें और इस बारे में आगे का रास्ता निकाल लिया जाय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि मैं चेम्बर में आने का आदी नहीं हूं । जो कुछ निर्णय हो, सरकार जो कुछ इस बारे में कहना चाहे सदन में कहे । यह अत्यन्त गम्भीर मसला है । चेम्बर में यह तय नहीं हो सकता । यहां तो लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है । अनाज मिल नहीं रहा है, न सरकार देती है, न बाजार में बिकने देती है ।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में फ्रीली डिस्कस कर लेंगे। सभी सम्बन्धित व्यक्ति वहां आ जावेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो कम से कम सरकार से पूछा जावे कि खाद्यान्न की दो दिन की बहस का क्या यही परिणाम निकला कि चार किलो के स्थान पर तीन किलो ही कर दिया। ऐसी क्या समस्या सरकार के सामने उत्पन्न हो गई है। बड़ी हैरत की बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुब्बे जी रह गए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, को मैं अपने चेम्बर में बुला लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं सदन में बोलने का आदी हूं। सारी बात यहां स्पष्ट होनी चाहिये, जनता का मसला है, मेरा अकेले का नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह बात तो सही है कि दो दिन की बहस के बाद जो प्रश्न हमारे सामने उभर कर आया पॉलिसी का वह यह है कि अनाज कम मिल रहा है लोगों को। अब इसे ज्यादा कैसे दिलाया जावे, यह प्रश्न सामने है। अब माननीय सदस्य चाहते हैं कि फ्री सेल हो। उन होल्डर्स को 140 रुपया किलो तक बेचने दिया जावे। हम इसके सख्त विरोधी हैं।

हम यह कहना चाहते हैं कि इस बहस का नतीजा निकलना चाहिये। जिन लोगों के पास भी स्टॉक है वह जब्त किया जाना चाहिये। और उसको फिर कन्ट्रोल रेट पर बाँटा जावे। माननीय सदस्य को इसके बारे में क्या कहना है? तीन किलो और चार किलो की बात बहाना मात्र है। यह केवल इसलिये कहते हैं कि होल्डर्स जखीरेबाजों को ऊंचे भावों पर बेचने की छूट मिले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारी तरफ से आप जखीरेबाजों का जब्त कल करते आज, अभी कर लें, उन्हें गोली मार दें, फाँसी पर लटका दें। हम तो स्वयं कहते हैं, हिम्मत कहां है आप में यह सब करने की? आप केवल लफ्फाजी करते हैं। इन जखीरेबाजों के पीछे तो आप स्वयं छिपे हैं। इनकी नकाब उलटने पर मालूम पड़ेगा कि इनमें कौन कौन हैं। हिम्मत तो करिये उनको गोली मारने की और स्टॉक जब्त करने की। आप जब्त करें कुछ भी करें, हम तो चाहते हैं कि लोगों को राशन में पेट भर कर खाद्यान्न मिले। हम तो खुले कहते हैं कि आप जब्त कर लीजिये। अब इन्तजार किसकी कर रहे हैं? करते क्यों नहीं, रोका किसने था आपको? सत्ता आपके पास। सारी सरकारी मशीनरी और कानून आप के पास।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लीडर जम्बूकुमार तो यह कहते हैं कि हमें खुले बेचने की इजाजत दी जावे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज जम्बू कुमार जी को इजाजत दें या न दें आपका काम हैं। जनता अनाज चाहती है। राशन चाहिये उसे। आपने राष्ट्रीयकरण किया है, आप सरकार में बैठे हैं, यह आपका काम है कि राशन पूरा दें। पर आपके

Page No 59

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
काले कारनामे तो ये हैं कि अनाज बाजार से भी गायब हो जाता है, आप उसे लेते नहीं, आपकी राशन की दुकानें खाली पड़ी हैं और अब कहते हैं कि चार के बदले तीन किलो ही देंगे। आप फ्री सेल तुरन्त बन्द कर दीजिये। हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप जब्त करिये। कुछ भी करिये। हर व्यक्ति को जीवन के लिये कम से कम आठ किलो प्रति व्यक्ति राशन की जरूरत है। उसकी आप व्यवस्था कर दीजिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : गांवों में क्या हाल है, इसका भी आपको ध्यान है ? आप शहरों की बात करते हैं।

एक माननीय सदस्य : गांव वाले बाजरा खाते हैं, क्या आप शहर वाले बाजरा नहीं खा सकते ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप बाजरा ही दीजिये। देते कहां हैं ? हम कब कहते हैं कि शहर वालों को बाजरा नहीं खाना चाहिये। दें तो सही। कुछ भी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बात में····

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि खाद्य मंत्री जयपुर कलेक्टर से बात करके दो मिनिट में यहां आ रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि चार किलो अनाज से तीन किलो कर दिया जाए। माननीय सदस्य की बात में कोई सच्चाई है·······

श्री भानुकुमार शास्त्री : कम्युनिस्ट सदस्य पार्टी और दलगत राजनीति की बात करते हैं। जब कि जनता भूखों मर रही है। गेहूं राशन में, जनता को पूरा मिलना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : We want full ration on ration-card.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन यह कहते हैं कि फ्री सेल मत रोको·······

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जखीरेबाजों को बचाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनका कहना है कि चालान क्यों किया गया ? $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता का सवाल है।

(लगातार व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे)

श्री रोशनलाल शर्मा : जनता की बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कहते हैं कि जो भी भाव हो उनके अनुसार बेचने दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कम्युनिस्टों का मत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अधिक अनाज लेना है तो जम्बूकुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिये जिसने सरकार की यह स्थिति पैदा की है।

Page No 60

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कुछ भी करो लेकिन सस्ता अनाज मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाहते हैं किसी को ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब तक दस किलो अनाज देने की घोषणा नहीं करेंगे, मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

कई माननीय सदस्य : दस किलो की मांग नहीं है लेकिन असली मांग यह है कि चालान नहीं होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : Please resume your seats.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जमाखोरों के प्रतिनिधि हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दस किलो धान आपको राशन में देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वरना सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये।

(अनवरत व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जमाखोरों और लुटेरों के प्रतिनिधि हैं.....

श्री अध्यक्ष : I will name him now. Mr. Girdharilal Bhargava should sit down.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जम्बूकुमार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जनसंघ के सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि ब्लैक मार्केटियर्स को उन्होंने ही बचाया है और यहां यह प्रदर्शन करना चाहते हैं कि जनता के लिये दस किलो के लिये लड़ रहे हैं अपने चेहरों को छिपाना चाहते हैं।

(लगातार व्यवधान)

श्री भानुकुमार शास्त्री : लोग तो भूखों मर रहे हैं और ये कम्युनिस्ट यहां पर डींगे मार रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह नहीं चलने दिया जावेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राशन शॉप्स पर दस किलो कर दीजिये हम यह चाहते हैं। हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि खुले अनाज को बन्द मत करिये। आप करिये लेकिन जनता को पूरा राशन, राशन शॉप्स पर मिलना चाहिये यह हम चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किशनपोल बाजार में गोदामों पर छापा मारा लेकिन वहां पर जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने ......

श्री भानुकुमार शास्त्री : कम्युनिस्टों की फैलाई हुई यह सब गड़बड़ी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोदामों पर छापा मारा लेकिन जनसंघ के कार्यकर्ता काले व्यापारियों के साथ मिल कर........

श्री भानुकुमार शास्त्री : (अश्रव्य) (अनवरत शोरगुल) (कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे)

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : I propose that the House should be adjourned for few minutes.

Page No 61

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे के लिये सदन की बैठक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 1.6 बजे आधे घन्टे के लिये स्थगित की गई।)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 1.40 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य शुरू हो उसके पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा इस सदन में हुई थी गवर्नमेंट उस सारी स्थिति पर, उस सारी स्थिति को देखते हुए परसों एक स्टेटमेन्ट दे देगी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक 1973

श्री अध्यक्ष : यस

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करती हूं।

शासकीय संकल्प

संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 का अनुसमर्थन

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (इक्कतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र में आते हैं, अनुसमर्थन करता है।"

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा।

संविधान के निर्माताओं ने जिस समय संविधान बना था, अत्यन्त ही पवित्र भावना से विचार विमर्श करके यह निर्धारण किया था कि लोक सभा की सदस्य संख्या कितनी होगी और उसके साथ में अध्यक्ष महोदय,

(1.43 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने संविधान के अन्दर यह विचार करके ही कि भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी और जन संख्या के बढ़ने के साथ में यह प्रश्न आएगा कि लोक सभा के अन्दर बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुपात किस प्रकार से एडजस्ट किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जाए उन्होंने एक धारा और बनायी और वह धारा संविधान के अन्दर धारा 82 के रूप में आई। इस धारा 82 के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान रखा गया कि जब कभी भी जनसंख्या का असेसमेन्ट हो, सेन्सस की फीगर आएगी, उसके अनुसार लोकसभा की सीटों का एडजस्टमेन्ट कर दिया जाएगा। मैं नहीं समझता उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके पश्चात् इसकी कोई आवश्यकता रह जाती है कि बार बार संशोधन करके लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाए। फिर तो यह होगा जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हर बार लोक सभा की सीटों को बढ़ाना पड़ेगा और संविधान की धारा जो 82 है वह रोडेन्डेन्ट हो जायेगी, समाप्त हो जायगी, मृतप्रायः हो जाएगी और संविधान बनाने वालों की जो मूलभूत भावना थी, उस भावना के प्रतिकूल यह कार्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने संसदीय पद्धति को इसलिए चुना था कि हमारा देश एक गरीब देश है और इस गरीब देश के अन्दर जनता अपने प्रतिनिधि भेजे और उसके कारण से हमने चुनाव आयोग का भी प्रावधान रखा, इलेक्शन कमीशन जो इन सब बातों के ऊपर इनडिपेन्डेसी के साथ में, स्वतन्त्रता के साथ में, निर्भयता के साथ में विचार करके निर्णय करेगा। परन्तु दुर्भाग्य है हमारा उपाध्यक्ष महोदय—इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चुनाव की पद्धति अनुभव के आधार पर पीपुल्स विल को रिप्रजेन्ट नहीं करती है। जिस सिस्टम से हम गुजर रहे हैं माइनोरिटी वोट लेने के बाद में भी यह कहा जाता है कि मासेज मेन्डेन्ट मिला है और वह बहुमत जो विधान सभाओं और लोकसभा के अन्दर हमारे सामने आता है, वह जनता की विल के पर्सेंटेज के अनुसार नहीं होता है। इसलिए इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस चुनाव प्रणाली के अन्दर हमें मूलभूत परिवर्तन करना होगा। आज इस चुनाव प्रणाली से एक दल, एक व्यक्ति 27 या 28 पर्सेन्ट वोट प्राप्त करके बहुमत बना सकता है। अलग अलग प्रदेशों की बात अलग है। लोक सभा का जहां तक सम्बन्ध है ...

श्री उपाध्यक्ष : Please confine to the resolution.

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय यह रिजोल्यूशन इसी सम्बन्ध में है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाय या नहीं ? ..

श्री उपाध्यक्ष : Not to the election procedure.

श्री गुमानमल लोढ़ा : चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन करना पड़ रहा है इस संदर्भ में चुनाव की जो पद्धति है वह आज हमारे सामने है और मैं इसके बारे में सुझाव दूंगा। प्रपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन जैसा कि यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट में होता है, अन्य स्थानों पर होता है, उसके अनुसार चुनाव करवाया जाए तो उसमें जनता की वास्तविक विल वास्तविक शक्ति, जनता की आवाज कितनी है, वह आएगी। एक और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह कि सीटें चाहे कितनी भी बढ़ावें जब तक जनता की मंशा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते तो सीटों को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं हैं। हमने पिछले चुनाव के अन्दर चुनाव आयोग के द्वारा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक आज्ञा प्रसारित करवाई है कि जो व्यक्ति वोट देनेजाएगा वह पहले अपने हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसको बैलेट मिलेगा। जैसा कि हमारे देश के अन्दर हैं जनता अनपढ़ है, अशिक्षित है, वह समझती नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, तो उसका पहला रिएक्शन यह होता है कि इन्होंने मत देते समय हस्ताक्षर करवा लिए, मेरे नाम के आगे नम्बर लिखा हुआ है तो वह किस को वोट देकर आया है, इसका पता लग सकता है। इससे सीक्रेसी वाइलेन्ट होती है। इसके कारण से निष्पक्षता, निर्भयता और और आजादी के साथ में वोट देने का जो अधिकार है, उस पर कुठाराघात कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। तो इसको बदलना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की सिफारिश के ऊपर, उसकी रिकमण्डेशन के आधार पर लोक सभा की सीटों को बढ़ाने के लिए यह संशोधन किया है। अब यह किया गया है कि सारी कॉन्स्टीटुएन्सी के मतों का वोट्स का एक पूल हो जाएगा और पूल हो जाने के बाद ही उस निर्वाचन क्षेत्र के मतों की काउन्टिग होगी। पूल करने के बाद में, काउन्टिग करने का जो यह सिस्टम अपनाया गया है वह डिफेक्टिव है। राजनैतिक दल और उसके प्रत्याशी को यह पता नहीं होता है कि उनकी शक्ति अधिक कहां पर है और कहां वे कमजोर हैं। यह सारा अभाव इससे पैदा हुआ है। इसलिये इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विधान सभा में बैठ करके लोक सभा की सीटों को बढ़ाने की बात करें, लेकिन इसके साथ राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता आपसे पूछ रही है जो राजस्थान की स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो नगरपालिकाएं और पंचायत समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनके इलेक्शन को हुए आज दस दस, आठ आठ साल हो गए हैं। आप इनके चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के अन्दर हमने इस प्रकार का एटीट्यूड एडॉप्ट किया है। हमने इस प्रकार का एटीट्यूड एडॉप्ट करके इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। एक प्रकार से हमने इनको, पंचों को अमर कर दिया है। एक बार इलेक्ट होने के बाद में वे अमर हो गए हैं चाहे वे जनता के साथ अत्याचार करें, अन्याय करें परन्तु दूसरी बार जनता को उनको बदलने का अवसर नहीं दिया गया है। सरपंच के खिलाफ जनता अविश्वास व्यक्त नहीं कर सकती है। सरपंच पंचों को प्रलोभन देकर 8/10 को अपने साथ में रख सकता है। निश्चित रूप से ऐसे पंचायती राज के बारे में जनता की धारणा अच्छी नहीं हो सकती है। 8/9 साल हो गये चुनाव हुए। 65 में चुनाव हुए थे और आज 73 हो गया है। कई बार इस सदन के प्रागंण पर इलेक्शन होने की घोषणाएं की गई। इसके बारे में कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन फिर भी पंचायतों के चुनाव कराने की बात नहीं कही जा रही है।

उपाध्याक्ष महोदय, यह कहना इसलिए आवश्यक है कि बिल तो लोक सभा की सीटें बढ़ाने का है लेकिन इसका सीधा सम्बन्ध जनतंत्र के प्रति हमारी आस्था और विश्वास से है। क्या हम जनता की आस्था इस प्रकार से पंचायती राज के चुनावों को बार बार टालकर जनतंत्र को ढाह रहे हैं अथवा गांव

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में बैठा हुआ ग्रामीण बन्धु यह कहता है कि यह पंचायती राज ढकोसला है। यह मेरा कहना नहीं है गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट में यह है। उसमें यह कहा गया है 8 साल चुनाव न कराने के कारण जनता की आस्था पंचायती राज में घटती जा रही है, पंचायती राज समाप्त होता जा रहा है, इसलिए हम अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसका कुछ नहीं हुआ। पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, वह जनता के सामने आ गई, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन वह आज रिपोर्ट ही आकर रह गई। 17-12 जैसी कि आपने अवधि बढ़ाई है तो दूसरी 17 तारीख तक तो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कुम्भकर्ण की निद्रा खुली 6 महीने में और 6 महीने तक लगातार सोते रहे। यह कलयुगी कुम्भकरण है उसके बाद कुम्भकर्ण की नींद खुली और पिछवाड़ा लेकर फिर सो गया। विधान सभा में मंत्री अस्वस्थ हो गये और उनको कई प्रकार की वेदनाएं हो गई कई कारणों से मैं नहीं कह सकता। ऐसी ज्वलन्त समस्या पर जनता को विश्वास में नहीं ले सकते तो मैं निवेदन करूंगा कि चाहे लोक सभा की सीट यहां बैठ कर बढ़ायें उसका कोई अन्तर नहीं पड़ता। डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है और डिलिमिटेशन कमीशन के अन्दर केन्द्र द्वारा निर्धारित हो चुका है, प्रदेशों के द्वारा निर्धारित हो चुका है, कार्यवाही उसकी चल रही है इसलिए यह टेकन फॉर ग्रान्टेड है, इसके बारे में कोई विवाद की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि हमारी जो संस्थाएं हैं पंचायती राज व नगरपालिकाएं उसके बारे में हमें क्या करना है? हम जनता का विश्वास सीक करें या नहीं?

इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वह स्वायत्त शासन का अंग हैं और और बहुत बड़ा अंग है। नगरपालिकाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नवम्बर में उनकी अवधि समाप्त हो रही है अधिकतर नगरपालिकाओं की, लेकिन प्रशासन की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की गई और जनता को कन्फूयूजन में रखा जाता है, कन्फूयूजन वर्स्ट कन्फाउन्डेड ताकि चारों तरफ जो यह बढ़ रहा है उसमें सिटिंग मेम्बर यह डिमाण्ड करते रहें कि एक्स्टेन्शन हो जाय। इस प्रकार एक कन्फूयूजन सारे प्रान्त के अन्दर क्रियेट किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में निश्चित तिथि निर्धारित होनी चाहिए। घोषणा होनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इस लिमिट के अन्दर अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव कराने वाले हैं। अवधि समाप्त होने वाली है उसके पहले-पहले चुनाव कराकर आवश्यक कार्यवाही पूरी करा देंगे, ताकि समय होने के बाद नया बोर्ड उसको टेक ओवर कर ले। एक सरपंच एक बार बना और वह अमर बकरा बन जाता है। कोई निकाल नहीं सकता। हमेशा के लिए वहां रहेगा उसके कारण से जनता की आस्था समाप्त होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अधिक समय नहीं लेकर जहां पर विधायक का प्रश्न है मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि यह एक औपचारिक है, बन चुका है, बन रहा है, इसमें किसी प्रकार की हेर फेर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन के

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
अन्दर निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो बात कहते हैं उसके ऊपर गम्भीरता से मंत्री-मण्डल को विचार करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सदन में कोई बात कह दी और वह केवल व्यर्थ गई। माननीय मुख्य मन्त्री जी से घोषणाएं करवा दी, और यहां पर कह दिया कि मैं तैयार हूं एन्क्वायरी करवाने के लिए और उसके बाद मौन, डेड साइलेन्स, सस्पेन्स के अन्दर विधायक भी रहें, जनता भी सस्पेन्स में रहे। यह मैंने उदाहरण दिया है। निश्चित रूप से सदन के अन्दर कही गई बातों को गम्भीरता से लेकर विधायकों को कॉन्फीडेन्स में लेना चाहिए और उसके बारे में निर्णय करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह !

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 31 वें संविधान के संशोधन का मूल लक्ष्य यह है कि लोक सभा में 25 स्थान बढ़ाये जायं। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि वैधानिक प्रावधानों को देखते हुए लोक सभा की सीटें 500 हों, उसमें अभिवृद्धि न हो, यह विधान में स्पष्ट प्रावधान है। सन् 1958 से 1971 तक लोक सभा में स्थानों की अभिवृद्धि नहीं हुई मैं समझता हूं कि लोक सभा एक बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था है। देश की प्रभुसत्ता का और देश की अखण्डता का वह सदन द्योतक है, और बहुत से अन्य देश हैं, जिनकी जनतन्त्र के सिद्धान्त पर आस्था है, उस पर आधारित हैं, और उनकी परम सत्ता, सबसे ऊंचा चैम्बर है, सबसे ऊंची सदन है उसकी सीमा निर्धारित है। उस सीमा की अखण्डता रखना मेरे खयाल से परम्परागत और सुशोभनीय है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर उस सिद्धान्त को, उस कन्वेंशन को हम तोड़ते हैं फिर उसकी सीमा कोई नहीं रहती। अगर अभी 25 सीटें बढ़ाई जाती हैं तो 10 वर्ष के अन्दर या 10 वर्ष के पश्चात् फिर भी ऐसा प्रावधान लाना पड़ेगा।

यहां पर बताया गया है कि पूर्वी क्षेत्र में कुछ नये राज्यों का गठन किया गया और अरुणांचल, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय इसलिए लोक सभा की संख्या में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता हुई। मैं इस सम्बन्ध में विषयान्तर नहीं होऊंगा, किन्तु यह स्पष्ट है कि यह राज्य है और इन राज्यों को यदि प्रतिनिधित्व दिया जाय तो यह छोटा राज्य है तो एक राज्य का एक प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था के लिए पर्याप्त होगा, किन्तु 25 स्थान बढ़ाना जनसंख्या के अनुपात से मेरे खयाल में स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। यह एक बुरी नजीर है। आज जनसंख्या जिस रफ्तार से हमारे देश के अन्दर बढ़ रही है उसको देखते हुए मैं यह निश्चित विचार व्यक्त करूंगा कि देश के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का विस्फोट है। अगर जनसंख्या के विस्फोट के ऊपर कोई न कोई काबू पा सकते हैं तो निश्चित रूप से यह देश एक महान् देश हो सकता है। इट विल बी.ए ग्रेट कन्ट्री, ए वेरी ग्रेट कन्ट्री, लेकिन जनसंख्या हमारी उन्नति के लिए एक बाधक है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरणार्थ, मैं निवेदन करूं कि एक राज्य पैसा खर्च करता है, लगन के साथ जनसंख्या के ऊपर कोई

(श्री लक्ष्मणसिंह)

न कोई नियन्त्रण लाता है वह इस विधेयक के प्रावधानों के साथ घाटे में रहेगा, और जो राज्य लापरवाही करता है और मनमाने तौर पर जनसंख्या बढ़ने देता है वह राज्य इस विधेयक के अनुसार लाभ प्राप्त करेगा। मेरे खयाल में एक बुरी परम्परा हमारे देश के अन्दर जो चल रही है उसको प्रोत्साहन देने के लिए लोक सभा इस विधेयक के द्वारा एक मोहर छाप एक सील लगाती है जो मैं समझता हूं उचित नहीं है।

इलेक्शन कमीशन को रिएडजेस्टमेंट, पार्लियामेंट, लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की, सीमाएं निर्धारित करने का, डिलिमिटेशन का अधिकार है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्टतया प्रकाश डालना चाहता हूं कि विधान निर्मात्री परिषद् द्वारा इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार दिया है कि स्वतन्त्रतापूर्वक उसको डिलिमिटेशन करने का अधिकार है। किन्तु, वैधानिक रूप से 500 सीटों से अधिक लोक सभा की सीटें नहीं होंगी। मैं समझता हूं कि 500 सदस्य लोक सभा के बहुत ही डिग्नीफाइड व्यवस्था है। शानदार व्यवस्था है। यह 500 का एक शब्द है जो कानों पर गूंजता है। उससे जो प्रेरणा हमको मिलती है, वह प्रेरणा सवा पांच सौ से नहीं मिलती है। और, संविधान में जो 25 की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, वह इस गरीब देश में होता है तो कोई बात नहीं है लेकिन इस संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान की जो परम्परा नष्ट की गई है, परम्परा भंग की गई है, यह मैं समझता हूं कि अच्छी परम्परा नहीं है। इस देश में विभिन्नता के अन्दर एकता निहित है।

लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जहां है, वहां मैं निवेदन करूंगा, एक भूल है। लोक सभा के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा, पांच राज्यों में विधान सभा के कई क्षेत्रों को मिलाकर एक लोक सभा का क्षेत्र बनता है। गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों में 8 विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर एक लोक सभा क्षेत्र बनता है। यह डिस्क्रीमिनेशन है मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता हूं। इस कमी के सम्बन्ध में लोक सभा ने विचार नहीं किया है। यदि संख्या 500 की 500 रखी जाती और 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख का लोक सभा चुनाव क्षेत्र 12 लाख का भी बनाया जाता है तो जो 7-8 लाख के साथ सम्पर्क कर सकता है, तो वह 12 लाख के साथ भी सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : खर्चा बहुत आता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : खर्चा बढ़ेगा तो उम्मीदवार का बढ़ेगा। किन्तु यह तो 25 आदमियों को प्रिविलेज का स्थान देकर और बिठाना गरीब देश के लिए मेरे ख्याल से अनावश्यक है। संशोधन अनावश्यक कहते हुए भी मैं विरोध तो नहीं करूंगा। लेकिन सिद्धान्ततः मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड मेज़र। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे वाद-विवाद में निवेदन करना चाहता हूं ……

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप सुन तो लीजिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (वनेड़ा) : इस संशोधन पर जो कुछ बोला जा रहा है, यह तो फार्मल कार्यवाही करने का मामला है। इस पर ही अगर इस प्रकार से भाषण होंगे तो इसके बाद में मांगें हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हर पार्टी को बोलने का मौका होगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड है । 4.45 बजे तक का समय है। सिद्धान्ततः सबको बोलने का अधिकार है। पार्लियामेन्ट का एक नया शब्द भी आ जाये तो भी उस पर बोला जा सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

माननीय सदस्य का सुझाव उचित है। फार्मल तरीके से ही बहस कर सकते हैं। एडजोर्नमेंट मोशन के तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि 3 बजे तक समय उचित होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच पांच मिनट बोलने के लिए दे दें ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय नाहर साहब के सुझाव का मैं आदर करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि कुछ न कुछ कमेन्ट्स तो होने चाहिएं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अवश्य होने चाहिए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक तो खत्म कर देता। मेरी गुजारिश है कि 31वां संशोधन लोकसभा की सीटों की वृद्धि के बारे में है। इसका हमें रेक्टीफिकेशन करना है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन प्रजातन्त्र की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ एक अहम कदम है। इसको हम इसलिए इण्डोर्स करते हैं। इसमें जिन तथ्यों को आधार बनाया गया है, वह बहुत ही सही हैं। इसलिए हमको इसका अनुमोदन करना है।

इसके साथ साथ अमेण्डमेण्ट लागू होने के बाद कठिनाइयां प्रस्तुत होंगी। उनकी तरफ मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझूंगा। इससे मिलाजुला सवाल है, बढ़ती हुई आबादी का और इसके साथ एक्सपेंसेज का है। जितनी आबादी बढ़ती जाती है, जो समूह निर्धारित है, 35 हजार या 50 हजार का है। वह समूह का वह खर्चा है, वह किस हद तक है। इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इसको पार्लियामेण्ट को और मेरी राय में इस हाउस को भी तवज्जोह देनी चाहिए। यह गम्भीर मसला है। जिन एरियाज में वृद्धि होती जाती है उनके बारे में सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जंजीर है जो रोकती है। यह खर्च की बाधा है, इसका गम्भीरता से हल निकालना चाहिए।

आज यह स्थिति है कि कोई साधारण आदमी इस चुनाव को नहीं लड़ सकता। अगर ऐसे रुपये जो ब्लैक मनी का हो, के आधार

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पर चुनाव लड़ा जाय, वह एक जुदा बात है। बाकी यह खर्चा बढ़ता जाता है। इसके बारे में गम्भीरता के साथ कोई विचार होना चाहिये।

दूसरी चीज जो मुझे कहनी है, वह यह है कि इसमें एक सुझाव यह रखा गया है, यूनियन टैरीटरी की जो पच्चीस सीटें हैं, उनको रिड्यूस करके बीस सीटें रख दी जायं। मैं समझता हूं, यह उचित नहीं मालूम होता, इसलिए कि यूनियन टैरिटरी में पिछड़े लोग हैं, वहां डेमोक्रेसी अभी उभार पर है, उनको हक से महरूम किया जाना, उनकी सीट रिड्यूस किया जाना उचित नहीं मालूम होता है। यह हमारा दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के बावजूद भी इस बिल को सपोर्ट करते हैं लेकिन यह दृष्टिकोण ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि यह यूनियन टैरिटरी में सीट निर्धारित की गई है उनमें कमी किया जाना मुनासिब नहीं मालूम होता।

तीसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं, यह सीट बढ़ी हैं, इन सीटों के बढ़ने से यह सवाल पैदा होगा कि असेम्बली की सीट भी बढ़ें और डिलिमिटेशन हो, सीमाओं में अदला बदली हो। मैं चाहूंगा, उस वक्त जब तब्दीली हो, और यह डिलिमिटेशन कमेटी कोई अपना आधार बनाये, उसमें यह ख्याल रखना चाहिये कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, या बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, उनको इस बढ़ी हुई तादाद का काफी फायदा मिलना चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए कि ऊंची जाति के लोग अभी तक उन्हें महरूम करते रहे हैं। वैसे तो पार्लियामेन्ट में अभी 530 मेम्बर हैं, उसमें अब 545 होने वाले हैं। यह वृद्धि है, यह वृद्धि का प्रश्न मैं समझता हूं, ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज के हक में होना चाहिये और डिलिमिटेशन इस प्रकार होना चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।

इन सुझावों के साथ अमेंडमेन्ट का समर्थन करते हुए मेरी अर्ज है कि हमारे ऊपर वहां तक पहुंचाये जायं और हमारे दृष्टिकोण की दिशा में कदम उठाये जायं।

इसके साथ साथ राज्य सरकार को निवेदन करूंगा, पार्लियामेन्ट में जिस प्रकार डेमोक्रेसी फंकशन कर रही है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का फर्ज है कि प्रजातन्त्र की जरूरत को महसूस करे। आज नौ-नौ साल से पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, वह कराये जायं। म्युनिसिपैलिटी के लिए जैसा गुमानमल जी ने फर्माया, म्युनीसिपैलिटी के चुनाव उनकी अवधि खत्म होने के बाद फौरन कराये जायं ताकि हम एक स्वस्थ परम्परा, डेमोक्रेटिव परम्परा यहां पर कायम कर सकें। यह सुझाव है उनके उपरान्त जो मैंने पहले पेश किये हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, इस पर केवल दो शब्द यह कहने हैं कि 1971 की सेंसस के मुताबिक यदि कॉन्स्टीट्यूएन्सी का डिलिमिटेशन होगा तो दस ग्यारह कॉन्स्टीट्यूएन्सी का होगा। मान्यवर, मुझे खुद इलेक्शन व्यवस्था का अनुभव हुआ है, उसमें एक एम. पी., लोक सभा का मेम्बर चाहता है कि एक्सेसेबल हो कॉन्स्टीट्यूएन्सी, अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी को नरिश करना चाहे, घूम-फिर कर लोगों को एजूकेट करना चाहे,

(श्री केदारनाथ)

अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना चाहे तो सात लाख से कॉन्स्टीट्यूएन्सी ज्यादा नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, पब्लिक लाइफ, इलेक्शन कन्टेस्ट करना इतना कॉस्टली हो गया है, कि मैंने इन स्ट्रीट, आम आदमी लोक सभा का इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसमें खर्चा पैंतीस हजार का दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में दो लाख का खर्चा होने वाली बात होती है। असेम्बली सीट के लिए पच्चीस, बीस हजार का खर्चा करना होगा। हम धोखा करते हैं, जो रिटर्न भरते हैं, हम धोखा करते हैं क्योंकि ज्यादा इलेक्शन पर अपन खर्च करते हैं। आज पब्लिक लाइफ, इलेक्शन कन्टेस्ट करना इतना कॉस्टली हो गया है कि साधारण आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता है। कॉन्स्टीट्यूएन्सी का डिलिमिटेशन पार्लियामेन्ट की सीट का हो, तो डिलिमिटेशन सात लाख से ज्यादा हो तो वह वैल कॉम्पेक्ट हो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, डाइरेक्ट इलेक्शन सिस्टम बहुत बड़ा और एडल्ट फ्रेन्चाइज है, लेकिन आज पॉपुलेशन बढ़ रही है, यह सिस्टम उसकी ओपिनियन को रिफलेक्ट नहीं कर पाया है। माइनोरिटी के लोग, जिनको राजस्थान के अन्दर पाकेट्स हैं, आप चाहते हैं कि रिफलेक्शन उनकी ओपिनियन का, पब्लिक ओपिनियन का हो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इन्ट्रोड्यूज करना चाहिये। फ्रान्स और योरोप के देशों ने यह किया तो वहां रिजल्ट अच्छा सामने आया और नुमाइन्दे अच्छे हुए हैं।

राज्य सभा का ढांचा है, 20-25 पर हमारे मैम्बर जाते हैं। 25-30 को पर्चेज करना, इन्फ्लूएन्स करना, 25-30 पर काबू करना मामूली बात है। आज के युग में पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में यह इन्डाइरेक्ट सिस्टम कभी मेल नहीं खाता है। इसलिए उसके सिस्टम को हम बदलें। राज्य सभा के मेम्बर के इलेक्शन के सिस्टम को हम बदलें।

तीसरी बात यह है, हमारा शुरू का मत है वोटिंग एज है, वह 21 से रिड्यूस होकर 18 हो। इसके लिए संकल्प पास हुआ। पार्लियामेन्ट की एक कमेटी भी बनी है। उसकी भी कॉन्सेस है कि एज को रिड्यूस किया जाय।

अन्त में मैं यह कहते हुए कि यह रेक्टिफिकेशन किया जाय, इसमें हमारा मतभेद नहीं है क्योंकि यह अमेंडमेंट लोगों की एस्पायरेशन के मुताबिक है और डेमोक्रेसी में फेथ पैदा करता है। कॉन्स्टीट्यूएन्सी ऐसी हो जो एक्सेसेबल हो, यह मैं मानकर चलता हूं, इसका रिजल्ट अच्छा होगा।

एक बात विधान सभा की कहना चाहता हूं। दो सीट राजस्थान को मिलेंगी। इसका मतलब है, सोलह सीट असेम्बली की और बढ़ेंगी। इनका डिलिमिटेशन कहां हो। मैं मान कर चलता हूं, जो वीकर सैक्शन हैं, बैकवर्ड हैं, ट्राइब्स हैं, उनकी नुमाइन्दगी हो—ऐसा डिलिमिटेशन करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 10 हजार की आबादी पर असेम्बली सीट है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 25-30 हजार की आबादी है। डिलिमिटेशन करते वक्त वैल कॉम्पेक्ट कॉन्स्टीट्यूएन्सी का और पॉपुलेशन का आधार हो।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि वृद्धिचन्द्र जी बोलना चाहते हैं मेरे बाद।

मैं निवेदन कर रहा था, जैसा माननीय बनेड़ा से आने वाले सदस्य ने कहा संशोधन औपचारिकता मात्र है, रेक्टिफिकेशन कर देना चाहिए, समय ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं याद दिलाऊं, यह प्रश्न हमारा नहीं है, यह प्रश्न हमारे भविष्य का है। यहां परम्परा बनी है, इन परम्पराओं में दूसरी स्थिति लाते हैं तो हम अपनी आवाज भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं यह कहते हुए कि भविष्य में जो भावी पौध आने वाली है, वह इस सदन के अन्दर हमारी अभिव्यक्ति को याद रखेगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी विचार हुआ था कि इस प्रकार से सदस्यता बढ़ायी जाय, रीएड्जस्टमेंट किया जाय, 500 थे, उनको बढ़ाकर 810 कर दिये गये। आठ सौ दस करने के बाद उसी परम्परा पर उन्हें लौटना पड़ा और वापिस जो सदस्यता पूर्व में थी उसको कायम रखा गया। इसलिए पॉपुलेशन के आधार पर संख्या को बढ़ाना उचित नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज भविष्य के लिए रिकार्ड होगी। पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते एक हजार की संख्या हमारी संसद के लिए कर दें, यह मुमकिन नहीं है। रहा सवाल दूसरा कि संसद के सदस्य अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी को नरिश करते हैं या नहीं, कॉन्टेक्ट कर पाते हैं या नहीं। यह भ्रांति मात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, 10 लाख या सात लाख में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम परीक्षण करें कि कोई संसद सदस्य, जिसकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी सात लाख की है, और यदि बढ़ जाय तो दस लाख की होगी, तब भी वह अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से सम्पर्क साधें, यह असम्भव बात है। सम्पर्क पार्टी के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से होता है, व्यक्ति के माध्यम से नहीं। यह उस व्यक्ति के लिए कठिन है जो पार्लियामेंट का इलेक्शन व्यक्तित्व के आधार पर लड़ना चाहे। लेकिन पार्लियामेंट का कॉन्टेक्ट, पार्लियामेंट का सम्पर्क पार्टी के आधार पर सीधा होता है, पॉलिसी के आधार पर सीधा होता है। इसलिए इस प्रश्न को इससे अलग रख कर देखा जाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि पॉपुलेशन के क्रम से रिएड्जस्टमेंट का प्रश्न तय कर लेते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर संख्या भी बढ़ती जायेगी। आगे चल कर यह होड़ न हो जाय दूसरे प्रान्तों में कि अब अधिक सीट मिलने वाली हैं और पॉपुलेशन के आधार पर मिलने वाली हैं, ऐसी स्थिति में हम पॉपुलेशन को बढ़ाते चलें। और अगर यह होड़ शुरू हो गई तो आपका जो फेमिली प्लानिंग है, जो अब तो फेमिली प्लानिंग, नो प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग हैं, अगर कभी चलेगा और कभी इस फेमिली प्लानिंग को लेंगे तो यह नीति इसके विपरीत जायेगी। इसलिए पॉपुलेशन की होड़ को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारी परम्परायें बनीं हुई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं हाउस ऑफ कॉमन्स का निवेदन करना चाहता हूं, जहां संख्या सीट से ज्यादा है, माननीय सदस्य वहां के जब दोनों सदन का अधिवेशन होता है तो गौरव अनुभव करते हैं। वह व्यक्ति जो खड़ा रहता है बिना सीट के, वह गौरव महसूस करता है कि यह हमारा ट्रेडीशन है। हमारे यहां प्रजातन्त्र नया है, इसलिए हमें दूसरे देशों से अनुभव लेने चाहिएं। मैं अमेरिका का कहूं, अमेरिका

Page No 71

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में भी इस प्रश्न पर अवरुद्धता है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो परम्परा है, उसके विरुद्ध पॉपुलेशन बढ़ने से सीट बढ़ती है तो यह स्थिति नहीं हो कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिल जाय। इसी स्थिति में अपनी आवाज इस अमेंडमेंट के विरुद्ध मैं इसलिए अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि आगे आने वाली पौध याद रखे कि यह गलत किया गया और इस गलती के सम्बन्ध में चिन्तन करे। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी संविधान (इक्कतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा मैं उससे भिन्न राय रखता हूं पॉपुलेशन के बारे में। मैं चाहता हूं कि जो 500 की संख्या बंधी हुई है, 525 से लेकर 545 की संख्या याने 20 सदस्यों की संख्या बढ़ी है और भी 1961 का सेनसस हो गया, उसमें नहीं बढ़ी, 1961 में सेन्सस हुआ तब नहीं बढ़ी, 1971 की सेन्सस के बाद में बढ़ी है, 30 साल में 20 की संख्या बढ़ी है तो यह भय कि इस प्रकार सीटें बढ़ती जायंगी, इस प्रकार संसद भी सोचती है, कोई ज्यादा सीटें बढ़ाने की उनकी मन्शा नहीं है परन्तु 30 सालों में 20 सीटें भी अगर नहीं बढ़े तो उचित नहीं होगा।

जो सीटें बढ़ाने का निर्णय हुआ है वह पॉपुलेशन के आधार पर आर्टीकल भी पॉपुलेशन के आधार पर चलता है, परन्तु पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इस एक्ट को बनायें तो जो एरिया बड़ा विस्तृत है जैसे बाड़मेर की पार्लियामेंट्री कांस्टीट्युएन्सी है वहां पर 8 असेम्बली सीट्स हैं और एक पार्लियामेंट की सीट है। जिसका एरिया 32,000 वर्ग मील है……

श्री उपाध्यक्ष : This argument has already been given in the Lok Sabha.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं उस एरिया को रिप्रेजन्ट करता हूं। उन्होंने रखा लेकिन मैं भी रखना चाहता हूं ताकि उसका महत्त्व बढ़े। 32 हजार वर्ग मील एरिया केरल से तिगुना और हरियाणा से दुगुना है। जैसे विचार रखा पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए परन्तु एम. पीज. को भी जनता को एप्रोच करना पड़ता है; जैसे जैसलमेर के लिए एक सीट है जिसका एरिया 16 हजार वर्ग मील है और सिर्फ एक सीट। तो इस प्रकार पॉपुलेशन के साथ एरिया का भी कन्सीडरेशन होना चाहिए। अगर एरिया का कन्सीडरेशन नहीं होगा तो उन क्षेत्रों में एक तो खर्चा बहुत होगा और सम्पर्क भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आर्टीकल 81 (2) (ए) है संविधान का, उसमें इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए और एरिया को भी कन्सीडर करके सीट्स का निर्णय किया जाना चाहिए।

यह जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका नॉमीनेशन हो जाता है स्पीकर के द्वारा……

श्री उपाध्यक्ष : That has been done now.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में जो सदस्य लिए जाते हैं वह असेम्बली के इलेक्शन के आधार पर लिए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
जाते हैं। अगर डिलिमिटेशन किया जाए तो वह एक डेमोक्रैटिक सिस्टम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : That is not the scope of this resolution.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं सुझाव के तौर पर कह रहा हूं। क्योंकि डिलिमिटेशन के आधार पर कॉन्स्टीट्यूएन्सीज बढ़ेगी, अगर इलैक्टेड सदस्य होंगे तो एरिया और पॉपुलेशन को कन्सीडरेशन पर विधान सभा की सीट्स बढ़ाने का भी करेंगे। इसलिए मैंने ये विचार रखे हैं।

81 (ए) का प्रॉवीजो है :

Not more than five hundred members chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and.

यह जो प्रॉवीजो है यह मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए। उन छोटी स्टेट्स के बारे में यह कि वहां कम पॉपुलेशन पर पार्लियामेन्ट्री सीट्स बने यह उचित नहीं। मैं चाहता हूं कि राज्य सभा में भी उनको रिप्रेजन्टेशन देना चाहिए परंतु 2 लाख की पॉपुलेशन पर पार्लियामेंट्री कॉन्टीट्यूएन्सी बने, यह उचित नहीं हैं और आर्टीकल की मन्शा के अगेन्सट है तो इस प्रकार का प्रिफरेंस छोटे राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री !

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने। इसमें सिवा एक माननीय सदस्य के सबका कहना है कि इसके पास होने में उनका कोई विरोध नहीं है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल बेहोश होकर सीट के नीचे लुढ़क गई)

श्री उपाध्यक्ष : मैं 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 2-26 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 2.42 बजे प्रारम्भ हुई)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मन्त्री जी !

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मन्त्री) : मैं निवेदन कर रहा था कि आजकल क्या स्थिति है। 500 से ज्यादा मेम्बर लोक सभा के नहीं हो सकते थे। इस वक्त भी 506 हैं। रिऑर्गनाइजेशन के मातहत मेम्बर बढ़ सकते हैं। आर्टिकल 81 और 82 के तहत लेटेस्ट सेन्सेज के अनुसार पार्लियामेन्ट डिलिमिटेशन कमीशन एपॉइन्ट कर सकता है, जो कि हो चुका है। अब उसी आधार पर यह बिल पेश हुआ है कि जो प्रजेन्ट स्ट्रेन्थ 500 की है वह 525 कर दी जाय और उसके कारण हैं पॉपुलेशन की बढ़ोतरी होना। यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जितनी कॉन्स्टीट्यूएन्सीज हैं हिन्दुस्तान की उनको इस तरह से रिएडजस्ट किया जाय कि फर्स्ट स्टेज में एक जैसी पॉपुलेशन हो। एक ऐतराज माननीय सदस्य ने किया था, श्री गफ्फार जी ने, कि यूनियन टेरीटरीज की जो 25 सीट्स हैं उनको

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

घटा कर 20 क्यों की, उनको ज्यादा रखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी यूनियन टेरीटरीज के पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स की सदस्यता 16 के बजाय 20 तक का करने का प्रोवीजन किया हुआ है। 25 की उनकी होना संभव नहीं है इन सरकमस्टान्सेज में इसलिए 25 से घटा कर 20 किया है। इसका मतलब यह नहीं कि यूनियन टेरीटरीज का रिप्रजेन्टेशन कम कर रहे हों या उनके साथ कोई ज्यादती कर रहे हो। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 25 तक जा सकती है। इसलिये सोच कर 25 से 20 की संख्या की गयी।

मैं निवेदन करूंगा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम संख्या बढ़ाने में कोई ऐतराज करें। सब स्टेट्स की जैसे जैसे जन संख्या बढ़ती है उसी अनुपात में बढ़ौतरी हो जावेगी। यू. के. में 630 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेम्बर हैं। इटली का जो हाउस है उसमें भी 630 मेम्बर है। इण्डिया जैसे बड़े देश के लिये 525 ज्यादा सीट्स नहीं है जहां कि 57 करोड़ की पॉपुलेशन हैं। अपना देश इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा संख्या भी हम इसकी नहीं बढ़ा सकते है। यह बात ठीक है कि 10 लाख के पीछे करीब करीब एक पार्लियामेन्ट का मेम्बर चुना जाता है। उसके लिये यह पॉसिबल नहीं है कि वह सब आदमियों को कॉन्टेक्ट कर सके, संगठन के जरिये ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी संख्या भी नहीं बढ़ायी है कि ज्यादती हो रही है। दोनों हाउसेज ने इसको सर्वसम्मति से पास किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो संकल्प आपके सामने प्रस्तुत किया है इसकी जरूरत इसलिये है कि दोनों हाउसेज के द्वारा पास करने के बाद आर्टिकल 368 के नीचे प्रेसीडेन्ट की असेन्ट लेनी जरूरी होती है। आधी से अधिक विधान सभायें इसको रेक्टिफाई कर चुकी हैं। यह अब हमारे पास आया है। मेजोरिटी ऑफ स्टेटस इसको रेक्टिफाइ कर देगी तब ही डिलिमिटेशन का कार्य चालू कर सकेंगे। उससे पहले नहीं। सहूलियत से डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टीट्यूएन्सीज हो जाय इसलिये यह संकल्प प्रस्तुत हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक मत से इसको रेक्टिफाई करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (इक्कतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र में आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

(स्वीकृत)

अनुसमर्थन किया गया।

माननीय वित्त मन्त्रीजी !

अनुदान की मांगें
अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 5, 22 व 35 का प्रस्तुतीकरण

मांग संख्या 5

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त

(श्री चन्दनमल बैद)
होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 22

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

मांग संख्या 35

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 5 22 व 35 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

1. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरीय सम्पत्ति कर वसूली में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

2. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों द्वारा पदों का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

3. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एवं भवन कर विभाग द्वारा शहरों में भूमि कर निर्धारण करने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एवं भवन कर विभाग में कर्मचारियों की भर्ती में ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

5 मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एवं भवन कर विभाग में नव सृजित पदों पर भर्ती करने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एवं भवन कर विभाग द्वारा अब तक नये कर की वसूली के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में लघु

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
उद्योगों की गणना सही तरीके से न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

8. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में होने वाली भूमि व भवन कर की चोरी को रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के लघु उद्योग को गणना में सम्मिलित किया जाये, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) :

10. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एवं भवन कर विभाग में इन्जीनियरिंग सबॉर्डिनेट्स की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उचित कर निर्धारण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु स्तर के उद्योगों की गणना में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत की आजादी की 25 वीं वर्षगांठ पर संस्मरण शिलाओं का निर्माण किये जाने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71— विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

15. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13—अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाही में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राजस्थान में लघु उद्योगों की गणना में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह (माण्डल) :

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग धंधों की गणना में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

18. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की बाड़मेर जिले के लिये लघु उद्योगों की गणना भलीभांति न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में खत्रियों की रंगाई छपाई के लघु धन्धों को गणना में न लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) :

20. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्र प्रवर्तित Earn and own your Industry) योजना को लघु उद्योगों की गणना में सम्मिलित कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) :

21. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों की गणना की मंदगति पर चर्चा के लिये)।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 5, 22 व 35 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, कर वसूली की जो व्यवस्था की जा रही है यह कार्यवाही शुरू हुई तभी से कई तरह की नागरिकों के साथ धोखाधड़ी हुई है उसकी ओर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अमूमन जिलों में एस. डी. एम. साहब की मार्फत जहां नगरपालिकाएं हैं वहां पर उनको नोटिसेज दिये गये हैं कि कौन कौन सम्पत्ति टैक्सेबल है उसकी एक लिस्ट बना कर दो जिस नगरपालिका में उसका मौजूदा स्टॉफ है उसने लिस्टें बनाने की कोशिश की इस तरह की, तब ही से लोगों में भय पैदा हुआ कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। अब एक नया अमेण्डमेन्ट बिल आ गया। एक ऑर्डिनेन्स भी जारी हो गया कि सामूहिक सम्पत्ति पर टैक्स नहीं लगेगा। उसको अलग अलग यूनिट मानकर लगेगा।

इससे पहले कानून में लूपहोल था। इसका लाभ नगरपालिका के कर्मचारियों ने और एस. डी. एम. के ऑफिस के बाबूओं ने और वकीलों ने मिलकर उठाया। इन लोगों के जरिये मनमाने तरीके से लोगों ने अपने रिटर्न तैयार किये और इन लोगों ने अपनी जेबें पूरी तरह से भरीं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन बाबू लोगों ने और अधिकारियों ने और वकीलों ने मिलकर लोगों को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें इतनी छूट दिला देंगे, तुम्हें इतनी रियायत करा देंगे तुम हमारी जेबें गरम करो।

आज इसके लिए अमला कायम करने के लिए स्वीकृति मांगी जा रही है। इसके लिए सरकार को यह करना चाहिए था कि इस अमले में भरती के लिए जिले के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, पर जिले के लोगों को ज्ञान भी नहीं हो सका और इधर सारी भरती कर ली गई। ऐसे ऐसे लोगों की कर ली गई जो उस इलाके की परिस्थिति को समझने में काफी दिन लगावेंगे और फिर भी समझ नहीं पावेंगे पूरी

(श्री दीपंकर)

तरह से। बहुत समय से तो वे वहां के वातावरण और हालत को समझने में ही लगा देंगे। इन्सपेक्टर लिये जा रहे हैं वे जिलों से लिये जा सकते थे। अगर जिस जिले के लिए चाहिये उनको उसी जिले से लिया जाता तो समस्या का काफी समाधान हो सकता था, पर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

साथ ही जो अधिकारी इस काम में पहले से थे उन लोगों ने भी अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी जेबें भरने में कसर नहीं रखी है। इस का एक परिणाम यह होगा कि सरकार को अपेक्षित टैक्स नहीं मिल पावेगा और मुझे तो आशंका है कि जितना सरकार का इस अमले पर खर्च होगा वह खर्च भी पूरा हो पावेगा कि नहीं।

अब टैक्स किस तरह से कैसे लगेगा इसके एक्सपर्ट लोग भी आपके पास नहीं हैं। अभी तक सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। न एक्सपर्ट बैठे न नियम वगैरह बने। लोगों को यही पता नहीं कि किस तरह से यह टैक्स निर्धारित किया जावेगा।

आप कह सकते हैं कि आजके मूल्य से निर्धारित किया जावेगा तो आज के मूल्यों में भी अन्तर होगा जगह जगह। आज किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। महज यह कह देना कि इसकी अमुक कीमत है, काफी नहीं होगा। आवश्यक है कि काफी सावधानी बरती जानी चाहिये। नगरपालिका और एस. डी. ओ. के दफ्तर के बाबूओं ने मिल कर जो निर्धारण अब तक किये हैं उनको निरस्त किया जा कर नये सिरे से यह सारा निर्धारण किया जाना चाहिये, उचित रूप में नियमानुसार किया जाना चाहिये वकीलों ने महनताने के रूप में जो उनसे ले लिया, वह तो ले लिया, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, पर बाबू लोगों ने जो पैसा उनसे लिया है सरकारी स्तर के लोगों ने जो लेना देना किया है जिसके लिये लोग-बाग कहने को भी तैयार हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है।

इसका मूल उद्देश्य जो था कानून का वह तो डिफीट हो गया आपके संशोधन से कि आप अलग अलग यूनिट मान कर निर्धारित करेंगे। पर मुझे डर है कि कहीं जो खर्चा आपने इसकी वसूली में अमले पर खर्च करेंगे वह भी पूरा वसूल हो पावेगा कि नहीं। सरकार को उतना राजस्व भी नहीं मिलने वाला है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट करें। किस तरह से वे कर निर्धारण करेंगे ताकि लोगों के सामने भी यह स्पष्ट हो कि किस तरह से यह कानून अपना काम करेगा? मेरा यह भी निवेदन है कि कर निर्धारण किन्हीं एक्सपर्ट लोगों से करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो शहरी भूमि कर निर्धारण के बारे में राजस्थान सरकार ने कानून पास किया है कानून पास करते समय भी यह आशंका थी कि जिन लोगों के अलग 2 जिलों में अथवा अलग अलग शहरों में या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एक ही शहर में अलग अलग स्थानों पर मकान हैं या शहरी सम्पत्ति है उनको एक यूनिट मानकर कर निर्धारित किया जावेगा या अलग अलग।

प्रारम्भ में जो कानून बनाया गया था उसमें सब सम्पत्ति को एक यूनिट मानकर बनाया गया था। उस वक्त भी लॉ विभाग एग्जिस्टेन्स में था। आज लॉ डिपार्टमेन्ट को इसमें क्या कठिनाई महसूस हुई कि उसने सभी मकानों को अलग अलग यूनिट मानकर कर निर्धारण की बात कहनी पड़ी और इसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा।

आजादी आने के बाद पिछले पच्चीस वर्षों में शहरों में रहने वाले लोगों की सम्पत्ति अनाप-शनाप बढ़ी है। पहले जिनके पास एक मकान था आज दस-दस और बीस-बीस मकान हो गये। इस पर से सोचा यह गया था कि इस टैक्स से राज्य के खजाने में कुछ पैसा आयेगा। पर जब कुछ रिटें हाई कोर्ट में गई जिसकी पहले भी आशंका थी, तो उसके बाद सारी प्रोपर्टी को अलग अलग यूनिट स्वीकार कर लिया गया। इसलिये हमारी जो मंशा थी शुरू में इस कानून को लाते समय वह तो डिफीट हो गई। इससे टैक्स भी कम आवेगा।

जब यह एक्ट बना तो हमने कहा था कि इसके नियम भी साथ साथ बन जाने चाहियें। पर जल्दी जल्दी में सरकार ने ऐसा नहीं करके केवल एक फार्म ही निर्धारित किया। इससे कठिनाइयां पैदा हुई। अभी तक भी स्पष्ट रूप से नियम नहीं बन पाये हैं। देखा जाता है कि कानून बन जाता है, पर कई वर्षों तक भी उसके तहत बनने वाले नियम नहीं बनाये जाते। नतीजा यह होता है कि राज सरकार की इस ढिलाई का लाभ लोग वकीलों की राय लेकर उठा ले जाते हैं।

मैं राज सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस कानून को ठीक तरह से कार्य रूप में परिणित करना है तो जो नियम हैं उनको काफी सरल और सीधा बनावे। कनफ्यूजन न हो ऐसे नियम होने चाहिए। इससे लिटीगेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा और राज्य सरकार को टैक्स भी ठीक तरह से आ जावेगा। तो इस तरह के रूल्स शीघ्र ही निर्माण किये जाने चाहियें, ताकि सीधे-साधे तरीके से हरएक को जिनको पैसा देना है समझ में आ जाय। इसमें कॉम्प्लीकेशन करके इन्सपेक्टर और ऑफिसर्स पर निर्भर न रखा जाय और जो असेसमेंट करने वाले हैं, उनके ऊपर भी न रखा जाय तो पूर्व में जैसा कि कानून की दुर्गति हुई है, जितने कानून पास हुये हैं, उनका सही इम्प्लीमेन्टेशन आज तक नहीं हुआ है, वह न हो। जो पूर्व में हमारा अनुभव है, तो आगे भी उस कानून को जिसके द्वारा यह टैक्स लग रहा है, ठीक बनायें क्योंकि वे बहुत होशियार लोग हैं। बहुत अच्छे अच्छे वकील लोग रहते हैं। ये लोग टैक्स को इवेड करने को तैयार रहते हैं। जो एक यूनिट की बात थी वह तो समाप्त हो गई। अब अलग अलग कितनी सम्पत्ति रख सकते हैं यह भी एक अलग बात है।

जो कानून हमने पास किया है उसके इम्प्लीमेन्टेशन की तो बात ही नहीं आई है। कानून पास कर दिया लेकिन इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। जो हमारी मंशा है और जो आज जनता में उद्विग्नता है कि गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है और उसके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रहने को झोंपड़ी भी नहीं है। जो टैक्स मालदार लोगों से वसूल करना चाहते हैं, उसके नियम शीघ्र जारी हो जाने चाहियें। जो शहर का तबका है, जिनके टैक्स नहीं देने की नीति है वह पकड़ में आ जाय और टैक्स वसूल हो जाय।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा इस विभाग के अन्दर जो कर्मचारियों की भरती की गई है और जो इस डिपार्टमेंट को बढ़ाया गया है उस बारे में माननीय मंत्री जी ने अनूपूरक मांग के जरिये पैसा चाहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस तरह जो इमर्जेन्ट रिक्रूट-मेंट होते हैं इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं उनको फायदा नहीं रहता है। शहर के लोग तो ताक में रहते हैं। गजट और अखबार में विज्ञापन निकले तो वह भी वास्तव में गांव तक नहीं पहुंचता है। जब रिक्रूटमेंट होकर भरती हो जाती है तब जाकर मालूम पड़ता है। हालांकि हमें भी मालूम नहीं है। इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट होते हैं—टैक्सेशन का विभाग है इमर्जेन्ट रिक्रूटमेंट भी क्यों नहीं हो। हर जगह रिक्रूटमेंट इमर्जेन्सी में हो तो केवल गजट नोटिफिकेशन करके ही नहीं करना चाहिये, क्योंकि हमारा राजस्थान एक लम्बा-चौड़ा प्रान्त है। ग्रामीण क्षेत्रों के नव-युवक एम. ए., बी. एससी. जो क्वालिफाइड केन्डीडेट्स हैं वे जब तक पता लगाने आते हैं तब तक भरती समाप्त हो जाती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा जो रिक्रूटमेंट किये हैं, उसका एडवर्टाईजमेंट किस तरह किया गया—गजट नोटिफिकेशन हुआ और उसके होने के बाद में आपके पास किस तरह की एप्लीकेशन्स आई और किस तरह रिक्रूटमेंट हो गया, मैं यह भी जानना चाहूंगा।

विभाग ने इमर्जेन्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए कोई स्पेशल नियम बनाये हैं क्या ? और क्या पी. एस. सी. से मन्जूरी ली गई है? यह हम जानना चाहेंगे। जिसको मालूम पड़ जाता है वह फायदा उठाते हैं और जो बहुत से क्वालिफाइड केन्डीडेट्स आ सकते हैं वे महरूम रह जाते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष जी, हमारे जिले से जैसा माननीय लाडनूं से आने वाले सदस्य कह रहे थे हमारे नागौर से एक की भी बारी नहीं आई इसी तरह हमारे जालौर जिले में बहुत से क्वालिफाइड लड़के बैठे हैं उनकी भी बारी नहीं आई। पता नहीं एडवर्टाईजमेंट हुआ या नहीं हुआ जब कि एम्पलॉयमेंट का मौका ऐसे ही मौके पर आता है। विभागीय स्तर पर निकाले हैं, पी. एस. सी. से शायद करके निकालें तो काफी एप्लीकेशन्स आती हैं, और काफी लोगों को मालूम पड़ जाता है। शीघ्रता से पी. एस. सी. से अप्रूवल लेते हैं फिर भी रिक्रूटमेंट हुये हैं और काफी एप्लीकेशन्स आ गईं और काफी लोगों को मौका मिला।

इस विभाग में भी मुझे आशा थी कि इस तरह हमें पता लगेगा, लेकिन हमको खुद को पता नहीं लगा कब गजट में निकला कब रिक्रूटमेंट हुआ तो, उपाध्यक्ष जी, इस तरह के रिक्रूटमेंट में शहरी तबके के लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। मेरा निवेदन है 80 पर्सेंट लोग गांवों में रहते हैं, जब हम गांवों के लिये कहते हैं एम. ए., एम. एस. सी. क्वालिफाइड लड़के बैठे हैं। उनको सूचना नहीं मिलती है तो उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। शहर में उसके रिश्ते-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दार हैं तो भी पता लगा लेते हैं, मगर गांव वालों को सूचना का कोई साधन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू भी नाम मांगते तो भी पता लग सकता है, क्योंकि अपने गांव में ही एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से पता लगाया जा सकता है। सारे केन्डीडेट्स की सूची एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज से मांगी या नहीं मांगी और नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी। हर पढ़े लिखे लोगों की बारी आनी चाहिये थी। गावों में बहुत बुरा असर पड़ता है। वे कहते हैं शहर में ज्यादा सस्ता अनाज दिया जाता है। शहर में भार्गव साहब कहते 10 किलो अनाज देवें और गांवों में तीन किलो भी नहीं मिलता है। गांवों के आवागमन के रास्ते भी सब टूट गये हैं। 15-15 दिन तक गांव वाले भूखे रहें तब भी कोई पता लगाने वाला नहीं है, क्योंकि वे शहर वालों की तरह हल्ला नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में हर डिपार्टमेंट को विशेष जानकारी होनी चाहिये और हर डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज से नाम मंगाने चाहिये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को फायदा हो सके।

उपाध्यक्ष जी, लघु उद्योगों के बारे में भी जालोर जिले की उपेक्षा की गई है। जो जालोर में लघु उद्योग थे, वे कोटा नहीं मिलने से बन्द हो गये। एक भी उद्योग नहीं चल रहा है। जो केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार में पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं और ऐसे जिलों की औद्योगिक विकास की जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी सर्वे होकर राज्य सरकार के सामने फेक्ट्स रहने चाहिए जो भी वहां उद्योग की पासिबिलिटीज हों रॉ-मेटेरियल हो और जहां ज्यादा स्कोप हो उस बारे में राज्य सरकार को विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार से जो सहायता प्राप्त हो और राज्य सरकार द्वारा भी अपने साधनों से ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस बारे में जालोर जिले की आज दिन तक उपेक्षा की गई है मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस रूप में आपने सारे जिलों की औद्योगिक सर्वे की है जालोर जिले का सर्वेक्षण इस रूप में किया गया है या नहीं किया गया है और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया और निकट भविष्य में क्या आप करने का विचार रखते हैं? इस बारे में मंत्री जी से मैं पूरी इनफर्मेशन चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी एक तो मैं पहले आपसे निवेदन कर दूं कि तीनों ही मेरे कटमोशन्स हैं उनके ऊपर एक साथ ही बोलने का समय दें क्योंकि पहले वाले माननीय सदस्य हैं वह एक कटमोशन पर बोले थे इसलिए मैं भी अलग अलग कटमोशन्स पर बोलना पसन्द करूंगा और तृतीय वाचन शुरू होगा उस समय मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही निवेदन कर दें।

श्री यशवंतसिंह नाहर : तृतीय वाचन इसमें नहीं है वह बिलों में होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें भी है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : विनियोग बिल पर बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जीं हां, उसी की बात कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: अभी तो डिमाण्ड्स चल रही हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए मैं एक एक डिमाण्ड पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तीनों डिमाण्ड्स को एक साथ लिया है इसलिए क्रमशः तीनों पर ही बोल दें ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि आप क्यों अधिक तकलीफ करते हैं एक साथ ही बोल दें। आपके पैर में भी तकलीफ है इसलिए बार-बार उठने का क्यों कष्ट करते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसकी चिन्ता मत कीजिए ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे बहुत चिन्ता है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय जो मेरा कटमोशन है वह भूमि एवं भवन कर जो कि नया टैक्स लगा है और उसके लिए कुछ पदों का सृजन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो संशोधित बिल रखा है इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में यह टैक्स नगरपालिका का टैक्स है और नगरपालिका का टैक्स होना चाहिए था । यह इन्होंने नगरपालिका के टैक्स का अतिक्रमण किया है....

श्री चन्दनमल बैद : ट्रेसपास किया है—यों कहिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ट्रेसपास किया है । मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आप 8 करोड़ का खर्चा कम करने के इच्छुक हैं । वित्त मंत्री माननीय श्री चन्दनमल जी बैद ने बताया कि राज्य सरकार केन्द्र से इस संबन्ध में विचार विमर्श कर रही है कि वह किन किन खर्चों में बचत कराना चाहती है । एक ओर तो आप बचत करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप इस टैक्स को लगाकर जिसमें मैं कहूं कि खर्चा तो ज्यादा और आय कम ऐसा आप टैक्स यहां पर लगाने जा रहे हैं । आज कौनसी स्टेज बाकी है कमाओ तो टैक्स, जोड़ो तो टैक्स, खर्चा करो तो टैक्स और मर जाओ तो टैक्स । लाश उस समय उठेगी जिस समय कि मृत्यु टैक्स चुका देंगे और इस टैक्स का सृजन स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के मंत्री मण्डल के कार्यकाल में किया गया । तो फिर अब कौनसी स्टेज बाकी रह गयी है ? मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि इस टैक्स को लगाकर आपने स्वयं ने जान बूझकर अपने लोगों को बड़े बड़े लोगों को और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए लेकुना रखा है । उसमें मौका दिया है कि लोग हाईकोर्ट में जायें । वर्ना हमने भी कहा था कि यह टैक्स भारी पड़ेगा और आप मान जाइये इसको मत लगाओ और आपने हठवादिता के कारण जो कि यहां के लिए मशहूर है, इस टैक्स बिल को पास करा लिया । आपने लेकुना रखा और लोगों को छूट दी कि हाईकोर्ट में चले जाओ । वह वहां चले गए और फिर आप अमेन्डमेन्ट लाये हैं । यह 50 हजार की कीमत वाले भवनों पर टैक्स है ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अर्बन एरिया में जहां जहां प्रॉपर्टी है सब को जोड़कर यदि जमीन और मकान सबकी कीमत 50 हजार से ऊपर की है तो आधा पर्सेंट टैक्स लगेगा और फिर इसको आप 2 पर्सेंट कर देंगे और आपने कहा कि इससे बहुत आमदनी बढ़ जायेगी । उस समय आपने कहा था । लेकिन इससे गरीबों को मुक्ति नहीं मिली । जो मालदार थे वह मालदार ही रहे । वह टैक्स देंगे या नहीं इसका मुझे संशय है । आप अमेंन्डमेन्ट ले आये । वह बड़े आदमी टैक्स देने वाले नहीं हैं । इस टैक्स से गरीबों का भला होने वाला नहीं है । टैक्स से वसूली नहीं होगी बल्कि गरीब जनता ही टैक्स देगी गरीब जनता नियमानुसार टैक्स दे रही है । उनकी टैक्स से आप अपने राजस्थान की सरकार को चलाने में अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं और नये पद बना रहे हैं और इसी आधार पर आप सरकार को चलाना चाहते हैं। होना तो यह चाहिये था कि आप इस प्रकार टैक्स लगाते कि उसका भार बड़े लोगों पर ही पड़ता । आपने आधा पर्सेन्ट टैक्स लगाया और फिर आप 2 पर्सेन्ट वसूल करोगे । आपने पहली तारीख को घोषणा कर दी, समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाये और लोगों ने नक्शे बनवाये और फिर लोगों ने फार्म भरवाये और 30 तारीख तक लोगों ने टैक्स जमा करा दिया । होना यह चाहिये था कि आप कहते हैं कि मैं टैक्स वसूल कर रहा हूँ इसलिए यह वसूल कर रहा हूं कि इससे मैं आवासहीन लोगों को मकान दूंगा । हमारे भारत के संविधान के प्रिन्सिपल्स में लिखा है कि सरकार नागरिकों के लिए भोजन का प्रबन्ध करेगी तो वह हो नहीं रहा हैं, 4 से 3 किलो और 3 से फिर 2 किलो और फिर उसके बाद में फाका । फिर संविधान में लिखा है कि रहने के लिए मकान देंगे और आवास की समस्या को हल करेंगे लेकिन यह भी नहीं कर रहे हैं । आधा पर्सेन्ट टैक्स लगा रहे हैं तो लोगों के लिए मकान बनाने चाहियें और मकान भी समाजवाद के आधार पर बनवाने चाहियें । ऐसे नहीं कि जैसे दिल्ली में मान नगर, विनय नगर और सेवा नगर । मान नगर में तो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, विनय नगर में विनती करने वाले क्लर्क और सेवा नगर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी । समाजवाद क्या इसी तरह से आयेगा ? इसके स्थान पर बिल्डिंग एक ही रहती ऊपर तो हरिजन रहते, बीच में क्लर्क और नीचे रहते आप वित्त मन्त्री जी । फिर ऊपर से पड़ता तो बीच वाले चिल्लाते और बीच से पड़ता तो नीचे वाले चिल्लाते । इस आधार पर आप आवास की समस्या हल करते तो अच्छा होता ।

मैं मूल प्रश्न की ओर आ रहा हूँ । मैं कहता हूँ कि पदों पर नियुक्तियां तो हो जायेंगी लेकिन आय तो हुई नहीं । लोगों ने रिटर्न्स भरकर दे दिये । उन्होंने कहा कि 50 हजार से कम का है आपने कहीं उनकी जांच करवाई ? नहीं करवाई । किसी ने कहा कि मेरा तो 51 हजार का है और उसने 1 हजार का टैक्स दे दिया । क्या आपने कभी उसकी जांच करवाई कि जो कुछ भर कर दिया है वह सही है । मैं कहता हूँ कि उसके बाद में आपने विलम्ब कर दिया है और जो कुछ टैक्स वसूल होने वाला था वह नहीं हुआ ।

(श्री. गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप टैक्स वाली बात को हटवा देने की नीति को छोड़िये। आप यह बिलकुल माफ कर दें कि मुझे तो टैक्स नहीं लगाना और गरीब नगरपालिकाओं को यह अधिकार दे दें। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स पर आप कब्जा किये बैठे हैं। सन् 52 में 3 सिनेमा हाल थे और उस समय एक रुपये में 6 पैसा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स था और आप अब 1 रुपये पर 76 पैसा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लेते हैं और फिर उसके अलावा शो टैक्स अलग से लेते हैं। अब 3 के बजाय 7 सिनेमा हॉल हो गये हैं। सिनेमा देखने वालों की संख्या बढ़ गयी है और एक रुपये के ऊपर 6 पैसे के स्थान पर 76 पैसा लेते हैं। नगरपालिकाओं की आय को आप लिये बैठे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिनेमाओं का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगरपालिकाओं को आप भंग कर दें, नगरपालिकाएं सफाई की व्यवस्था कर नहीं रही हैं, नगरपालिकाएं सड़कें नहीं बनवा रही हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से करके आप स्वायत्त शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना कर उस पर आप अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते हैं और कोई मेम्बर अगर गड़बड़ करे तो डायरेक्टर लोकल बॉडीज आपके हाथ में है जो उसको बरखास्त कर सकता है। इन नगरपालिकाओं को आप बिल्कुल भंग कर दें और अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को वहां का प्रशासक बना दें इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें खर्चा ज्यादा होगा, आय कम होगी, इसलिए आप इस बात को छोड़ दें कि आधा पर्सेंट लगाना या एक पर्सेंट लगाना है या दो पर्सेंट लगाना है। यह बुराई आप अपने सिर पर न लें और म्यूनिसिपैलिटी को सौंप दें, वे अपने आप देख लेंगी कि टैक्स आएगा या नहीं। आप उनको देकर देख लें कि वह टैक्स ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, यही मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है।

अब मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान इसी सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सब बातें तो हैं ही, पर इन टैक्सेज के बाद भी आप अभी तक कर्जदार हैं। खर्चा तो आप कम करने नहीं जा रहे हैं आपको ध्यान होगा कि मार्च 72 से जो दिल्ली में अशोका होटल है, उस अशोका होटल में राजस्थान सरकार के अधिकारी और दूसरे मंत्रीगण जाते होंगे.......

श्री चन्दनमल बैद : मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जरूर कीजिए आप।

श्री चन्दनमल बैद : खर्चा आप दे दीजिएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जरूर दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो जम्बूनाथ के साथ तीन बार हो आये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप और आपकी कृपा से जीत कर आए हुए ये आपके पिछलग्गू जो गाय की पूंछ पकड़ कर चलने वाले गाय को भी ले डूबेंगे .....

Page No 84

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम किसी की कृपा से नहीं जनता की कृपा से जीते हैं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो इन्दिराजी का ताबीज है जो गले में बांध कर आ गए ......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो इन्दिराजी का ताबीज है या नहीं लेकिन तुम तो गोलवलकर के नाम पर जीत गए नहीं तो तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाती।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो गुरु गोलवलकर का क्या नाम लेते हो, आप तो इन्दिराजी के गुण गाओ जिसकी कृपा से ये रामानन्दजी, केशरीमलजी और गफ्फारअलीजी यहां आकर बैठ गए वरना तो जैसे वो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का हाल हुआ है उसी तरह से सफाया हो गया होता।

(व्यवधान-अश्रव्य)

तो मैं निवेदन कर रहा था ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तुम्हारे गुरू भैंरूसिंहजी का क्या हुआ ? वह भैंरूजी के मंदिर में बैठे घण्टा बजा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव . आपके लिए तो उनके चेले चपाटे ही बहुत हैं। अगर वे आ जाते तो आज जो छः छः महीने. में विधान सभा बुलाते हैं वह भी नहीं बुला सकते थे।

(शोरगुल-व्यवधान- अश्रव्य)

भैंरूसिंहजी और सतीशचन्द्रजी आ जाते तो न जाने क्या होता ? उधर तो मामला बिल्कुल खाली है। ये जो ताली बजाने के लिए यहां लाकर बिठा दिए हैं ......

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये उनके चेले चण्डूखाने के सदस्य, मालगोदामों के पहरेदार, इनको गलतफहमी कहां से हो गई कि ये सदन को बुला रहे हैं। अरे ये तो बिड़ला के गोदाम और टाटा के गोदाम, सेठ सिंहानिया और जयपुर के सेठों के गोदामों की चौकीदारी कर रहे हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

माननीय सदस्य !

श्री मनोहरलाल : उन्होंने टैक्सों की चोरी की है और कब तक बचाओगे उनको चोर तो चोर ही रहेगा।

(भारी शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मनोहरलाल : तस्करों के साथ बैंठ कर अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा था कि अशोका होटल का 35 लाख रुपया जो आपमें उधार पड़ा है, माननीय वित्त मंत्रीजी राज्य सरकार चाय के और भोजन के पैसे भी नहीं चुका पा रही है। अशोका होटल की रकम, तीन वर्ष से ऊपर हो गए हैं, राज्य सरकार के नाम

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पर अशोका होटल में आज भी राजस्थान पर पैसा बकाया है और वह मांगते हैं। मैं समझता हूं कि जो सरकार रेस्टोरेन्ट वालों तक का बिल नहीं चुका सकती वह सरकार क्या राज करेगी आप अनुमान लगाइये? यह भिखमंगी सरकार, जापान ने आपके नाम पर कि भारत के लोग भूखों मर रहे हैं, जापान के बेरों ने झोला फैला 2 कर पैसा इक्ट्ठा किया और चैक तैयार कराकर जब हमारे केन्द्रीय मंत्री वहां जाते हैं तो उनके सामने अपनी झोली फैलाते हैं और वेरे उसमें चैक डालते हैं और उनकी फोटो खिचवा कर भिखमंगे बन कर देश का खूब सम्मान बढ़ा रहे हैं। यह आपने आज भारत माता की आर्थिक स्थिति कर दी है। आप तो अच्छा यही होगा कि आप और आपके ये पिछलग्गू दोनो ही त्याग-पत्र दे दें तो बहुत भारी काम होगा ......

श्री चन्दनमल बैद : और आपको राज करने के लिए मौका दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो आपके सरकारी उद्योग हैं वे भी सब घाटे में हैं। आपका, भारत का खाद्य निगम एक क्विन्टल में 26 रुपयों का मुनाफा कमाए और 32 करोड़ का घाटा दिखाये उसमें। मैं समझता हूं कि इससे बढ कर और हालत क्या होगी। आज ये कहते हैं कि जमाखोरों को पकड़ेंगें। मुनाफाखोरों को पकड़ेंगे, दिल्ली का सुपर मार्केट बाज़ार से महंगी चीजें बेच रहा है और वह दिल्ली प्रशासन के पास है। जब आपके स्वयं के मार्केट में आप चीजें महंगी बेच रहे हो, महंगे भाव पर बेच रहे हो तब क्या होगा? उनको आप क्यों नहीं रोकते आज सारे के सारे उद्योग आपके घाटे में हैं जबकि आज बिड़ला और टाटा के उद्योग नफे में हैं। बिड़ला मुनाफा कमा कर मन्दिर बना रहा है और टाटा अपना मुनाफा कमाकर हॉस्पिटल बना रहा है। भारत की सरकार यदि मन्दिर नहीं बना सकती, यदि हॉस्पिटल नहीं बना सकती तो मैं निवेदन करूंगा कि गांव गांव में तहारत ही बना दें ताकि लोग यह तो समझें कि चलो सरकार ने पांच पंचवर्षीय योजनाओं में यह काम तो किया कि तहारत बना दिए, ताहरत तो देखने को मिले, फ्लश की लेट्रीन तो मिली। आप मंदिर और हॉस्पिटल मत बनाओ, गांव 2 में तहारत ही बनादो तो भी लोग समझ लेंगे कि आपकी पंचवर्षीय योजनाएं सफल हो गई हैं ......

श्री चन्दनमल बैद : यह सरकार तो स्कूल और वाटर वर्क्स बनाती है। तहारत बनाने का काम तो आपके लिए सौंप रखा है।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : राष्ट्रीय धन का इतना उपयोग मत कीजिए कि बारबार आपको तहारत की जरूरत पड़े।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये तो खुद चलते फिरते संडास हैं।

(हंसी, व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दोनों एक से हैं इसलिए आप दोनों हंस लो। आपने अपने पिछलग्गू बिठा रखे हैं जिनसे ताली पिटवा लो। ये ताली पीटने वाले आपके पास हैं ही। यह तो भगवान राम के समय

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
वन विहार के समय आप लोग खड़े रहे थे और जब वापस आए राम तो मालूम हुआ कि जनता तो चली गई लेकिन ये सब यहां खड़े रह गए ……

श्री चन्दनमल बैद : ये रावण की सेना में थे।

(भयंकर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उस समय राम ने कहा कि तुम धोली टोपी पहन कर राज करोगे इसलिए राज कर रहे हो। यह तो उस वरदान का फल है उसके कारण आप यहां बैठे हो और आपके यह पिछलग्गू, डोम, दरोगा बैठे हैं, जो भी यहां पर बैठे हैं, इनसे, इन दरोगों से ताली बजवालो।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पांचवीं योजना पर आपने इसी सदन में विचार करने पर दिल्ली में 17 और 18 तारीख को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में बैठ कर विचार किया और राज्य का मंत्रिमण्डल 2,540 करोड़ की पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप स्वीकार कर चुका था राज्य की योजना पर 625 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह विधान सभा किस के लिए है ? आपने पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर राजस्थान विधान सभा को विचार करने की तकलीफ नहीं दी है। आप भारत सरकार से क्या डिमाण्ड करने जा रहे हैं ? इस राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान के जन-प्रतिनिधि हैं उन जन-प्रतिनिधियों को आपने कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया है इससे बढ़ कर दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है ? मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था कि आज हालत यह है कि, दशा यह हो गई है कि राजस्थान के बेरोजगार इन्जीनियर्स आत्म हत्या कर रहे हैं। उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। यह उनकी हालत आपने कर दी है। सीमेन्ट नहीं मिल पा रही है। अकाल राहत कार्यों के अन्दर जो कुओं का निर्माण आपने कराया है उनको सीमेन्ट नहीं मिल पा रही है। सारा काम आपका अस्त-व्यस्त है।

चूरू में जो स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक पाठशाला है वहां आपने दो दो प्रधानाध्यापिका का पोस्टिंग कर दिया है। पहले जो थी उसका स्थानान्तरण नहीं किया। इसका परिणाम यह निकला …

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह कोई बात है। आप रिलेवन्ट नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज हालत बड़ी खराब है। उस स्कूल में दो दो ऑर्डर निकल रहे हैं, एक पहले वाली प्रधानाध्यापिका का और दूसरा उसका जो आपने तबादला कर के भेजी है। इस प्रकार शिक्षकों के साथ बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। पहली वाली का आपने ट्रान्सफर नहीं किया और आपने तुरन्त बदले की भावना से कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। आप और तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं किन्तु स्ट्राइक खतम होते ही अध्यापकों के तबादले प्रारम्भ कर दिये हैं। जो लोग बीमार हैं, टी. बी. सेनटोरियम में भर्ती हैं, उनका भी आपने ट्रान्सफर कर दिया है। यह आपकी कार्य-कुशलता का नमूना है।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि तीन दिन के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अन्दर अन्दर खोवे पर प्रतिबन्ध लगा देंगे। यह अक्टूबर का महीना चल रहा है कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री-महोदय ने यह भी घोषणा की थी कि जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार डी. आई. आर. के तहत कार्यवाही करेगी। जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ डी. आई. आर. के तहत एक्शन लेंगे। परन्तु आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तीन दिन के अन्दर खोवे पर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा आज भी विधि विभाग का चक्कर खा रही है। घोषणा के 15 दिन के बाद आपने इसको विधि विभाग को रेफर कर दिया और विधि विभाग को रेफर होने के बाद वह घोषणा वहीं पर रह गई है। इससे बढ़ कर दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं हो सकती है। इस प्रकार हमारे मंत्रीगण सदन में किए गए वायदों से मुकर जाएं, बाहर किए गए वायदों से मुकर जाएं तो आखिर क्या होने वाला है इस प्रकार की आज हालत है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपके बोलने की कोई सीमा नहीं है। हर विषय पर आप बोल रहे हैं। यह रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, यह वित्त मंत्री जी जानते हैं—क्या हो रहा है? आपको जानकारी होगी खेतड़ी में जो ताम्बे का प्रोजेक्ट है उसमें राजस्थान प्रान्त के लोगों को नहीं लिया जा रहा है और बाहर के लोगों को लाकर वहां पर रोजगार दिया जा रहा है। परिणाम यह हो रहा है यहां के लोग बाहर जाकर अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। आज किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

आज पेय जल भी उपलब्ध नहीं है ब्रह्मपुरी में चले जाइये। इसी तरह से लक्ष्मीनारायण पुरी के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सवाई माधोपुर के बारे में आपकी इन्टक के प्रेसीडेन्ट दामोदर मोर्य का वक्तव्य आया है, 20 वर्ष के बेहद प्रयास करने के बाद भी सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फेक्टरी के अन्दर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो आपके बजट में कितना सुधार हुआ है। दामोदर जी को मुख्य मंत्री जी विधायक दामोदरजी के नाम से लिखते हैं। यह तो आपकी काम करने की कार्यकुशलता है।

शिक्षा मंत्रीजी आपने कहा था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करा दूंगा वरना मेरा जैसा नालायक और अयोग्य व्यक्ति और कोई नहीं होगा। आज सितम्बर, अक्टूबर का महीना चल रहा है। स्कूल के बच्चों के पास पूरी पुस्तकें नहीं हैं। आपका जो बोर्ड है उसमें गंभीर गबन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको इस बात का अन्दाजा नहीं है कि 50 फीसदी बच्चों की पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अव्यवस्था आपकी निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। आपका प्रशासन फेल हो गया है किताबों का राष्ट्रीयकरण भी फेल हो गया है। दूध लोगों को मिल नहीं रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपको मूल विषय के बारे में निवेदन कर रहा था। आज राजस्थान का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पनप नहीं रहा है। आप नए उद्योगों को लाइसेन्स नहीं दे रहे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। वक्त पर नहीं देने के कारण उद्योग नहीं लग पाते हैं। आपकी जो सेल्स टैक्स की पद्धति है वह बड़ी निकम्मी है। दिल्ली में सेल्स टैक्स की पद्धति दूसरी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दूसरी है। आपकी बिक्री कर की पद्धति गलत है। उसमें गड़बड़ी है और इस के कारण कोई भी व्यक्ति राजस्थान में उद्योग नहीं लगा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश में लगाता है, मध्य प्रदेश में लगाता है लेकिन राजस्थान में नहीं लगाता है। इसका दोष आप पर है। आप के ही कारण राजस्थान के कुटीर उद्योग भी नहीं पनप रहे हैं। लोगों को बिजली नहीं मिलती है। बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। इसमें भी गड़बड़ी है। किसानों को आसानी से लोन मिल जाय इसकी आप को व्यवस्था करनी होगी। कुटीर उद्योगों को सहायता दें, तकाबी दें। मैं तो यह समझता हूं कि नगर में जो मूर्तिकार हैं, उनको कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। जयपुर में लकड़ी का काम होता है। वह प्रसिद्ध भी है किन्तु कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। आपने इसके लिए कोई मार्केट नहीं बनाया है। उनको सामान मंगवा कर भी यह सरकार नहीं दे रही है। इसी तरह से यहां पर छपाई का काम प्रसिद्ध है, लेकिन इस कुटीर उद्योग को भी कोई प्रोत्साहन नहीं है। ये उद्योग--धन्धे गरीब तबके के लोगों के उद्योग--धन्धे हैं परन्तु ये कुटीर उद्योग आज आपकी गलत नीतियों के कारण डूब रहे हैं। आपतो सिर्फ साम्प्रदायिकता को पनपा रहे हैं। सिर्फ चूरू की संस्थाओं को आप 9 लाख का अनुदान दे रहे हैं। सिवाय साम्प्रदायिकता में वृद्धि करने के आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिशनसिंह शेखावत ने आपके खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक ज्ञापन पेश किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप मेरे साथी हैं, एम. एल. ए. हैं और उसके बाद आप मंत्री हैं। मेरे किसी सहयोगी पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाए और वह आरोप भी सच्चा हो तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। यदि यह आरोप गलत है तो आपको इसका खण्डन करना चाहिए। उनका आपको खण्डन करना चाहिए, लेकिन आप खण्डन नहीं कर रहे हैं और यों नहीं कर रहे हैं कि वह सत्य हैं। 19 लाख रुपया 73-74 में जिन इन्स्टीट्यूशन्स को दिया था और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में ट्रान्सफर करने के लिए तो वह आपकी बिरादरी के थे। आपकी बिरादरी के लोगों को आपने ट्रान्सफर यहां पर किया। नथमल जी ढढ्ढा को जो कि आपके रिश्तेदार हैं उनको आपने इन्सपेक्टर बनाया। आपने अपने रिश्तेदार को डाइरेक्टर बनाया। आपने पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं दीं। जयपुर में 96 महिला अध्यापिकाएं सरप्लस हुई हैं और आपने उनको लगा दिया है लड़कों के स्कूल में जब कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि महिला अध्यापिकाओं को लड़कों के स्कूलों में नहीं रखा जाना चाहिए लड़कियों के स्कूलों में रखना चाहिए। आपने यह बात की। माननीय मन्त्री जी, आपने पंचायतों के स्कूलों के 5 हजार जो नॉन-मैट्रिक टीचर्स थे जब कि भण्डारी कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि जिन लोगों की सेवा 30 वर्ष की हो गई है उनको प्रोमोशन दिया जाना चाहिए, उनको शिक्षा विभाग में लिया जाना चाहिए, और आपके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सामने महेन्द्रसिंह जी, शिक्षा सचिव, जब उन मास्टरों का शिष्टमण्डल मिलने गया तो उनसे कहा कि यह मास्टरी के काबिल नही हैं यह तो खल्लासी के काबिल हैं। यह उनकी बेइज्जती नहीं है, यह आपकी बेइज्जती है। आप शिक्षा मन्त्री हैं और यदि आपके सामने कोई आदमी इस प्रकार की बात कह दे शिक्षकों को तो आपको शिक्षा मन्त्री रहने का कोई अधिकार नहीं है।

जो वर्ष में तीन पुरस्कार दिये जाने वाले होते हैं उनमें 23 मास्टरों का नाम ऊपर था उनको काट दिया गया इस कारण से कि उन मास्टरों ने स्ट्राइक में भाग लिया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी कि अध्यापकों के साथ या राज्य कर्मचारियों के साथ बदले की भावना (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) से कोई काम नहीं लिया जायगा। यह बदले की भावना नहीं है तो क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

गवर्नर महोदय ने कहा था कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अध्यापकों के ट्रान्सफर्स 3-4 मील से दूर नहीं किये जाने चाहिए और आपने कहा था कि मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा पर चलूंगा। आपने गवर्नर साहब श्री जोगेन्द्र सिंह जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मास्टरों को किसी को काला पानी भेज दिया और किसी को पीले पानी भेज दिया, किसी को चौमू, किसी को सरदार-शहर, जहां मर्जी आई वहां पर उनका ट्रान्सफर कर दिया। गवर्नमेंट का एक सर्क्यूलर भी है कि सेशन के मध्य के समय, सत्र के मध्य के समय में किसी भी अध्यापक, किसी भी राज्य कर्मचारी का ट्रान्सफर नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों का ट्रान्स-फर किया। क्या हुआ परिणाम उसका ? आज छात्रों की पढ़ाई बन्द हो रही है। आज उन बच्चों की ही पढ़ाई खराब नहीं हो रही है जिनको वह टीचर्स पढ़ाते हैं बल्कि उन अध्यापकों के बच्चों की भी हो रही है। वे बीच सेशन में कहां ले जायें अपने बाल बच्चों को? आपमें बदले की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप चुनकर आये हैं और शिक्षा मंत्रीजी आप इसीलिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अन्त में एक बात मैं जयपुर की कच्ची और गन्दी बस्तियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जयपुर की 110 कच्ची और गन्दी बस्तियों में से कौनसी कच्ची गन्दी बस्ती का विकास कर दिया है, जिसमें बिजली लगा दी हो, नल लगा दिया हो या वहां पर शौचालय, जिनका कि मैंने जिक्र किया, की व्यवस्था कर दी हो ? सड़कों की व्यवस्था नहीं है। लोग नारकीय जीवन इन 110 कच्ची और गन्दी बस्तियों में बिता रहे हैं। भारत सरकार ने कुछ पैसा दिया उस पैसे से कुछ सड़कें बनीं लेकिन वे भी अधूरी पड़ी हुई हैं। एक भी बस्ती आप बता दें कि इस बस्ती का सारा विकास कर दिया है और यहां पर नल हैं, बिजली है, सड़क भी हैं। एक का भी विकास नहीं किया यदि कहीं पर भी किया हो तो वह बाहर किया है। नगर की चारदीवारी के अन्दर नगर परिषद की सीमा में जो कच्ची बस्तियां हैं उनका विकास नहीं किया। आपने नगर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पालिका की कमेटी बनवाई लेकिन चूंकि वह जनसंघ के हाथ में है इसलिए एक कौड़ी भी आप नहीं देंगे। यह भेदभाव किया जाता है उससे इन बस्तियों का विकास नहीं होने वाला है।

मैंने कई कटु बातें आपके लिए कही होंगी और आपके मंत्री मण्डल के लिये कही होंगी (समय समाप्ति-सूचक घंटी) लेकिन यह सत्य है और इसको सत्य मानें। अगर असत्य मानते हैं तो लोकपाल और जांच कमीशन बैठे हैं और वह जांच कमीशन के सामने असत्य हो जाय तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। उसके लिए आप स्टेटमेंट नहीं देंगे तो लोगों के मन में धारणा होगी कि चन्दनमलजी में यह खोट है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस कारण अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं। आप उनको स्टेटमेन्ट दे देते हैं या उनको किसी प्रकार से सन्तोष दे देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो कुछ बातें कही हैं सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप गम्भीरता से कहें तो यह गम्भीरता से विचार करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में बैठे हैं तो कुछ स्तर तो रखना चाहिए। भार्गव साहब ने जिस तरह से बोलना शुरू कर दिया तो इस सदन की गरिमा क्या रही? तीन मामलों पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं और दुनिया भर की चीजों पर बोल गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप किस पर बोल रहे हैं? आप मेरे पर बोल रहे हैं या अपने कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सीमा है बोलने की भी।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके बारे में....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप मत बोलिये। आप तो वकील हैं, समझते हैं। अगर आप अपना दिमाग गिरवी रख कर आये हों तो बोलें। कोई बात है। समझ में नहीं आता है।

श्री मनोहरलाल : तीन तारीख से विधान सभा में बोल रहे हैं वह किस पर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ सीमा है या जिस पर चाहें उस पर बोल दिया और इस तरह से बोल रहे हैं जैसे पागल हो गये हों..

श्री मनोहरलाल : पागल यह सरकार है। इसने जनता के साथ धोखा किया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अच्छा बोलिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे क्या हो जायगा। नियम यह है कि जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें।

श्री मनोहरलाल : आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आंखें फूट गई क्या?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो आपकी फूट गई हैं और फूटी आंखों से भी खूबसूरत लगते हो और प्यारे लगते हो। हम तो आपको प्यार करते हैं। I love you.

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी नजर में फर्क लगता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रद्युम्नसिंहजी मैं आपको बताऊं कि ऐसे मजनूं आपको मिल नहीं सकेंगे और ऐसी लैला इनको नहीं मिल सकेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मजनूं हैं और इनकी आशिकाना हरकतों से मैं घबरा रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (श्री भानु कुमार शास्त्री के खड़े होने पर) और अब यह दूसरे मजनूं खड़े हो रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर आपका : वक्तव्य जिस सीमा पर पहुंचता है और उसमें कई प्रस्ताव आपकी भावनाओं में आते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैं बहुत समय नहीं लूंगा सदन का, लेकिन फिर फाइव ईयर प्लान निकल गया। हमारे दो प्रतिनिधि थे। उसमें हमारे दो प्रतिनिधि थे। हमने प्रारूप बनाकर भेज दिया। दो प्रतिनिधियों को भेज दिया। हमें तो अवसर मिला नहीं। अच्छा होता कि हमारे वित्त मन्त्रीजी इस सदन को अवसर देते तो जो कुछ ओपीनियन आती तो उसके आधार पर प्रारूप बनाकर ठीक पर्सेन्टेज के तौर पर बनाकर हम दे सकते थे, लेकिन मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्य अपन से बुद्धि में कई गुना ज्यादा हैं और वह प्लानिंग के सर्वेसर्वा हैं इसलिए यह मानकर सन्तोष करें कि जो कुछ किया है वह बनकर चला आये तो हमारे सौभाग्य की बात है।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात बड़े जोरों से कही जाती है कि हमारे राजस्थान की धरती रत्नगर्भा वसुन्धरा है। आपके डिपार्टमेंट का कहना है कि 34 मिनरल राजस्थान में ऐसे मिलते हैं जिन पर 100 पर्सेन्ट राजस्थान का अधिभार है और भारत में और कहीं नहीं मिलते हैं। उसका उपयोग हमने किया है ? पिछले आंकड़े आप देख लीजिये। पंचवर्षीय योजना में माइनिंग उद्योग में कुछ हुआ है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वे तक मिनरल का नहीं कर पाये हैं। माननीय सदस्य इस पर ऐतराज करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर से क्या हम राजस्थान का कल्याण कर सकेंगे जहां 10 वर्ष अकाल में निकलते हैं ? मैं यह जरूर कहता हूं कि हम अन्नदाता हैं। यहां ऐसी धरती है कि बीज डाला गया और उसका भी सत्यानाश हुआ। 7 वर्ष सत्यानाश। 3 वर्ष कुछ होगा। राजस्थान का कल्याण इसी बात पर हो सकता है कि मिनरल के बेस पर इण्डस्ट्री चालू की जाये। बजट आपका आज आया है। गये साल और हर साल कमी होती चली जा रही है। कुछ को छोड़ दीजिये। बाकी हर जगह कमी होती जा रही है। राजस्थान में 50-60 के बीच में 30 हजार लेबर काम करते थे। आज आप कहां जा रहे हैं। सदन में आप कुछ करने के लिए, कल्याण करने के लिए सोच रहे हैं। इस साल आपने फिर फाइव ईयर प्लान में 64%

Page No 92

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एग्रीकल्चर ग्रौर बिजली में किया है। उसके मुकाबले में 9% उद्योग/माइनिंग में करते हैं। सुपर फास्फेट में राजस्थान का अपना स्थान है। फर्टीलाइजर के बारे में आपके कैमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, इन्जीनियर की रिपोर्ट है, 100 वर्ष तक सप्लाई करेगा। राजस्थान का इण्डस्ट्रियल डवलपमेण्ट बोर्ड है।

(3.52. म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

माइनिंग का क्या कल्याण हो पाया है ? उसका प्रोडक्ट भी अपना हो गया है। माइका है, सुपर फास्फेट है यह भारत में 90% राजस्थान का है। इण्डिया में जितने हैं, 12 मिनरल्स हैं, 100% राजस्थान पैदा करता है। सिलीका सैण्ड अलवर के पास है जहां के माननीय सदस्य बैठे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है, भीलवाड़ा का। कहा गया था कि माइका प्लाण्ट लगायेंगे उससे हमारी सारी माइका इण्डस्ट्री चलती हैं, लेकिन माइका नार्वे जाती है। 15 वर्ष से पंच-वर्षीय योजना में यह है कि प्लाण्ट फिर लगायेंगे। मैंने सजेस्ट किया पर नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर राजस्थान का कल्याण करना है, आपने बड़ी बड़ी बातें छापी हैं, लेकिन अगर बजट में जाते हैं तो आपके 10 करोड़ रुपये खर्च करने वाले आ गये। उसके लिए आपको इण्डस्ट्रियलिस्ट बनाना था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए प्वॉइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

माननीय सदस्य ने कट मोशन प्रस्तुत किया जिस पर वाद-विवाद हो चुका है। एक स्थिति यह आ चुकी है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर विचार किया जाये। अगर इसी प्रकार की फ्री स्टाइल रेसलिंग होती रही तो जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको कोई समय नहीं मिलेगा। या तो समय बढ़ा दिया जाये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह आ गया अब जरूरी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय....

श्री सभापति : (श्री भार्गव से) कृपया आप बैठिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मिनट में निवेदन कर समाप्त करता हूँ। राजस्थान की भावी योजना.......

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक मिनट में मैं समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : ऐसा है, प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया गया है। कटमोशन का समय समाप्त हो गया है। वह समाप्त नहीं हुआ है। 4.30 बजे तक है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कुछ ही निवेदन करना चाहूँगा। राजस्थान की इण्डस्ट्री से राजस्थान का कल्याण करने की व्यवस्था की जाये। जो चीजें आपने सप्लाई की थीं वह इण्डस्ट्री वाले कहीं नहीं मिले। वह सभी अधिकारियों के चाचा हैं। मन्त्रियों के भी बाबा हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सबको मिले और राजस्थान का कल्याण हो।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा ।

श्री सभापति : कटमोशन है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मानसिंह महार (श्री यशवन्तसिंह नाहर) का कौनसा कटमोशन था । कोई कटमोशन नहीं है । वह बोले हैं ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, जिस पर मैंने कट मोशन दिया था उस पर मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि कल उसके ऊपर सदन में बिल आ रहा है । उस समय मैं अपने विचार रखना ज्यादा अच्छा समझता हूं । परन्तु मैंने और भी कटमोशन दिया है उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों के बारे में आज जो स्थिति है, उसकी ओर मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान खासतौर से आकर्षित करना चाहूंगा । राजस्थान के अन्दर पन्द्रह साल के करीब हो गये, जब हमने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद में, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के बारे में प्रति वर्ष सदन के अन्दर इस प्रकार की बात माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई कि पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती हैं और मिडिल स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें समय पर बिल्कुल नहीं मिलती हैं, इसलिए इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । शिक्षा मन्त्री के द्वारा सदन में बार बार प्रति वर्ष यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि हम इस स्थिति के अन्दर सुधार करने जा रहे हैं । पिछली साल पाठ्य पुस्तकों के अभाव की चर्चा इस सदन के अन्दर हुई थी और फिर उसके बाद जो इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, उसकी ओर अच्छे ढंग से कारगर ढंग से व्यवस्था करने के बारे में आश्वासन दिया गया था । मैं समझता हूं, सभापति महोदय, चाहे जो बोर्ड है उसकी तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी कहा जाय लेकिन हमें इस हकीकत को मानने से इन्कार नहीं करना चाहिए कि जुलाई के अन्दर हम पाठ्य पुस्तकें छात्रों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं करा सकते । और यही नहीं, इस सम्बन्ध में यह भी मैं नहीं कहता कि पुस्तक विक्रेताओं का क्या इसके अन्दर दोष है, और किस स्तर पर कहां किस प्रकार की कठिनाई पैदा हुई । हमने इस वर्ष से नई एक पद्धति भी शुरू की कि विद्यालयों के अन्दर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायं और इस प्रकार के केन्द्र भी वहां पर चालू किये गये । मुझे जो जानकारी मिली है, सभापति महोदय, उसके अनुसार यदि हम भी मान लें कि कुछ पुस्तक विक्रेता गड़बड़ी करते हैं और जान बूझ कर अभाव की स्थिति बनाते हैं तब भी जो केन्द्र शिक्षण संस्थाओं में हमने चालू किये, वहां पर मेरी अपनी मान्यता के अनुसार मैं कह सकता हूं कि पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं पहुंच सकीं । सभापति महोदय, बालकों को हम पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं उपलब्ध करा सकते, इससे उनके अध्ययन के अन्दर बड़ी भारी दिक्कत उनको महसूस होती है । एक तरफ जब हम शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए अधिकाधिक कारगर कदम उठाते हैं, रुपया व्यय करें तो हमें इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए । यह नहीं कि हम यह कह दें या यह स्पष्टीकरण कर दें कि हमने पहुंचायीं या नहीं पहुंचायीं; पहुंचाई तो कितनी मात्रा में पहुंचायी और नहीं पहुंचायी तो उसका क्या कारण रहा है; क्योंकि कई ऐसे मसले होते हैं जिनका स्पष्टी-

(श्री फूलचन्द जैन)

करण किया जाना पर्याप्त नहीं होता है। जो कठिनाई है, जहां इस प्रकार की गड़बड़ी है उसका पूरी तरह से निराकरण किया जाना चाहिए ताकि पाठ्य पुस्तकों के बारे में प्रति वर्ष जो शिकायत रहती है, वह नहीं रहने दी जावे। मैं पुस्तक विक्रेता के बारे में यह कह सकता हूं, कुछ पुस्तक विक्रेता हो सकते हैं जो इस गड़बड़ी के अन्दर शामिल हों, या अभाव की स्थिति जानबूझ कर पैदा करते हों परन्तु रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सारे पुस्तक विक्रेता गड़बड़ी करते हैं—यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि, सभापति महोदय, यह जो छोटी क्लासेज की पाठ्य पुस्तकें जो पुस्तक विक्रेता बेचते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और इसके अन्दर ऐसी बात भी नहीं है कि पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की तो उनमें पुस्तक विक्रेता गड़बड़ी कर सकते हैं। दर-असल मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात का गहराई से पता लगायें, जो इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, जहां से पाठ्य पुस्तकें छपा कर वितरित की जाती हैं, वहां पर क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था में कमी तो नहीं है जिससे वहां से गोलमाल होना शुरू होता है। प्रकाशन का काम भी कुछ हद तक राष्ट्रीयकृत बोर्ड ने ले लिया और प्रकाशन का काम भी बोर्ड के हाथ में है, और प्रकाशन करके उसको सप्लाई करने का काम बोर्ड के हाथ में है। फिर अभाव की स्थिति क्यों है? कौनसा इसके अन्दर कोई ऐसा रॉ-मेटिरियल है जिसका अभाव है और जिससे पूरी छपती नहीं हैं, या क्या दिक्कत है जिससे इस समस्या के निराकरण के लिये कहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं यह तो नहीं कह सकता कि बोर्ड के अन्दर पूरी तरह से इस सारे मामले के अन्दर जान-बूझ कर, योजनाबद्ध तरीके से गड़बड़ी होती है, परन्तु जो कुछ भी जानकारी मुझे मिली है, मैं शिक्षा मन्त्री की जानकारी के अन्दर अवश्य ला देना चाहता हूं ताकि वे इस बात का पता लगायें कि आपके यहां पर जो अनुमान किये जाते हैं कि कितनी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता वर्ष भर में रहती है, उसके अनुसार कितनी पाठ्य पुस्तकें आपके यहां पर इस वर्ष के अन्दर छपीं, और कब कब छपी और छपने के बाद उनका वितरण कब से शुरू हुआ, कितना वितरण हुआ, कुल मिला कर कितनी पाठ्य पुस्तकों के वितरण की आवश्यकता थी? इससे सारी स्थिति काफी हद तक पता लग जायेगी कि वास्तव में अभाव की बात फैलाई जाती है या वास्तव में इसका अभाव है? एक बात, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इसमें रुचि रखने वाले हैं कि इस प्रकार का अभाव नहीं रहे, इसलिए जिनकी दिलचस्पी है, उन्होंने अपने तौर पर इसका पता लगाया। मैं आपको जयपुर डिपो के बारे में कहना चाहता हूं, जयपुर डिपो, जहां से सप्लाई होती है वहां से बिना रजिस्टर में इन्द्राज किये ट्रकों से आपकी पाठ्य पुस्तकें चली जाती हैं। बिना किसी की जानकारी के बण्डल के बण्डल आपके डिपो से बाहर चले जाते हैं। उनका इन्द्राज नहीं होता है, उनकी जानकारी किसी को नहीं रहती है। इसके साथ-साथ आपके डिपो के अन्दर आवश्यकता के अनुसार जो लेने जाते हैं, उनको क्या वहां पर उपलब्ध होती हैं, पाठ्य पुस्तकें मिल जाती हैं? यह बिल्कुल एक छोटा सा मसला है, जिस मसले को मैं समझ नहीं पाया, जब मेरे सामने सारी स्थिति आयी।

(श्री फूलचन्द जैन)
मैं समझ नहीं पाया कि हमें इस छोटे से मसले के अन्दर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, गड़बड़ी कहां पर है इसका पता नहीं लगा सकते हैं और बालक जो हैं, वह पाठ्य पुस्तकों के लिए दर दर भटकते रहें, उनको किताब नहीं मिले। जुलाई में स्कूल खुले, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, सितम्बर में नहीं मिली, अब अक्टूबर चल रहा है, लेकिन हम कहते रहे कि हमने पर्याप्त मात्रा में सब जगह पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दी हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हजारों की संख्या में छात्रों के हस्ताक्षर करा कर कि उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, वहां पर स्कूलों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, जो हैड ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनसे लिखवा कर दे दिया जाय तब आप कार्यवाही करेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि अभाव है या नहीं है, आप अपनी तौर पर पहले इसकी जानकारी कर लें। अभाव है तो क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात का पता लगायें और उसके बाद में इसकी मुकम्मिल व्यवस्था करें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जो बोर्ड बना हुआ है, उसका किस तरह से फंक्शन है ? प्रकाशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, परन्तु पुस्तकें प्रकाशित करके कितनी मात्रा में अनुमान लगाते हैं और किस तरह से छपवाते हैं। मेथड में गलती है या प्रिन्टिंग के समय वहां से प्रकाशित होकर नहीं आता है, इसका पता आप लगायें। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों समाचार पत्रों में इसकी चर्चा हुई और उसके बाद में बोर्ड की तरफ से किसी प्रवक्ता ने कहा, कोई अभाव नहीं है यह तो एक कृत्रिम अभाव है और हमने जुलाई में इतनी पुस्तकें, अगस्त में इतनी और इस तरह से हमने सब जगह पुस्तकें पहुंचा दीं। मेरी समझ में नहीं आता, यह तो ऐसी चीज नहीं है जिस प्रकार हर रोज आदमी खरीदता है। जुलाई में सेशन शुरू होने पर छात्र खरीदते हैं और उसके बाद में अगले साल उसको आवश्यकता पड़ती है, तो यह रोजमर्रा की चीज नहीं है। इस स्थिति को शिक्षा मंत्री आपको मजबूती के साथ देखना होगा और मैं चाहता हूं कि सदन को आश्वासन दें या नहीं इस बारे में सदन से कहें या नहीं, जो कुछ आपकी जानकारी हो, अवश्य कहें परन्तु जो कुछ आप कहें सही स्थिति का पता लगा कर कहें और उसके बाद में अगर सप्रमाण हम उसको चुनौती देते हैं तो उस चुनौती को स्वीकार करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए।

(4.10 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जो भूमि और भवन कर है उस पर मैं कल बोलना पसन्द करूंगा, इसलिए अब इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं सिर्फ उद्योग पर ही अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। राजस्थान के उद्योगपति बम्बई प्रांत में, बंगाल में, मैसूर में जमा हुए हैं और अपना कारोबार

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कर रहे हैं परन्तु राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से विकास और प्रगति नहीं हो रही है। इसकी तह में अगर हम जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Please complete your speech within one or two minutes.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिर्फ उद्योग पर बोलना चाहता हूं। एक मिनट के लिए तो नहीं बोल सकता, इससे मैं ढंग से साफ करके अपनी बात नहीं रख सकता।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. I cannot extend the time.

श्री वृद्धिचन्द जैन : मुझे सिर्फ 5 मिनट ही दिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष : You may speak at the time of Appropriation Bill. I think that will be better.

वित्त मंत्री !

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुपूरक मांगें मैंने सदन में पेश कीं उनके सिलसिले में तीन मांगें थीं लेकिन आमतौर पर सदस्यों ने जो अपनी बहस की वह तीन मांगों तक सीमित न रख कर बाकी दूसरी मांगों पर भी चर्चा की है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले इन तीन मांगों के सिलसिले में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में सदन का समय लूं और समय बचा तो उसके बाद बाकी जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करूं। पहले पहले भूमि और भवन कर के बारे में कुछ आपत्तियां इस बात की उठाई गईं कि इसमें जो भर्ती की गई है उसमें अनियमिततायें बरती गई हैं। इसमें हमने जो इन्सपेक्टर्स भर्ती किए वह हाफ ए मिलियन जॉब्स की भारत सरकार से स्कीम चालू की गई है उसके तहत हमने यह भर्ती की है जिससे यह पैसा हमें भारत सरकार से मिल जाए और हमने नया कर लगाया है ताकि स्टेट पर बोझ न पड़े। यह शंका उठाई गई कि जो विज्ञापन किया गया वह पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि 25-26 मई को राष्ट्रदूत और राजस्थान पत्रिका में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि सेकन्ड क्लास ग्रेजुएट्स चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स, चाहे साइन्स, वे एप्लाई कर सकते हैं। उसके जवाब में हमें 884 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 46 प्रार्थना-पत्र ऐसे थे जो अन्तिम तिथि (15 जून) के बाद के थे। हमने 21 दिन का समय दिया था उसके बाद में ये प्रार्थना-पत्र आए और जितने भी प्रार्थी एलिजिबल थे उनके प्रार्थना-पत्र हमने हरिश्चन्द्र स्टेट इन्सटीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिये ताकि वह इन लोगों का रिटन टेस्ट लें और हमें उनकी मेरिट बता दें। हम नहीं चाहते थे कि विभाग अपने पर जिम्मेदारी ले और बाद में चार्ज लगे कि हमने भर्ती करने में किसी तरह का पक्षपात किया है। तो उनका रिटर्न टेस्ट इस संस्थान ने लिया और उन्होंने मेरिट लिस्ट भेजी कि इतने लोगों ने क्वालीफाई किया है। हमने उनको साक्षात्कार के लिये बुलाया। हमने 60 सीटें विज्ञप्त की थीं और हमें ज्यादा आदमियों की जरूरत थी इसलिये हमने उनसे 90 आदमियों की सूची मांगी। जो पहले

(श्री चन्दनमल बैद)

90 आदमी थे उनको हमने साक्षात्कार के बाद लिया। साक्षात्कार के बाद लिया। साक्षात्कार में किन्हीं लोगों को ज्यादा योग्य पाया गया तो उनकी सिनियोरिटी तो जरूर ऊंची नीची की गई लेकिन जो मेरिट लिस्ट में पहले 90 आदमी थे, उनको हमने ले लिया। यह ख्याल हमने जरूर रखा कि उस सूची में जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रार्थी हैं, सबको ले लिया जाय चाहे किसी भी नम्बर पर हों।

जहां तक इन्सपेक्टर्स की भर्ती का सवाल है, कोई अनियमितता नहीं बरती गई, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ लोग मेरे पर काफी मेहरबान हैं और इस बात को उठायेंगे और कहेंगे कि बैद ने अपने रिश्तेदारों और संबंधियों को न मालूम किन किन बिरादरी वालों को ले लिया। जो आज मुझ पर आप चार्ज लगा रहे हैं मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेरे दादा के वंशज में से कोई नौकरी में नहीं, ससुराल की 4 पीढ़ियों में, ननिहाल की 4 पीढ़ियों में भी कोई भी नौकरी में नहीं है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिरादरी के लिये मैंने कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : गलत कहने की आदत छोड़ दें तो आपका मन पवित्र होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप पर आरोप है, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, उसका स्पष्टीकरण दें।

श्री चन्दनमल बैद : राज्यपाल को मिडिल स्कूल के हैड मास्टर ने ज्ञापन दिया, आप तो सदन के माननीय सदस्य हैं। आपको सोचना चाहिए था कि जो मेरे पर चार्ज लगाया उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आपने कहा सम्बन्धी हैं मेरी जाति का होना कोई अपराध नहीं है। संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि चन्दनमल बैद की जाति का होगा, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी या पोस्टिंग नहीं होगी या मुझे अधिकार आपने नहीं दे दिया कि जो विभाग मुझे मुख्य मन्त्री ने दिया उसमें डंडा लेकर खड़ा हो जाऊं कि क्योंकि मैं मन्त्री हूं इसलिए इन विभागों में मेरी जाति का और धर्मावलम्बी घुस नहीं सकता। 15 विभाग मेरे नीचे हैं, मैं कहां कहां ख्याल रखूं कि किस किस विभाग में मेरी जाति, समाज और धर्म का आदमी काम करने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक सेक्यूलर स्टेट है। मेरे नीचे कई डिपार्टमेंट हैं। करीब 15 हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें और काफी स्टाफ है जिसमें जाट भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, हरिजन भी हो सकते हैं, कोई राजपूत भी हो सकता है। हर जाति के आदमी हो सकते हैं। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि वहां पर जैन नहीं होना चाहिये, क्योंकि मैं जैन हूं। यह तो सेक्यूलर स्टेट में नहीं चल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मैंने मेरे नीचे जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं उनमें जैनी ही जैनी भर लिए हैं। लेकिन इसमें एक बात यह सोचने की है, उपाध्यक्ष महोदय, कि डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अगर कोई जैन हो जाय तो क्या मैंने उसे आई. ए. एस. बनाया है, वह तो मेरे मिनिस्टर होने के पहले भी आई. ए. एस. था। आखिर जब मेरे नीचे

(श्री चन्दनमल बैद)

15 हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं तो कोई जैन मेरे पास लग सकता है, आखिर वह जैन है तो मैं उसे यह तो नहीं कह सकता कि यह जैन है इसलिये मेरे डिपार्टमेंट से इसे निकाल दो। आखिर कोई नौकर है तो पहले से हो सकता है। आज यहां कहा गया कि डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन जो हैं वह जैन है, जयपुर में आई. ओ. एस. है वह जैन है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं; उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इतना बड़ा डिपार्टमेंट एजूकेशन का है इसमें कई जैन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हो सकते हैं, कई हैड मास्टर हो सकते हैं, कई टीचर हो सकते हैं जो जैन हैं उन सबको कहीं न कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। उन्हें नौकरी से तो निकाल कर बाहर नहीं किया जा सकता है। आज मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया जाता है कि मैं मेरे सम्बन्धियों को अपने डिपार्टमेंट में भर रहा हूं वह गलत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने आप पर एक चार्ज तो लगाया नहीं है आप पर तो 10-15 चार्जेज लगाए गए हैं। आप एक ही बात कहते जा रहे हैं कि मेरी बिरादरी के ही लोगों को लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आप कृपया सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे ऊपर जितने भी चार्ज लगाए गए हैं वह झूठे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह झूठे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। वित्त मन्त्री जी बोल रहे हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे उस वक्त मैंने तो इनको बीच में इन्टरप्ट नहीं किया। और जब यह बोल रहे थे मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे थे तब मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था। अब जब मैं इनको जवाब दे रहा हूं तो इन्हें कम से कम सुनना तो चाहिये। मैंने आपके भाषण में कोई व्यवधान नहीं डाला। मैं तो जो आपने मेरे ऊपर चार्जेज लगाये थे उनका जवाब ही तो दे रहा हूं। आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिये।

श्री खेतसिंह : इनमें सुनने की क्षमता है कहां ?

श्री चंदनमल बैद : मैं जब अपने खिलाफ जो चार्जेज आपने लगाये है उनका जवाब दे रहा हूं उसमें आपको सब्र तो रखनी चाहिये। आप थोड़ी में भी सब्र नहीं है क्या ? आप मुझे उन चार्जेज को लेकर कटघड़े में खड़ा करने की सोच रहे हैं। क्या मैं उनका जवाब भी नहीं दे सकता ? यह बात तो आपको उचित मालूम नहीं होती।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो पूरे चार सौ बीस हैं।

श्री खेतसिंह : वह तो आप हैं यह नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तन की डोरी क्या कर लेगी, मन के पास रहो तुम मेरे। वाली बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मजनूं हैं अपनी लैला के।

श्री चंदनमल बैद : इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया है कि मैंने लैण्ड टैक्स के लिये जो इन्सपेक्टर्स नियुक्त किये हैं उसमें काफी घोटाला किया है। उसके लिये मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि हालांकि इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति के लिये सबोर्डिनेट्स सर्विस रूल्स बने हुए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा कि उनकी नियुक्ति परीक्षा लेकर की जाये लेकिन मैं जानता था कि मेरे ऊपर कुछ लोग खास मेहरबान हैं इसलिये मैंने अपने नीचे के अफसरों को इसमें खासतौर से सतर्कता बरतने के लिये कहा और कहा कि उनका इम्तिहान होना चाहिये और वह परीक्षा भी हमने हरिश्चन्द्र माथुर इंस्टीट्यूट के जरिये करावा कर जो मेरिट के केन्डीडेट्स थे उन्हें लिया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है कि मैं यह खासतौर से देखूं कि मेरे नीचे जो डिपार्टमैन्ट्स हैं उसमें कोई जैन हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट नहीं आये। आखिर 15 डिपार्टमेंन्ट्स हैं जिसमें डाइरेक्टर लैण्ड टैक्स है, एक्साइज कमिश्नर, फाइनेनशियल कमिश्नर एज्यूकेशन कमिश्नर हैं, चीफ इन्जीनियर, पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग हैं, डाइरेक्टर ऑफ सोशियल वेलफेअर डिपार्टमैन्ट है, तीनों यूनिवर्सिटीज के वाइस चान्सलर हैं। अब चाहे दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनमें अगर कोई जैन हैड ऑफ डिपार्टमैन्ट आजावे तो मैं उसे हाथ पकड़ करके बाहर तो नहीं कर सकता। सेक्यूलर स्टेट है हमारी। सभी धर्मो के लोगों को लिया जा सकता है। दूसरे मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया कि जिन इन्सपेक्टर्स की मैंने नियुक्ति की है उसमें खर्चा तो ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक राज्य सरकार को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। जितनी वसूली होनी चाहिये उतनी वसूली नहीं हुई। तो उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि आखिर नया डिपार्टमैन्ट खुला है नये लोगों को नियुक्त किया है। नया कानून बना है। और लोगों को जिन्हें लिया गया है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और अब वह लोग काम करने लगे हैं। वैसे भी नया कानून है रूल्स बनने में समय लगता है लोगों को समझने में समय लगता है। लेकिन इसके बावजूद मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमने जितना खर्चा किया है उससे कई गुना ज्यादा पैसा प्राप्त कर लिया है। हमने इसमें ऐसी चीज रखी है कि लोगों ने स्वतः पैसा जमा करा दिया और मैं आपकी जानकारी के लिये यह स्पष्ट करदूं कि लैण्ड टैक्स से करीब 35 लाख रुपया राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है। यह तो पहले साल की आय है। जबकि कानून नया बना है नया टैक्स लगा है। अगले साल इतनी दिक्कत नहीं आयेगी और हमें इससे भी ज्यादा रुपया टैक्स के रूप में मिलेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया है।

इसके अलावा कुछ स्लमसक्लियरेन्स के बारे में भी कहा गया है। इसके लिये मैं आपसे यह निवेदन करदूं इसके लिये कि यह तो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है और इसके लिये पैसा हमें भारत सरकार से मिलता है। जितना हम पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा हमें भारत सरकार देती है। यह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है इसके अन्तर्गत हमारे राजस्थान में चार जिलों को लिया गया था पहले। एक अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। हम चारों जगह काम कर रहे

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं। लेकिन इसमें एन्वायरमेन्ट्री इम्प्रूवमेन्ट स्कीम थी उसका कोटे का पैसा हमने जोधपुर को आवंटन कर दिया। वैसे यह राज्य सरकार का पैसा तो है नहीं यह तो भारत सरकार का पैसा है वहां से पैसा आता है वैसे वैसे लगा देते हैं। तो यह जो खास दो-तीन मुद्दे थे जिन्हें मैं आपके सामने पेश करने आया हूं और यह बात साफ साफ निवेदन कर दूं कि यह एन्वायरमेन्ट्री इम्प्रूवमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत जयपुर के लिये पहले लागू करने में हमें उन जयपुर के स्लम्स को खत्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम यह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के अनुसार करेंगे।

इसके अलावा यहां कुछ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के बारे में भी कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करदूं कि यह भी सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत हैं। इसमें पहले यह बात थी कि इन्हें जुलाई और अगस्त में ही शुरू करना है। फिर बाद में यह तय किया गया कि उन्हें नवम्बर में चालू किया जायेगा। उसके लिये भी हमने स्टाफ लगाया पर अब वह नवम्बर से काम करना शुरू करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमें यह पता था कि इन पर जो भी खर्चा होगा वह हमें ही करना पड़ेगा लेकिन बाद में उसके लिये भी हमें पता लगा कि इसके लिये भी हमें भारत सरकार से पैसा मिलेगा। लैण्ड टैक्स के लिये भी हमने सोचा हमें ही सेन्ट पर्सेंट खर्चा करना पड़ेगा और इसके लिये पहले हमने कन्टीनजेन्सी फण्ड में से पैसे खर्च कर दिये लेकिन बाद में जब हमें यह पता लगा कि इसके पैसे भी भारत सरकार दे देगी तो हमने तय किया कि भारत सरकार के पास से पैसे आने के बाद हम उस पैसे को वापिस कन्टीनजेन्सी फन्ड में डाल देंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय यह सारी बातें मैंने सदन के सामने रख दी हैं, और जो खास खास दो तीन मुद्दे थे उन्हें भी सदन के सामने प्रस्तुत कर दिये। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इन मांगों को पारित किया जाय। और अगर दूसरी जो खास खास बातें और रह गयी हैं जिनका कि इनसे ताल्लुक नहीं हैं वह मैं एप्रोप्रियेशन बिल पेश करूंगा तब जवाब दे दूंगा। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

मुखबन्द प्रयोग

अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 5, 22, 35 व शेष मांगों (1973-74—प्रथम संकलन) का पारण

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग करता हूं।

मांग संख्या 5

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के

(श्री उपाध्यक्ष)
सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की माँग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,63,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,60,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की माँग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त

Page No 102

(श्री उपाध्यक्ष)
होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,18,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38—श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,28,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,22,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान कि मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था—राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1973 (पुरःस्थापन, विचार एवं पारण)

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को राहत देने के लिये एक सर्क्यूलर निकाला और वह सर्क्यूलर यह था......

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

बिल को प्रस्तावित किये जाने के समय जो परम्परा रही है वह यह है कि इस स्टेज पर कोई ऐतराज और विरोध नहीं किया जाय। यह स्वस्थ परम्परा भारतवर्ष की लोक सभा और जितनी भी विधान सभायें हैं, उनमें हैं। मैं माननीय सदस्य को पुनः अनुरोध करूंगा कि हम भी उसी परम्परा को कायम रखें। पुरःस्थापन के समय इस परम्परा को न तोड़ें तो अच्छा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी वाद-विवाद हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : At the time of introduction.

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 6), 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 6), 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 6), 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने पिछली बार विधान सभा में पुलिस के कर्मचारियों को 7 रुपये की बढोतरी देने की घोषणा की थी और इस सम्बन्ध में एक सर्क्यूलर भी निकाला गया वह यह है:--

"The Governor has been pleased to order that an increase of Rs. 7/- p.m. in the existing rates of Mess allowance may be allowed with effect from 1-7-73 in respect of the members of the Police Constabulary who were entitled to receive Rs. 7/- in terms of para 1 of the aforesaid Home Department orders, provided they continue to be members of the Police Mess irrespective of the number of diets they take in the Mess and the amount spent on them. These orders shall not apply to RAC Personnel and Police recruits (including RAC recruits)."

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पुलिस के कर्मचारियों को 7 रुपये मेस अलाउन्स देने की घोषणा की थी। लेकिन दुःख का विषय है कि जहां मुख्य मंत्रीजी ने ज्योंही डिवेट प्रारम्भ हुई थी पिछली दफा इसको स्वीकार कर लिया था और अन्य सहूलियत भी देने की घोषणा की थी वह 7 रुपये का मेस अलाउन्स आज तक भी उन पुलिस के कर्मचारियों को नहीं मिला है। यह सदन और मुख्य मंत्री का अपमान है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि डूंगरपुर तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों को करघे देने में अनियमितताएं बरती गयी हैं। इसके साथ ही राजस्थान सीमा पर जो सीमा प्रहरी हैं वे इसलिये हैं कि सीमा पार करके कोई राजस्थान की सीमा में नहीं आ सके लेकिन पिछली बार बराबर पाकिस्तान से लोग सीमा पार करके आते रहे हैं। राजस्थान की सरकार जिसको निकम्मी सरकार कहना चाहिये पाकिस्तान से हमारी सीमा पार करके आने वालों को नहीं रोक सकी है और बराबर आते चले जा रहे हैं। आज यह हालत सीमा की है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही हैं।

शुद्ध वस्तुएं लोगों को मिल नहीं रही हैं। प्रत्येक चीज में आज मिलावट है। मिट्टी के तेल में मिलावट। पानी मिला देते हैं। श्री गोटालाजी सुन लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो घोटाले का धन्धा आपका ही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मिट्टी के तेल में मिलावट। गृहणियों को कठिनाई। हल्दी में मिलावट, धनिये में मिलावट, गोबर की लीद मिला देते हैं। शक्कर में मिलावट, यह मिलावट यहां तक फैल गई कि विवाह शादी में भी मिलावट। लड़के को लड़की के कपड़े, गहने पहना कर शादी करवा देते हैं। रात को फेरे होने के बाद पता चलता है। तो यहां तक मिलावट हो गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खुदका तजुर्बा सुना रहे हो ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी श्रीमतीजी का नाम मालती देवी है, और मेरी श्रीमतीजी का नाम भी मालती देवी है। इस मिलावट से वे भी परेशान हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपस में अदला बदली मत कर लेना कभी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यहां भारत की संस्कृति में यह सब नहीं चलता। उनकी पत्नी मेरी भाभी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं भी आपकी पत्नी को भाभी मानता हूं। गरीब की जोरू को सिवाय भाभी के और नहीं मानता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो हर स्तर पर मिलावट होने से शुद्ध खाद्यान्न मिलना दुर्लभ हो गया है आज।

उपाध्यक्ष महोदय, स्मरण होगा कि पिछली बार कागज की भी कमी आ गई थी। अखबार वालों को अपने अखबार बन्द करने पड़े। राजस्थान पत्रिका बन्द रही, अधिकार बन्द रहा।

राष्ट्रीयकरण आपने किया। गेहूं का किया। आपका राष्ट्रीयकरण इसमें फेल हो गया। आप लोगों को छः किलो से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
चार किलो पर ले गये और आज चार किलो भी नहीं दे रहे हैं। इसे भी आपने तीन किलो कर दिया है। बाजार में जो अनाज पहले आता था वह आपकी भ्रष्ट नीति के कारण आना बन्द हो गया। पहले लोग महंगा सस्ता बाजार से जो मिलता था खरीद तो लेते थे अब वह भी बन्द। अब तीन किलो अनाज का क्या करेगा ? एक छटांक अनाज रोज का हुआ। क्या आप यह चाहते हैं कि लोग उस एक छटांक की रोटी को सूंघकर अपना पेट भरे।

इसके बारे में खाद्य मन्त्री ने और उपनेता ने आश्वासन दिया है कि 12 तारीख को खाद्य मन्त्री जी सदन में वक्तव्य देंगे। जयपुर की जनता को पर्याप्त अनाज मिलेगा। 12 तारीख दूर नहीं है। इसके बाद भी विधान सभा चलने वाली है। यदि जनता की बात नहीं मानी गई और पर्याप्त राशन देने का निर्णय नहीं किया गया तो इसके विरोध में अपना रोष किस रूप में प्रकट करेंगे नहीं कह सकता। धरने के रूप में भी वह हो सकता है, भूख हड़ताल के रूप में हो सकता है, विधान सभा के बाहर भूख हड़ताल के रूप में हो सकता है, धरने के रूप हो सकता है, विधान सभा में हो सकता है। सदन के प्रांगण में भूख हड़ताल के रूप में हो सकता है। पर जयपुर की जनता को भूखों नहीं मरने दिया जावेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों 350 टन वनस्पति घी केन्द्र ने राजस्थान को अलॉट किया, और सौ टन यहां के झोटवाड़ा के कारखाने से सरकार को मिला। कुल 450 टन मिला। पर खेद का विषय है कि इस महीने में खाद्य विभाग ने जयपुर को 160 टन ही दिया है। आज स्थिति यह बन रही है कि वनस्पति मिलेगा नहीं, गेहूं मिलेगा नहीं, दीपावली का त्यौहार है, शुद्ध घी मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता। डालडा मिलना चाहिए था पर वह भी नहीं मिलता, दस किलो, आठ किलो गेहूं मिलना चाहिए था, एक किलो चीनी मिलनी चाहिए थी, मिट्टी का तेल मिलना चाहिए था, सीमेन्ट और कोयला और गैस मिलनी चाहिए थी। पर वह सब कुछ नहीं मिल रहा है। गैस का यह हाल है कि सहकारी भण्डार में लोग रजिस्ट्रेशन लिए घूमते रहे पर सब बेकार। अब तो तन्दूरा रह गया है इनके समाजवाद का जिसे बजाओ और राष्ट्रीयकरण की माला फेरते रहो। इससे पेट नहीं भरने वाला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तन्दूरा तो जम्बूरा खूब बजा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तन्दूरा और माला तो इन श्रीरामजी की खोपड़ी में रख दिया जावे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राशन कार्ड आज नहीं मिलते। इसके लिए एम. एल. ए. के पास जाना पड़ता है दस्तखत और तस्दीक कराने के लिए। बच्चा पैदा हुआ तो नगरपालिका से सर्टीफिकेट लाओ। वह सर्टीफिकेट मिलेगा नहीं जब तक कि आप पांच पचास चक्कर न खाओ और उनकी जेब न भरी तब तक। लड़के के बहू आई है तो व्यक्ति अपने कार्ड में नाम बढ़ाने घटाने जावेगा तो पता नहीं लगेगा। कहेंगे एफीडेविट लाओ। पन्द्रह बीस रुपया खर्चा करो, सारा दिन भर भागदौड़ में लगाओ। चार चार महीनों तक घूमो तब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कहीं कुछ हो सकेगा नहीं तो राशन कार्ड भी नहीं मिलने वाला है। यह राष्ट्रीयकरण करने वाली सरकार जब राशन कार्ड भी नहीं दे सकती तो चीनी, अनाज गेहूं, दालें, तेल, सीमेन्ट आदि देना तो बहुत दूर की बात है।

चैकिंग की व्यवस्था की आप बात करते हैं। होम गार्ड के लोग घर घर जावेंगे। अब ये कब जावेंगे, कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं। इसके बावजूद भी यह नौकरशाही इतनी निकम्मी, आपका प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि वह चैकिंग नहीं कर सकता सुजानगढ़ की आबादी चालीस हजार और राशनकार्ड 56 हजार। चार चार बार चैकिंग कर लिया पर कोई पता नहीं लगा पाये। राशन कार्ड वही 56 के 56 हजार और आबादी 40 हजार।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राज में रुपये की कीमत भी घट गई। एक रुपये के सौ नये पैसे होते हैं। आज एक रुपये की कीमत दस नये पैसे रह गई है। अगर इस रुपये को सोने के आधार पर नापें तो एक रुपया साढ़े सात पैसे के बराबर रह गया है। यह तो स्थिति है। परदेश में लोगों को पैसा चाहिये आप नोट छाप कर उनको दे रहे हैं। नोट छापने के लिये उतनी ही कीमत का सोना रखना पड़ता है, एक इकोनॉमी का विद्यार्थी यह सब जानता है।

सरकार ने चीनी के राशन की बात कही, इसके राष्ट्रीयकरण की बात भी कही। पता नहीं चीनी का राष्ट्रीयकरण कब करेगी ? निहित स्वार्थ इसके पीछे भी सरकार को रोक रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनके भाषण पर भी राशन कर दें साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सत्तर पर्सेन्ट बाजार में दो, तीस पर्सेन्ट हम लेंगे। इतना तुम बेचो, इतना हम बेचेंगे। यह कौनसी नीति है आपकी ? यह कौनसा राष्ट्रीयकरण है आपका ? यह तो न नर है न नारी है यह सरकार की नीति तो ताली बजाने वालों जैसी है। हीजड़े लोगों की नीति है। यह नहीं चलने वाला है। या तो पूरा करो, या फिर पूरा कम्पीटीशन में आने दो। प्रतिस्पर्द्धा को खुली छूट दो। कोई एक रास्ता अपनाओ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह न नर है न नारी है यह तो गिरधारी बेचारी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एग्रो इण्डस्ट्रीज राजस्थान में ट्रैक्टर बनावेगी, सरकार ने तै किया और इसके लिये दो बीघा जमीन भी उसे दी गई। इसके लिये भारत सरकार से आशयपत्र भी मिल गया दस नवम्बर 66 को जोधपुर में ट्रैक्टर का कारखाना खोलने के लिये। इसके चेयरमैन हमारे वित्त मंत्री स्वयं थे। दो बार आशयपत्र की अवधि बढ़ाई गई। पर सरकार ने कुछ नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि 15 जुलाई, 73 को वह आशयपत्र रद्द कर दिया गया। इससे राजस्थान की बदनामी हुई। लोग कहने लगे कि राजस्थान के एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन में इतना निकम्मा चेयरमैन बैठा है कि जो इतनी रियायत देने के बाद, दो-दो बार आशयपत्र की अवधि बढ़ाने के बाद और दो बीघा जमीन अलॉट कर देने के बाद भी ट्रैक्टर का कारखाना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जोधपुर में नहीं खोल सका। आज आप वहां नही हैं, मन्त्री हैं, यहां से भी हट जावेंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके वेतन, मोटर, भत्ते, कमाई आदि में अन्तर नहीं आने वाला है। आप तो इस कारखाने के लिये अधिकारियों को साथ लेकर विदेशों में भी गये, फ्रांस गये, कम्पनी के पैसे पर गये, मौज की, खूब गुलछर्रे उड़ाये। पर न आपने खारखाना खोला, न कुछ किया। उल्टे आशयपत्र और रद्द हो गया।

अकाल को लेकर हमारे वित्तमन्त्री उपदेश देते नहीं थकते। नौजवानों को कहते हैं कि नौजवानों जागो। टैकनिक इनकी बड़ी कमाल की है। ये इधर नौजवानों को जगा रहे हैं, उधर इन्दिराजी कहती हैं ए बेकारी के जमूरे खड़े हो जा, ए जमूरे इधर आ जा। उधर चली जा। पर वह बेकारी जावे तो कैसे जावे। ऐसे जमूरे का खेल नहीं है यह। नेशनेलाइजेशन का नारा लगा दिया। इससे ही सब कुछ नहीं होने वाला है। सवाल तो ईमानदारी का है। मेहनत से काम करने का है। पर आपके मुंह पर तो हराम लग गया है। आप न मेहनत कर सकते हैं न ईमानदारी से चल सकते हैं। इस प्रकार थोथे नारों से काम नहीं चलेगा। कड़ी मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से चलना होगा।

नारा लगाया गया गिरधारीलाल जी साहब व्यास द्वारा कि हम जमाखोरों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ अभियान चलाने वाले हैं। पता नहीं आपके उस अभियान का क्या हुआ ?

आपका विश्वविद्यालय है। कैसे वहां के लोग आंखें बन्द करके काम करते हैं, कोई देखने भालने वाला, चैक करने वाला नहीं है। पैसा आप जरूर अनाप-शनाप उन पर खर्च कर रहे हैं। पर नमूना मैं बताऊं आपके काम करने का। एक लड़का चित्तौड का 600 में से 653 नम्बर आए और फिर भी लिखा है पास वाई ग्रेस। आप शिक्षा मन्त्री हैं। इस प्रकार की जहां हालत हों....

श्री चन्दनमल बैद: मिस्टेक हो गई होगी, इसमें शिक्षा मन्त्री कहां आता है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आज राजस्थान की सरकार, जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिन लोगों ने आजादी ली, जिस तिलक ने कहा था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष जो आजादी का परवाना था, जिसने आजाद हिन्द सेना का निर्माण किया। आज इस सरकार में न तिलक की जयन्ती मनाई जाती है और न सुभाष की जयन्ती ही मनाई जाती है। आज तो इस राज्य में जयन्ती मनाई जाती है बीच वाले लोगों की। स्वतन्त्रता संग्राम में रहने वाले लोगों की तो आज जांच हो रही है। परिणाम निकल रहा है जो ताम्र पत्र मिलने चाहिए थे राष्ट्रपति द्वारा वे ताम्र पत्र मिल रहे हैं प्रधान मन्त्री द्वारा। आज उनका राष्ट्रपति द्वारा सम्मान होना चाहिए था लेकिन प्रधान मन्त्री द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उसके द्वारा ही स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए था....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको पुरस्कार दिलवा देते तो मैं समझता हूं....

एक माननीय सदस्य : कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सुनने का माद्दा रखिए। उपाध्यक्ष महोदय, एक लादू भील नाम का व्यक्ति था, जो राजस्थान और पाकिस्तान के बोर्डर पर रहता था। इस व्यक्ति ने पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए रास्ता बताया लेकिन खेद है सरकार कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान में घुस कर जिस व्यक्ति ने रास्ता बताया, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया। जिसने गौरवमय काम किया उसकी यह हालत कर दी गई यह निकम्मी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(अश्रव्य) आज रूस को केले भेजे जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं निवेदन करने जा रहा था आज कोटा जिले में 19 हजार बोरियां सड़ गई और बरसात में पड़ी रहीं········

(कई माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर एवं समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी पर)

दो मिनट का समय लूंगा। हो सकता है माननीय सदस्यों को मेरी बात कड़वी लग रही हो और हो सकता है वे यह कहते हैं कि इनको बिठाओं, उपाध्यक्ष जी, बोरियां बरसात में भीग गई। गेहूं पड़ा रहा और यह निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर सकी। बरसात से गेहूं के दानों में अंकुर फूट आये और बोरियां गल गई।

इसी प्रकार चूरू में स्टेशन पर बाजरे की बोरीयां पड़ी रहीं और वर्षा पड़ने से खराब हो गई। कलेक्टर ने कहा मैं राज्य सरकार को कह चुका हूं और मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे राजस्थान में निकम्मे अधिकारी हैं। इसी प्रकार एरोड्राम के फ्लाइंग स्क्वेड के बहुत बड़े अधिकारी, राजस्थान के चमचे ऐसोसियेशन का प्रेसीडेन्ट जिनका मैं समझता हूं जिक्र हुआ है, हवाई जहाज पर चढ़ गये और राजस्थान के उस व्यक्ति से जो चमचे ऐसोसियेशन का प्रेसीडेन्ट है माफी मांगनी पड़ी। आज इस प्रकार की हालत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं········

(समय-समाप्ति-सूचक-दीर्घ घण्टी)

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। टोडारायसिंह में········

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(माननीय गिरधारी लाल के बराबर बोलते रहने पर अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : ऑर्डर मानने की आदत ही नहीं है········

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ········ (माननीय उपाध्यक्ष के बार बार ऑर्डर प्लीज कहते रहने के बावजूद भी माननीय सदस्य साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)।···· नेहरू की मूर्ति पर कपड़ा चढ़ा हुआ········ (व्यवधान, अश्रव्य) आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं तो मैं तो अनुशासित दल का व्यक्ति हूं, बैठ जाता हूं।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय········

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट मेटर बहुत है लेकिन समय के अनुसार उपयोग कीजिये।

कई माननीय सदस्य : मोस्ट इर्रेलेवेन्ट

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 6ठी क्लास पास है ना आप तो.......

श्री केसरीमल : (माननीय गिरधारी लाल के साथ बोलते रहने से अश्रव्य).......खरीदने के लिये खर्च किया जाता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं वैसे अच्छा नहीं आप इस खराब काम में पैसा खर्च करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आबकारी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आज हमारे प्रान्त में एक एक गली में, एक एक कूचे में शराब का धन्धा बढ़ गया है। उससे अच्छे प्रयास कर सकते हैं तो करिये, आज यह हालत हो गई है। आज गली गली में, कूचे कूचे में, गांव गांव में इस तरह की दुकानें खुल गई हैं। अगर कोई ठीक काम कर सकें तो अच्छा है वरना मेरा तजुर्बा अलग है। मैंने गत सत्र में भी बताया था। आपके तीन अधिकारी उस डिपो पर खड़े हुये थे। मैंने कहा बदबू आ रही है और क्या आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं तो उन्होंने बताया सरकार हमारी मदद नहीं करती है.......

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्याक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सदन का समय एप्रोप्रियेशन बिल पास न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृति)

विधेयक पारित होने तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अन्याय है मेरे लिये.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : कैसे अन्याय हो गया ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : समय काट दिया।

श्री केसरीमल : पड़ोस में भट्टियां चल रहीं हैं। पैसा जरूर हमारे राज्य का खर्च होता है लेकिन अधिकारी उसको लागू नहीं करते हैं। उनसे मिले हुये हैं और हर माह उनसे कुछ न कुछ पैसा लेते हैं। उसी का परिणाम है गली गली में, कूचे कूचे में और गांव गांव में शराब बिकती है।

भूमि और भवन कर के बारे में बहुत बड़ा अमला रखने को बात कही गई है। क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि जो टैक्स लगाने की बात थी, वह तो कम हो गई है। क्योंकि वित्त मंत्री महोदय ने पिछले दिनों अमेन्डमेंट कर दिया है। अब उन जमीनों को अलग अलग करके आंकलन किया जायगा और अब पहले के मुकाबले ना के बराबर टैक्स आयेगा फिर इतने बड़े अमले की क्या जरूरत है ? किसी विभाग के साथ इसको जोड़ कर टैक्स वसूल कर लेना चाहिये जिससे जो टैक्स आने वाला है, वह आ जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं, कि मंत्री महोदय जरूर इस पर विचार करेंगे और जो नियम बनाने हैं, वे भी सरकार ने नहीं बनाये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह गलत धारणा है आपकी, माननीय सदस्य की गलत धारणा है। नियम बन चुके हैं और अगर आप बता सकते है कि बिना खर्च किये टैक्स वसूल हो सकता हैं तो जरूर मैं आपकी राय मानूंगा।

श्री केसरीमल : किसी पुराने डिपार्टमेंट के साथ इसको लगाया जाय ताकि वही वसूली करे और नया डिपार्टमेंट न खोला जाय तो ज्यादा अच्छा हो। यही मैंने पहले भी कहा है। मैं यह भी बात निवेदन करूंगा कि अगर नगरपरिषद् के जरिये इसके तखमीने हुये तो जो कुछ टैक्स आने की सम्भावना होगी वह भी नहीं रहेगी।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि 55 हजार रुपया कोष बनाने के लिए खर्च करने की स्वीकृति आपने चाही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे पैसा खर्च हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। जो पौंग बांध पर काम हो रहा है उसमें कोई न कोई व्यवस्था होगी। लेकिन फिर भी कोष बनाया जा रहा है। मुझे ऐतराज नहीं हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पौंग बांध का कार्य है, इसके ऊपर हमारी बहुत लहतलाली रही है। अगर इसको इस तरह से पूरा कराया जाये कि जिससे यह शीघ्र पूरा हो और इसमें और पैसा लगने वाला हो वह तो इसमें बहुत कुछ सुधार होकर बहुत बड़े इलाके में पीने के पानी का और दूसरा सिंचाई का साधन मिल सकता है। चाहे राजस्थान नहर का पानी हो या और दूसरी नहर का हो, लेकिन लोगों को पानी मिल सकता है। इससे पैदावार बढ़ा सकते हैं लेकिन न मालूम ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर पानी राजस्थान कैनाल में छोड़ा जाये तो निश्चित रूप से जो पंजाब में बाढ़ आती है वह नहीं आयेगी और हमारी सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ेगा और कई जगह बारह मासी सिंचाई होगी, लेकिन मुझे खतरा ऐसा है कि कुछ मन्त्रि मण्डल के लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि सिंचाई बारह मासी हुई और लगातार पानी मिला तो यह जो जमीन की सीलिंग की है और सीमाबन्धी की है वह जमीन की मात्रा कम हो जायेगी और शायद यही सोच कर इस सुझाव को इस तरह से अमल में नहीं लाया गया। नहीं तो यह सुझाव अमल में लाया गया होता तो निश्चित रूप से हमारे यहां पैदावार बढ़ती, हमारी अनाज की कमी की पूर्ति होती और लोगों को काम मिलता, लेकिन इसके ऊपर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान देना जरूरी है कि किस तरह से काम पूरा हो और आगे काम बढ़े और पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें और नहरों में पानी ज्यादा से ज्यदा आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन मिनट ही हुए हैं बोलते हुए, कुछ समय तो दो।

मेरा यह निवेदन करना है कि अभी जो गेहूँ का राष्ट्रीयकरण हुआ जिसके अन्दर दस दस्ते और 171 चैक पोस्ट लगाई गयी और इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा खर्चा करने के बाद कितना माल पकड़ा? क्योंकि भ्रष्टता इतनी बढ़ी हुई है और कई लोग मिलकर गाड़ियों को पार करा देते हैं। ज्यादा अच्छा होता कि जखीरेबाजों से अनाज निकाला होता लेकिन यह नहीं किया गया। अनाज की व्यवस्था बिलकुल गड़बड़ है। अनाज पूरा नहीं मिल रहा है और ठीक से अनाज की लेवी नहीं लगाई और उसकी वजह से स्थिति ऐसी बन गयी कि चाहे किसी भी इलाके को देखें-ब्यावर लें, अजमेर लें, सब जगह पर राशन की व्यवस्था बिगड़ी है। इससे लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। न तो राशन मिलता है और न दूसरे खाद्य पदार्थ। गांवों में तो दर्शन होते ही नहीं और शहरों में भी राशन की मात्रा

(श्री केसरीमल)

तीन-चार किलो करने से लोगों को बड़ी चिन्ता और कष्ट है और दूसरे खाद्य पदार्थों की उपलब्धि भी बहुत मुश्किल हो गयी है। और ठीक से व्यवस्था नहीं होने के कारण से लोगों में बड़ी अनिश्चितता है।

(सायं 5.05)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति पदासीन)

अभी हमने देखा कि ब्यावर में घी की कुछ ज्यादा मात्रा आ गयी और आज हालत यह है कि लोगों को घी नहीं मिल रहा है। दिवाली के दिन आ रहे हैं, इस मौके पर लोगों को घी मिल जाता, लेकिन इस तरह से एक साथ बंटवाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि त्यौहार के समय न तो राशन मिल रहा है और न घी और न शक्कर ही। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की अव्यवस्था फैलेगी तो लोगों में असन्तोष होगा और उसके परिणाम खराब ही नजर आयेंगे। होना तो यह चाहिये कि राशन के मामले में राशन की वितरण की व्यवस्था और मात्रा बढ़ाने की बात जरूर सोची जानी चाहिये।

मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कहा गया है कि दिल्ली में हमारा राजस्थान हाउस है और उसमें कमरों में कूलर्स लगाने के ऊपर पैसा खर्च होगा। जरूरी बात है, बहुत गर्मी पड़ती है। मैं तो कहूंगा कि एक एक कमरे में एक एक कूलर क्यों चार-चार कूलर लगाये जायें जिससे कि गर्मी महसूस नहीं हो। मैं समझता हूं कि क्या जरूरत है पैसा खर्च करने की ? जहां बचत करनी चाहिये वहाँ हम नाना प्रकार से पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं इसके विरोध में हूं।

जहां तक पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न है मेरे पूर्व साथी बोल चुके हैं और मुझे भी निवेदन करना है कि पाठ्य पुस्तकों का मामला शिक्षा मंत्री जी ने बिलकुल ही बिगाड़ कर रख दिया है। हमने देखा कि अक्टूबर का महीना आ गया है और अभी तक पुस्तकें नहीं मिली हैं। लड़कों के फर्स्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन्स भी हो गये हैं और पता नहीं किस तरह से उन्होंने परीक्षा दी होगी और क्या पढ़ा होगा और क्या वह जवाब दे पाये होंगे। पता नहीं उनका इस वर्ष क्या होगा ? गत वर्ष कहा गया था कि मई और जून में ही पुस्तकों की व्यवस्था कर दी जायेगी। क्या इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने विद्यार्थी हैं और उनके लिए कितनी पुस्तकें चाहिएं और उन पुस्तकों को पहले छपवाया जाये और उनको बंटवाने की व्यवस्था की जाये लेकिन राज्य सरकार न जाने किन लोगों के हाथों में खेल रही है जिससे कि पुस्तकों में भी ब्लैक चल रहा है। जो सरकार पुस्तकें छपवा रही है और जो सरकार राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की बिकवा रही है उनकी इतनी शॉर्टेज करवा दी है कि बच्चों को वह नहीं मिलने की स्थिति पैदा हो जाये और ज्यादा पैसे देकर किताबों को वह खरीदें। चाहे वह पब्लिशर हो, या कोई भी हो उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि यह पुस्तकें नहीं आयें, क्योंकि वह सोचते हैं कि यह प्रॉफिट कम है। इसलिए काला बाजारी से प्रॉफिट उनको ज्यादा मिल सकती है, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की और मेरा ख्याल है कि ऐसा मिलीजुली बात है जिसकी वजह से यह व्यवस्था करके ऐसी हालत पैदा की है।

इसके साथ ही दूसरे मसले भी हैं। जहाँ तक मालूम पड़ता है मेरे पास एक लिस्ट है

(श्री केसरीमल)

जिसमें 144 स्कूलों के नाम हैं। इनमें से बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं कि जो किसी समुदाय विशेष की हैं। उनमें 90 प्रतिशत पैसे इन स्कूलों को सहायता के रूप में दिये गये हैं जबकि अन्य स्कूलों को बहुत कम मात्रा में पैसे दिये गये हैं। अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो मालूम होगा कि वास्तव में कुछ गोलमाल हो रहा है इस तरह का कि किसी एक जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष को सहायता दी जा रही है और दूसरी संस्थाओं को इससे वंचित किया जा रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूँगा कि इस मामले में बड़ी गम्भीरता से विचार करें।.......

श्री चन्दनमल बैद : आप नहीं थे जब इसका जवाब दिया जा चुका था।

श्री केसरीमल : यह लिस्ट है जिससे मालूम पड़ेगा कि कितना कितना पैसा किसको दिया गया है। अभी अध्यापकों के तबादले किये गये और उन पर जुल्म किये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गये। वह इसलिए किये जा रहे हैं कि सरकार के दिल में बदले की भावना है। सरकार के कई गुप्त पत्र निकले हैं जो इस समय मेरे पास नहीं हैं नहीं तो मैं उनकी फोटो दिखाता।

श्री चन्दनमल बैद : ले आइयेगा।

श्री केसरीमल : अभी मेरे पास नहीं। नहीं तो मैं आपको दे देता। किस तरह से गुप्त पत्र निकाले गए हैं और ऐसे लोग जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया है उनके तबादले किए जाएं, उनके साथ हर प्रकार से ज्यादती की जाय। इस तरह का पत्र निकाला गया है। हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद इस तरह से ज्यादती करना और राज्य कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना किसी तरह से भी उचित नहीं है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस तरह की भावना को छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा निवेदन करना है कि इसमें कई और भी मसलें आए हैं।

इसके साथ ही एक बात उद्योगों के सम्बन्ध में भी कही गई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां बहुत से उद्योग····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, अभी दो तीन बातें और कह कर समाप्त करता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज आप देखेंगे कि इतना बड़ा जखीरा हमारे यहां खनिज पदार्थों का पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे वहां पर बहुमूल्य खनिजों की खानें हैं, बहुत सी मारबल की खानें हैं जिनको साहू जैन ने लाखों रुपया कर्जा लेकर भी चलाया नहीं है और उनको बन्द करके भाग गए हैं, और खानें बन्द पड़ी हुई हैं। इन खानों के बन्द होने से इतना बड़ा भंडार, बहुत बड़ा जखीरा पड़ा हुआ है जिससे सैंकड़ों आदमियों को काम मिल सकता था और विदेशों से पैसा आ सकता है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। हमारे ब्यावर के आस पास में इतना बड़ा लाइम स्टोन का जखीरा है और भी दूसरी खानें हैं जिनसे उद्योग लग सकते

(श्री केसरीमल)

हैं लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। आज देश में सीमेंट की कमी है। वहां पर सफेद सीमेंट बन सकती है, दूसरी सीमेंट भी बन सकती है जिनकी मीलों तक खाने हैं और वह सारा कच्चा माल काम में लिया जा सकता है। लेकिन सरकार के यह बात ध्यान में नहीं आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार खनिज विभाग से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में ध्यान दें और इस बात का पता लगाया जाय कि क्या 2 खनिज हैं जिनसे कारखाने लग सकते हैं और लोगों को इससे काम दिया जा सकता है। अन्यथा वह माल जमीन में तो जरूर पड़ा है लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, उससे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है लेकिन वह नहीं दिया जा सका है। हमारे इलाके से हम काफी ऐसे खनिज निकाल सकते हैं, जिनसे उद्योग लग सकते हैं लेकिन सरकार की ढिलाई के कारण और सरकार की लहतलाली के कारण और इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण इस तरह से फायदा नहीं मिल पा रहा है।

मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि इसमें जहां एडवर्ड मिल को साढ़े सात लाख रुपये देने की वात कही गई है, वह चाहे एडवर्ड मिल हो या महालक्ष्मी मिल हो, महालक्ष्मी मिल भी सरकार ने सात साल पहले अपने हाथ में ली थी और कारखानेदार उसको लूट कर, उसकी आंतें निकाल कर, उसको खोखला बनाकर भाग गया था। मिल छः लाख 44 हजार रुपये में बन गई थी और एक साल में पन्द्रह 2, बीस 2 लाख का प्रॉफिट लिया है लेकिन उसने कभी मशीनों को ठीक ढंग से रखने की बात नहीं सोची। दोनों कारखानेदार इनको बन्द करके भाग गए। उनके आपस के झगड़े में मिल बन्द हो गई लेकिन उनकी दशा सही माने में ऐसी नहीं है कि वह अच्छी तरह से प्रॉडक्शन दे सकें और इसकी वजह से कुछ वहां पर नुकसान होना स्वाभाविक है। दोनों बन्द कारखानों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, लेकिन सरकार ने भी अपने हाथ में लेने के बाद उन कारखानों की मशीनों को सुधारने के लिए, उनको बदलने के लिए, उनका नवीनीकरण करने लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इस पर कोई पैसा नहीं लगाया है और पैसा नहीं लगाने के कारण वे कारखाने चल तो रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉडक्शन पर कैपिटा जितना आना चाहिए उतना प्रॉडक्शन नहीं आ रहा है, और इसका सारा भार मजदूरों पर डाला जा रहा है। और यही कारण है कि दूसरे मजदूरों को जितना पैसा दिया जा रहा है, यहां के मजदूरों को उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपने जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कि मजदूर अपना पूरा काम कर रहे हैं, उसके काम में कोई कमी नहीं है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है और वह अपनी तरफ से पूरा प्रॉडक्शन करता है और उसके बाद उसे अपने परिवार के पेट को भरने के लिए जो डेढ़ किलो आटा चाहिए उस पर भी उसे उतने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं जितने बाजार में दूसरों को देने पड़ते हैं

(श्री केसरीमल)
लेकिन उसको मजदूरी दूसरों से 65) रु. कम दी जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री केसरीमल : इनका नवीनीकरण आवश्यक है, इनका मॉडर्नाइजेशन करना आवश्यक है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। सात साल में भी कोई सुधार नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिए और रुपयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आप बड़े 2 कमरों के अन्दर, अच्छे 2 ठण्डक पैदा करने वाली मशीनों को लगाने के अन्दर हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, 25 हजार रुपये और लगाकर कमरे बनावें और बड़े 2 अधिकारियों को रखें इसके बजाय अगर पैसा बचा कर इन कामों में, उद्योगों में, इण्डस्ट्रीज को बढ़ाने में पैसा लगायें तो वहां के मजदूरों को अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है। यह सही है कि इससे मजदूरों को काम मिला है लेकिन जो अधिकारी यहां से गए हैं, जिस अधिकारी को पहले तीन सौ, चार सौ रुपये महीना मिलता था वहां अब दो-दो हजार रुपये तनख्वाह दी जा रही है, और उनके रहने के बंगलों में हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उन फालतू खर्चों को रोक कर अगर मशीनों के नवीनीकरण पर खर्चा किया जावे तो इन मिलों को भी अपने पांवों पर खड़ा किया जा सकता है।

मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आबकारी विभाग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, जालोर जिला इनमें शराब बन्दी हो चुकी है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस शराब बन्दी के बाद जो कदम उठाए गए हैं वे कदम इस प्रकार के हैं कि जिसकी हम भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकते हैं। स्थिति इन जिलों में इस प्रकार की है कि अब शराब और ज्यादा बढ़ गई है। शराब गांव 2 में इतनी बढ़ गई है कि गैर कानूनी तरीके से शराब तैयार हो रही है। सरकार की इस सम्बन्ध में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नही है। अभी भी आबकारी विभाग के लिए, निरोधक दल के लिए पन्द्रह जीपों के लिए धनराशि रखी गई है। हम देखेंगे कि राज्य सरकार इस प्रकार के कदम ले करके यह निर्णय लेना चाहती है कि शराबबन्दी नहीं होनी चाहिए। हम खुद कह देंगे, क्योंकि शराबबन्दी होगी तो राज्य सरकार उसको कन्ट्रोल नहीं कर सकेगी और शराब और ज्यादा बढ़ेगी और तब इन परिस्थितियों में हमें मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि शराबबन्दी हटा दी जाय। शराबबन्दी इन जिलों में भी नहीं होनी चाहिए और शराब चालू होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें विवश किया जा रहा है, परिस्थितियां इस प्रकार की बनाई जा रही हैं और राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं। अगर कोई भी इस प्रकार का प्रॉडक्शन शराब का चालू किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से तो पुलिस की उसमें कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस कहती है कि यह हमारा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

काम नहीं है। स्थिति इस प्रकार की है कि पुलिस के अधिकारी भी, जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं वे शराब का प्रयोग करें वे क्या व्यवस्था कर सकते हैं? अगर हम जिलों में देखें तो बड़े से बड़े अधिकारी शराब का प्रयोग करते हैं, जनता के प्रतिनिधि शराब का प्रयोग करते हैं और कोई नियन्त्रण नहीं है। कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। हम इस प्रकार की विवशता की स्थिति में हैं। तो इसलिए सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जब हमने निर्णय ले लिया कुछ जिलों के लिए, यद्यपि हमने निर्णय यह लिया था कि हम राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी करेंगे और इस बात को जान कर गोकुलभाई भट्ट भी बहुत खुश हुए थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया, परन्तु जिन जिलों के बारे में आपने निर्णय ले लिया है उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें और इस बारे में ठोस कदम उठायें और शराबबन्दी को पूरी तरह से लागू करने के लिए व्यवस्था करें। अब यह कदम जो उठाया गया है वह सही कदम है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था और इस बात पर ज़ोर दिया था, परन्तु हम हमारे राष्ट्रपिता के कदम पर नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार का कदम ले रहे हैं जिससे कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस समस्या के बारे में विशेष तौर से कदम उठाये और निरोधक दल को मजबूत करके काम करे। वहां पर जो फोर्सेज लगाई गई हैं उनको जांच करने का अधिकार नहीं है। उनको कहीं जाकर माल बरामद करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के अधिकार उनको दिए जाएं। बाड़मेर जिले के अन्दर स्टाफ़ को बढ़ाया जाए और वहां पर ऐसे ऑफिसर को रखा जाए जिनको कि इन्वेस्टीगेशन और माल बरामद करने का अधिकार हो।

दूसरा विषय जो मैं ले रहा हूं वह है पानी की समस्या का। चौथी पंचवर्षीय योजना में पानी की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है, परन्तु अब इस साल जो कदम उठा रही है उससे हमें बड़ी निराशा हुई है। डी. पी. ए. पी. के सब प्रोग्राम रद्द कर दिये गए हैं और योजना में भी कमी की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेन्ट को जो इकोनॉमी कट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डाइरेक्शन पर करना है, उसमें मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्या के लिए कोई इकोनॉमी कट न करें। प्लान के अन्दर कोई कट न करें और इस समस्या को हल करने के लिए आप अधिक से अधिक प्रयास करें और इकोनॉमी नहीं की जाए, और जो योजनाएं हाथ में ली गई हैं, उनको क्रियान्वित करें और नई योजनाएं भी लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या को सरकार कितने सालों में हल करेगी? इसके लिए कोई एक डेफिनेट प्रोग्राम होना चाहिए। आप पांचवीं योजना में इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य सरकार से जनता यह जानना चाहती है कि यह जो महत्त्वपूर्ण समस्या है इसको आप कब तक हल करेंगे? इसके लिए हम कोई एक डेफीनेट आश्वासन चाहते हैं कि किस साल के अन्दर आप इसको हल कर देंगे।

अब मैं मरु भूमि के विकास के बारे में भी कहना चाहता हूं। राजस्थान का 55

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रतिशत पोर्शन रेगिस्तानी क्षेत्र है और यह रेगिस्तानी क्षेत्र अधिकांशतः सीमावर्ती क्षेत्र है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र को विकसित करने के लिए अभी तक जो प्रयास किए गए हैं उससे उस क्षेत्र में बहुत ही कम प्रगति हो पायी है। पाकिस्तान से हिन्दुस्तान का जब युद्ध होता है तब आप वहां की जनता से यह चाहते हैं कि जनता उसका बहादुरी से मुकाबला करे, उनका मोरल मजबूत हो। परन्तु जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो तब आप उनसे यह कैसे आशा कर सकते हैं ? यह ठीक है वे हिम्मतवाले व्यक्ति हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र के व्यक्ति शरीर से मजबूत होते हैं। यह हमारे पर प्रकृति की दया है। परन्तु वहां पर बारबार अकाल पड़ रहा है और आज भी वहां की पानी की समस्या हल नहीं हो पाई है। हमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है तो इसके लिए राज्य सरकार अलग से व्यवस्था करे। योजनाओं के अन्दर आप कितनी भी कोशिश करें, यह करना राज्य सरकार की शक्ति की बात नहीं है कि वह रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास कर सके। राजस्थान को सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से आउट साइड स्कोप ऑफ दी प्लान व्यवस्था करवानी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक से इसके लिए लोन लेना होगा, किसी भी प्रकार से करना पड़े, मरुभूमि का विकास हम को करना चाहिये। राज्य सरकार ने बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर जिलों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली है। यह कार्य तीव्र गति से हो रहा है परन्तु सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या हो सकता है ? जब तक आप इस क्षेत्र के विकास के लिए फाइनेन्स की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तब तक यह क्षेत्र विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है, राज्य सरकार जो भी हो सकता है, वह कोशिश करके इन क्षेत्रों को विकसित करे।

अब मैं कुछ राजस्थान नहर के बारे में कहना चाहता हूं। अभी जो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में समझौता हुआ है, उसको देख करके बड़ा दुःख हुआ है। राजस्थान सरकार ने हरियाणा सरकार को राजस्थान नहर से इतना पानी दिया है जिससे उनकी दो लाख एकड़ जमीन सिंचित हो पाएगी और यह पानी सात-आठ सालों के लिए दिया गया है। अब यह पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि राजस्थान इसका उपयोग नहीं कर सकता है और वह पानी पाकिस्तान में चला जाता है इसलिए इसके उपयोग के लिए यह पानी हरियाणा को दिया जा रहा है।

(5.27 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 7-8 सालों के लिए हरियाणा के किसान को जो यह पानी दिया जा रहा है उसको वह कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। वह इसको आगे जाकर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और भी योजनाएं बनने जा रही हैं, लूनकरणसर की योजना है, सिद्धमुख की योजना है। अब नागौर जिले को विकसित करने के लिए भी सोचा जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि जो निचला क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, वहां पर पानी पहुंचाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां पर पानी नहीं पहुंचाना चाहते

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
हैं। यह चाहते हैं कि इन जिलों को किसी तरह से पानी न मिले।

श्री भीमसेन : बाड़मेर जिले के लिए भी योजना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई योजना नहीं बनायी जा रही है और राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर जिले के लिए कोई योजना नहीं है। और किसी प्रकार से यह कोशिश की जा रही है कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र को किसी भी तरह से विकसित नहीं किया जाए। मैं राजस्थान सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पानी की व्यवस्था हुई है परन्तु इन ट्यूबवैल्स में कब तक पानी आएगा ? ये अभी तो भले ही तीस वर्ष, चालीस वर्ष तक चल सकते हों परन्तु पचास साल बाद में क्या व्यवस्था होगी ? इसलिए अब फ्यूचर जेनरेशन के लिए देखना होगा। बाद में अगर राजस्थान नहर जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया था बाड़मेर जिले में होती हुई कच्छ की खाड़ी तक यह कैनाल हो और इसमें नेवीगेशन की स्कीम हो और इर्रीगेशन की भी स्कीम हो तो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का एरिया भी सिंचित हो सकेगा और पानी का पेटा बढ़ने से पानी की समस्या के हल होने में मदद मिलेगी। यह परमानेन्ट सोल्यूशन होगा। अभी तो यही सन्तोष कर रहे हैं कि ट्यूब वैल से पानी मिल रहा है। अब गवर्नमैंट इसको एग्जामिन करावे या एक्स-पर्ट्स से एग्जामिन करावे कि जो पानी उप-लब्ध हो रहा है वह कितने सालों तक मिल सकेगा ? उसके बाद क्या व्यवस्था करेंगे ? पानी की समस्या हल न करके क्या आप इन क्षेत्रों को वीरान बनाना चाहते हैं। क्या आप वहां पर और आबादी बसाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आपकी क्या योजना है, क्या स्कीम है यह हम राजस्थान सरकार से जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने यह निवेदन किया था कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहां पर सड़कों को बनाने की ओर ध्यान दिया गया और उसका नतीजा सबके सामने है। 1965 में जब हमारी हार हुई और उसके बाद जब सड़कें बन गईं तो हमारी बड़ी भारी विजय हुई। अब सड़कें बनाने पर हमारी विजय हो जाती है फिर यदि यह क्षेत्र विकसित हो जाता है और राजस्थान कैनाल इच्छोगिल नहर के बराबर एक डिफेन्स नहर हो जाती है तो हमारे देश की सुरक्षा भी हो जाती है। आप यह समझते हैं कि पानी पहुचायेंगे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में तो खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि देश की रक्षा का प्रश्न जो है वह सब से ज्यादा और महत्त्व-पूर्ण प्रश्न है और उसके लिए आपको करोड़ों रुपया खर्च करना होगा और वहां की जनता के मनोबल को ऊंचा करना होगा।

मैं सिर्फ दो ही मुद्दों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और उन पर राज्य सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक पर जो बहस चल रही है उस पर चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। हर वर्ष करोड़ों रुपयों की मांगें हम सदन में बैठ कर पास करते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं

(श्री जगमोहनसिंह)

माननीय वित्त मंत्रीजी से कि जनता की कमाई का करोड़ों रुपया जो टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है उसमें से कितना इस क्षेत्र के और राजस्थान के डवलपमेंट पर खर्च होता है, और कितना पैसा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्तों पर खर्च होता है? मेरी यह मान्यता है, उपाध्यक्षजी, कि जो कुछ भी हम बजट पास करते हैं उसमें से 60-70 पर्सेन्ट खर्चा जो है वह राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाहों और भत्तों पर खर्च करना पड़ता है। तो यह एक ऐसी समस्या बन गई है हमारे सामने, हमारे पिछड़े राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में जिसके ऊपर हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह से, बराबर इस गति से हम टैक्स में आये हुए पैसों को जन कल्याण पर नहीं लगायेंगे और कर्मचारियों और बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहों के ऊपर और इस तरह की बातों पर ही खर्च करते रहेंगे तो हमारा विकास नहीं हो पायेगा। आज जो इस धीमी गति से हमारा विकास हो रहा है उसका कारण यही है। राजस्थान में पिछले 25 वर्षों में मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ही डेमेज्ड रूप में डेवलपमेंट किया गया है। मैंने कई बार इस सदन में आपके माध्यम से, उपाध्यक्षजी, निवेदन किया है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान के अन्दर कि जहां पर 25-26 साल के अन्दर किसी तरह का विकास का असर ही नहीं पहुंचा है। लोग यह नहीं जान पाये, सुनते जरूर हैं, कि विकास का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ क्षेत्र को छोड़कर जैसे कोटा जिले के अन्दर, यह ईश्वर की देन है चूंकि चम्बल नदी वहां से बहती है इसलिए वह एक योजना उस तरह की बन गई और उससे यह मानकर चल रहे हैं कोटा जिला एक सम्पन्न और समृद्ध जिला बन गया है ऐसे भाग भी हैं जहां पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस योजना के बनने से कोटा शहर और उसके आसपास की चार तहसीलों में विकास हुआ है जबकि कोटा जिले के अन्दर 12 तहसीलें हैं। सिंचाई का पानी भी चार तहसीलों को मिला है बाकी की 8 तहसीलों को एक बूंद भी पानी का नहीं मिला है। जो शेष 8 तहसीलें हैं छबड़ा, शाहबाद, बारां, सांगोद आदि उनके अन्दर आप जाकर देखें कि न तो आज तक एक पैसे की कोई सड़क बनाई गई है और न वहां पर सिंचाई की योजना—मध्यम या और कोई इस तरह की बनाई गई है, और सड़कें जो पुरानी बनी हुई थीं उनकी आज यह हालत है कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मेरा आपके माध्मय से निवेदन है कि जब तक इन सारी बातों पर बेलैंस्ड डवलपमेंद के आधार पर विचार करके नहीं चलेंगे और हमारी योजनाओं पर जो हमारा खर्चा इस तरह का बढ़ता चला जा रहा है उसको ठीक नहीं करेंगे तो समस्त राजस्थान का समान विकास उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हो सकता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कुदरत का भी न्याय होता है। जैसा कि सुनते हैं कि हम पूर्वी राजस्थान वालों से और कुछ दूसरे इलाकों से पिछले 25 सालों में जो टैक्स का पैसा वसूल किया गया है वह अधिकतर पैसा उदयपुर और जोधपुर डिवीजन में लगा है, और वह पैसा हमारे लोगों में से था और

(श्री जगमोहनसिंह)

हमारे उस क्षेत्र के साथ में अन्याय किया गया। अब तक बराबर उसी गति से उसमें पैसा लगता रहा है, उसका परिणाम यह हुआ कि कुदरत ने, जो हमारे हिस्से का पैसा लगाया था उसको बहा दिया। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह के उपेक्षित क्षेत्र हैं अगर उनकी फिर इस तरह से उपेक्षा की गई कि उनके हक का पैसा दूसरे क्षेत्र में लगा देंगे तो कुदरत का इन्साफ होता है जो कि आपके है। मैं इसको इस रूप में नहीं कह रहा हूं। यह बहुत बुरी बात हुई। लगातार यहां के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार का और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो मैं आपको निवेदन कर रहा था। हमारा क्षेत्र पहले से पिछड़ा हुआ है। पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बड़ी आशायें लगाये हुए थे। पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले हमारे सामने एक पिक्चर रखी गई थी कि गांव गांव में हर गांव के लेवल पर योजना बनाकर आगे के गांवों के विकास की बात करेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह पांचवी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई, कब बनी, क्या प्रारूप बनाया गया, कहां पर क्या आवश्यकता है, किसने उसको आंका, आज हमें इस बात का पता नहीं है, यह बड़े खेद की बात है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो योजना बनी उनमें पिछड़े इलाकों की दृष्टि से उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और जो वहां की आवश्यकतायें हैं उनको दुबारा आंका जाय और उनको पंचवर्षीय योजना में रखा जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री हांडा के खड़े होने पर) : आपके दल के लोग बोल चुके हैं। अभी केसरीमल जी बोले थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई भी बोल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 2,33,01,000 की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स हैं इन पर, सब पर मुझे नहीं बोलना है, लेकिन एक प्रश्न बहुत गम्भीर है जो कि सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सका वह मैं अवश्य प्रस्तुत करता हूं।

पौंग डैम के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना करने के सम्बन्ध में इसके अन्दर 55,000 की राशि मांगी गई है। इसलिए पौंग डैम के सम्बन्ध में कुछ बहुत ही गम्भीर प्रश्न प्रस्तुत हुआ है जिसको कि मैं सदन के सम्मुख लाना चाहूंगा। आज यह एक विवाद बड़े गम्भीर रूप से उठ कर खड़ा हो गया है कि पौंग डैम का निर्माण पूर्ण हुआ है या पौंग डैम का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रकोष्ठ की स्थापना की जाय यह तो एक सिलसिले की चीज है। कमेटी के बाद कमेटी और कमेटी के बाद रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद में रिपोर्ट का पोस्टपोनमेंट, और रिपोर्ट के पोस्टपोनमेंट के बाद में फिर कमेटी और फिर कमेटी के ऊपर अनेकों प्रकोष्ठ बनते हैं और रिपोर्ट प्रकोष्ठ में

(योगेन्द्रनाथ हांडा)

में सीमित हो जाती है, लेकिन भारतवर्ष का, हिन्दुस्तान का पानी पिछले 5-6 महीनों से लगातार पाकिस्तान के अन्दर जा रहा है। पंजाब की सरकार ने इस गम्भीरता को महसूस किया है और व्याम बोर्ड के चेयरमैन भारतवर्ष के ही नहीं सारे विश्व के माने हुए इन्जीनियर हैं वे इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि पौंग का निर्माण पूर्ण हो चुका है इसके बावजूद भी पौंग डैम के टनल्स को बन्द क्यों नहीं किया जाता है? उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अकाल की बात करते हैं। राजस्थान के अकाल की ही बात नहीं करते हैं, इस भारत भू-खण्ड पर चलने वाले ताण्डव नृत्य की बात करते हैं, तब पता चलता है कि उन टनल्स को बन्द नहीं करके कितना पानी हमने गंवा दिया है। हमारे इन्जीनियर्स यह माने हुये हैं कि पौंग डेम का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। जब भारत सरकार के रेकार्ड में पौंग डेम का निर्माण पूरा हो चुका है। भारत के जो प्रसिद्ध इन्जीनियर हैं, वह कहते हैं कि पौंग डेम का निर्माण हो चुका है। अगर ये टनल्स बन्द कर दी जातीं तो गंगानगर ही नहीं, एक यही जिला नहीं, बीकानेर जिले में भी सिंचाई की सम्भावनाएं हो जाती है। रामगढ़ से बाड़मेर होते हुये कांडला तक ले जा सकते हैं। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि हमने सीलिंग किया है। जो राजस्थान के सिंचाई मन्त्री हैं, राजस्व मन्त्री भी हैं। अगर टनल बन्द हो जाती तो जेठाना, अमरसर, गग कैनाल में सिंचाई इण्टेन्सिटी 100 से अधिक हो जाती। जबकि राजस्थान की धरती सिंचित करके जो सीलिंग में कमी हो जाती है, वह काफी दूर हो जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

केवल इसी सवाल के कारण न केवल राजस्थान का, गंगानगर का, बल्कि भारतवर्ष का नुकसान किया जा रहा है। मैंने

केलक्यूलेशन किया है। टनल्स बन्द हो जाती हैं तो जो लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान में बह कर चला जाता है, यह अगर कण्ट्रोल कर लिया जाता है तो 10 लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। पंजाब की सरकार ने इस बारे में सोचा है। वह पाकिस्तान से क्लेम करना चाहते हैं। हमारी नदियों का अधिक पानी पाकिस्तान में बहा दिया गया है। इससे बढ़ कर और कोई अराष्ट्रीय कार्य नहीं हो सकता है। यह कहते हुये दो शब्द मैं नेशनेलाइजेशन ऑफ टैक्स्ट बुक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। यह निर्णय तो स्वागत् योग्य है कि 50% टैक्स्ट बुक्स बुक सेलर्स को दी जायेंगी और 50% स्कूल्स को दी जायेंगी।

श्री चंदनमल बैद : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि स्कूल्स को बुक्स दी जायेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं निवेदन करता हूं कि जो स्कूल्स के हैड मास्टर्स हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि टैक्स्ट बुक्स स्कूल्स को ही क्यों नहीं भेज दी जाती हैं। अभी जनसंघ की सारी की सारी कुर्सियां खाली हैं। लेकिन यहां उनके एक खास बैठे हैं। जो कुछ प्रभाव स्कूलों की तरफ हुआ है और उसमें चक्करबाजी भी हुई है। शान में कमी भी हुई है। तीनों ही स्थिति हुई हैं। जैसी कि प्रणाली है, सैद्धान्तिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उनके दिमाग में एलर्जी है। अच्छा आप पधार गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तो मैं निवेदन करूंगा कि टैक्स्ट बुक्स स्कूलों को दी जायें। बुक सेलर्स बेचते थे तो किताब के साथ चुंगी भी देते थे।

एक माननीय सदस्य : चुंगी नहीं कुंजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुंजी को भी चुंगी के रूप में लागू करते थे। वह कुंजी भी खरीदनी पड़ती थी। अब वह कुंजी की खरीद की कमी हुई है। विद्यार्थियों में स्वावलम्बन आया है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से वित्त मन्त्री विचार करने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सारी की सारी किताबें इन्सपेक्टर की मार्फत स्कूलों को सप्लाई की जायं ताकि यह सफाई हो सके।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन पूरक मांगों पर विचार हो रहा है, उनमें मैं भी कुछ संक्षेप में कहना चाहूंगा। जहां तक जिन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कहनी और करनी में बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है। आज जो हमारे गांवों में पुराने लोग थे, जो पीढ़ियों से पनपते आये हैं। उनका व्यवसाय समाप्त हो गया है। जो बहुत बड़े लोग हैं, उनकी मोनोपोलीज हैं, उनका शिकंजा बढ़ता जा रहा है। गांवों में गरीब अमीर की खाई बढती जा रही है। पाली जिले के बेकारों के बारे में कुछ मैं निवेदन करना चाहूंगा। ऐसे ग्रामों के जो उद्योग थे जिनका सर्वे कराया गया था, उनको प्रोत्साहन दिया गया था। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन जिलों को प्रोत्साहन देने के लिए चुना है, उनमें पाली जिले को कोई स्थान नहीं दिया है। जो ग्रामों में रोटी रोजी देने का काम करते थे, आज धीरे धीरे वह उद्योग समाप्त हो रहे हैं। पूंजी दूसरी जगह लगती जा रही है। मैं अभी भी यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार पाली जिले को पिछड़ा हुआ घोषित करने का प्रयत्न करें। पिछड़े जिलों में पाली जिला ठीक तरह से आता है। कई जिले पिछड़े हुये हैं। मैं समझता हूं कि पाली जिले के साथ अन्याय किया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। मैं दूसरी बात वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, राजस्थान में शराबबन्दी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे उलटे हानि हो रही है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था उड़नदस्तों को संगठन करने के लिए जिस धन की मांग की गई है, वास्तव में वहां की स्थिति यह है कि बावजूद उड़नदस्तों के वहां पर लगाये गए अधिकारियों के, शराब की खपत में बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिन अधिकारियों को शराब की रोकथाम के लिए सौंपा है, वे खुद शराब पीते हैं। जिन जिलों में शराबबंदी आपने कर रखी है कम से कम वहां अधिकारी, उड़नदस्ते के लोग या दूसरे पुलिस अधिकारी जो आप पोस्टिंग करें, वे शराब से नफरत करते हों तभी जाकर ऐसा हो सकता है और उन जिलों में नाजायज शराब न बनेगी न बाहर से शराब आकर गलत रास्ते पर लोगों को ले जाएगी। ऐसी हालत में जिन सिद्धांतों की हम घोषणा करते हैं, उनका क्रियान्वयन करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो उपाय करते हैं उससे उल्टा वातावरण बनता है। ऐसी हालत में हम आशा करें कि वहां

(श्री मोहनराज)
शराबबंदी की नीति सफल होगी, यह मृग-मरीचिका के बरावर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया, उसके लिए भी उड़नदस्ते और चेक पोस्ट्स की आप कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कल आप मौजूद नहीं थे, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, दो दिन दिए थे इस विषय को।

श्री मोहनराज : अंत में मुझे संक्षेप में यही निवेदन करना है कि चेक पोस्ट्स द्वारा और उड़नदस्तों द्वारा जो कार्यवाही हो रही है, वह हमारी नीति को फेल करने के लिए हो रही है।

श्री केदारनाथ : आज से एक महीना पहले हमारी प्रधान मंत्री ने सब मुख्य मंत्रियों को अपनी पब्लिक और प्राईवेट लाइफ में आस्टेरिटी एक्सरसाइज करने के लिए कुछ 10 कमांड्स दिए थे। मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने अपनी पब्लिक और प्राईवेट लाइफ में व मुख्य मंत्री ने अपने आपको कैसे एडजस्ट किया और कैसे प्रैक्टिस शुरू की ? क्योंकि 6 महीने के बाद हम मीट करेंगे, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को फाइनल टचेज देंगे, तो क्या यह मानकर चलें कि प्राइस स्पायरल के कारण हमारा प्लान आउटले में जिस प्रकार से एलोकेशन करने जा रहे हैं, उसमें फर्क नहीं आएगा ?

तीसरी वात सारा सदन महसूस करता है कि जितने एपॉइन्टमेंट्स होते हैं वे मेरिट के आधार पर नहीं होते चाहे टैक्सेशन विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे विद्युत् मंडल हो, चाहे पुलिस विभाग। मेरा हमेशा सुझाव रहा है कि राज्य सरकार स्टेट लेवल पर ऐसा बोर्ड कायम करे जो रिटन टेस्ट ले और जितने भी एम्प्लॉयमेंट एजेन्सीज हैं उनमें एडवर्टाइज करके उनके मार्फत एप्लीकेशन्स आएं, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर एग्जामिनेशन्स हों। सारे के सारे रिटन एग्जामिनेशन्स आप यहां करो, लोग वहां से चल कर आएं, 10 दिन खराब करें, मेरिट लिस्ट में नहीं आएं तो उनको परेशानी होती है। पहले शार्ट नोटिस एडवर्टाइजमेंट करें। इसलिए जनरल एपॉइन्टमेंट्स के बारे में आप जनरल पॉलिसी बना लें ताकि मेरिट की कदर हो। इसके अलावा मंत्रीगण अपने व्हिम्स के अनुसार न चलें और जांच करें कि कितने केसेज में मेरिट को नजर-अंदाज किया गया।

6 महीने के बाद आज हम एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहते हैं। इकोनॉमी की हैल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही डेफीसिटी फाइनेंसिंग, वही प्राइस स्पायरल और अनब्रिडल्ड एक्सपेंडीचर। इस बारे में सरकार की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं, कोई कान्ट्रेक्शन नहीं। आपने कहा था कि इकोनॉमी की हैल्थ को सुधारेंगे, आखिर नेट रिजल्ट्स क्या हुए हैं ? वित्तमंत्री ने हमारे सामने जिस ढंग की आस्टेरिटी की शपथ ली है, उनके बारे में आशा है, वे दो शब्द कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री बनवारीलाल के खड़े होने पर) : वहुत आवश्यक है क्या ?

श्री बनवारीलाल : सिर्फ दो मिनट। यहां बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर

(श्री बनवारीलाल)

राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के बारे में विचार प्रकट किए जाते हैं। मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि जो हांडा साहब ने कहा है, यह सही है। बुकसेलर्स के बारे में जो शिक्षा मंत्री ने पॉलिसी अपनाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं और वास्तव में पाठ्य पुस्तकें पहले की अपेक्षा इस पॉलिसी के आधार पर आज आसानी से बच्चों को मिल रही हैं। सिर्फ हो हल्ला है कि पुस्तकें बाजार में नहीं हैं, यह प्रोपेगंडा बुकसेलर्स कर रहे हैं। इस पॉलिसी के अनुसार 50 प्रतिशत किताबें स्कूलों के और 50 प्रतिशत बुक सेलर्स के थ्रू दी जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी पाठ्य पुस्तकें इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के जरिए हैड मास्टर्स को दी जायं, इससे ज्यादा से ज्यादा सुविधा बच्चों को मिल सकती है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्षजी, वैसे तो आज बहुत ही लिमिटेड स्कोप था आज के डिस्कशन का उसके बावजूद माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। मुझे इस बारे में विशेष कुछ नहीं कहना है। सिर्फ 2-4 बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। गंगानगर के माननीय सदस्य ने एक बात कही कि वित्त मंत्री ने अपनी जिन्दगी में क्या सादगी बरती····

श्री केदारनाथ : पर्सनली नहीं। प्रधान मन्त्री की मैन्डेट है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने वित्त मन्त्री का नाम लिया, मेरी लाइफ के बारे में कहा है। मैं भी आपकी तरह धोती कुर्ता पहनता हूं। मैं कोई शो नहीं करता हूं और मेरी जिन्दगी में कोई दिखावा नजर आया हो तो बतायें। मैं क्या खाना खाता हूं यह देखना है तो मेहरबानी करके मेरे घर डिनर या लंच पर पधारकर देखें कि मैं किस तरह से जिन्दगी व्यतीत करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिष्ठान तो खाते हो ? एक ब्राह्मण को क्यों निमंत्रित करते हो ?

श्री चन्दनमल बैद : गंगानगर के माननीय सदस्य की कृपा है, आपने मुझे सलाह दी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ब्राह्मण पूज्य होते हैं और वह एक प्रोफेसर भी हैं तो मैं उनकी सलाह को जरूर मानूंगा और मुझे आशा है कि वह भी जो सलाह मुझे दे रहे हैं उस पर स्वयं अमल करने की कृपा करेंगे।

एक बात यहां माननीय सदस्य ने कही कि 60 प्रतिशत फंड्स सरकारी कर्मचारियों में जाते हैं, मुझे निवेदन करना है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 300 करोड़ का है, कैपीटल एक्सपेंडीचर 40 करोड़, कुल खर्चा 340 करोड़ उसमें से 50 करोड़ हमारा तनख्वाहों पर खर्च होता है याने करीब 15-16 प्रतिशत।

एक बात सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, हवामहल, सूरतगढ़ और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहीं। पिछली साल इस बात की बहुत शिकायत थी कि हमारे जो पुस्तक विक्रेता लोग हैं वे पाठ्य पुस्तकों के साथ में कुन्जियां बेचते हैं, कुन्जियों के बगैर पुस्तक नहीं बेचते हैं। इस साल हमने यह कदम उठाया, यह

(श्री चन्दनमल बैद)

घोषणा की थी कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं को ही नहीं दी जायेंगी, सीधे हमारे विद्यालयों को भी दी जायेंगी । इसका विरोध हुआ और पुस्तक विक्रेताओं ने हमारा विरोध किया भी, लेकिन सरकार अपनी नीति पर दृढ़ रही और विद्यालयों को पुस्तकें दीं । माननीय सदस्य मानते हैं और मान भी लिया गया है कि ब्लैक आम तौर पर बन्द हो गया है । मैं यह नही कहता कि बिल्कुल बन्द हो गया है, लेकिन काफी हद तक बन्द हो गया है । लेकिन कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने हमारी पुस्तकों की नकल करी और उसी तरह की पुस्तक बाजार में लाये, कई गड़बड़ियां करने की कोशिश कीं, कई माल प्रेक्टिस हुई । जैसा सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जमाखोरों और जखीरेबाजों ने कोशिश की । मैं समझता हूं कि विद्यालयों को पुस्तकें नहीं देते तो निश्चित रूप से इस साल बहुत बड़ी विषम स्थिति आती । मैं मानता हूं, 51 पुस्तकें नेशनेलाइज्ड बुक्स बोर्ड ने प्रकाशित की थीं, उनमें से 46 पुस्तकें सारी की सारी समय पर आ गई, पांच पुस्तकें ऐसी थीं, जो पूरी मात्रा में नहीं आईं, कम मात्रा में आईं, वह आधी आ गई थी, कुछ पचास हजार आईं, कुछ कम आईं । इन पाच पुस्तकों की कमी के कारण थोड़े बहुत पुस्तक विक्रेताओं ने हमारी पुस्तकों में कमी आने के कारण फायदा उठाने की कोशिश की, हमारे विरोध में प्रचार किया, अखबारों में लैटर टू एडीटर लिखे गये, कई बातें की गई । मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी तक जैसा हर साल हुआ करता था, किसी विद्यालय की तरफ से या विद्यार्थियों की तरफ से ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं आये हैं कि हमें पुस्तकें नहीं मिल रही हैं । मैं नहीं कहता हूं कि हमारे सारे के सारे जहां जहां डिपो हैं, वहां तेजी से, नियम से, कायदे से काम हो रहा है । हो सकता है, उनमें कमियां हों, सुधार करने की गुन्जाइश है तो उसमें और सुधार किया जा सकता है । मैं मानता हूं और निश्चित तौर से मानता हूं कि इस साल पाठ्य पुस्तकों की बिक्री में पिछले साल से बहुत सुधार जिस तरीके पर रहा है । पाठ्य पुस्तकों के वितरण का जहां तक सवाल है, इस साल 55 लाख पुस्तकें छपवानी थीं, उनमें से 51 लाख 73 हजार पुस्तकों को हम वितरित कर चुके हैं। इन 51 लाख 73 हजार पुस्तकों में से 18 लाख 75 हजार पुस्तकें विद्यालयों को दीं और 32 लाख 98 हजार पुस्तकें पुस्तक विक्रेताओं को दीं । इसलिए यह कहना कि हमारा रोजगार छीन लिया गया, हमें पुस्तकें नहीं मिलीं—यह गलत है। वह चाहते हैं कि सारी की सारी पुस्तकें हमारे हाथ में दे दी जायें जिससे कि जो नाजायज फायदा आज तक उठाते आये हैं, वह उठाते रहें । मैं मानता हूं कि विद्यालयों को जो 18 लाख 75 हजार पुस्तकें दीं, वह काफी नहीं हैं । मैं अगले साल इसे और बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए प्रोसीजर तय करना पड़ेगा । हम चाहते हैं, विद्यालय ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें लें और जो माल प्रेक्टिस होती है, पुस्तकों की नकल छपवाने की और पुस्तकों के साथ में, जिसको आप कुंजी कह रहे हैं, वह देने की, उस माल प्रेक्टिस को हम बन्द कर दें । पुस्तक की कीमत एक रुपया है तो कुंजी की कीमत पांच रुपये होती है, हम पुस्तकें छाप रहे हैं उनकी कीमत एक रुपया होती है, उनकी नकल

(श्री चन्दनमल बैद)

छाप ली, उसी तरह का कवर बना लिया और दो रुपये, ढाई रुपये में बेच दी। इसी तरह से जखीरेबाजी की माल प्रेक्टिस है, उसको सचमुच हमने काफी रोका है। अगले साल, मैं समझता हूं, और रोका जायगा। जो पांच पुस्तकें नहीं आयीं, तो जिन प्रकाशकों ने हमें समय पर देने में देरी की, काफी दीं, लेकिन पूरी नहीं दीं, उनकी कोशिश रही कि समय पर हमें मिल जायें तो फिर क्या कारण हो गया था ? कागज की कमी हो गई थी, बाढ़ आ गई जिसके कारण हमें यह सूचना मिली कि पुस्तकों की कमी है। यह कारण भी था, विद्यालयों में टीचर्स की हड़ताल रही, टीचर्स विद्यालय में आये नहीं, और हमारे पुस्तक विक्रेता इस बात का हल्ला करते रहे कि किताब नहीं आयीं लेकिन आज तक जिस तरह का अभाव हम देखते रहे हैं हमारी पुस्तकों के बारे में वह अभाव देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं किसी जगह पर यह अभाव हो सकता है। एक जगह पुस्तक नहीं पहुंच पाई हों, एक जगह पुस्तक विक्रेता ने दबा ली हों। यह इस तरह की बात नहीं हुई यह मैं नहीं कहता। लेकिन हम सारे राजस्थान के जो डिपो हैं उनको ठीक तरह से स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं ताकि काम दुरुस्त हो। जब शुरू शुरू में कोई काम किया जाता है तो कमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन आम तौर पर यह काम पुस्तकों का ठीक तरह से चले। मुझे भरोसा है कि अगले साल यह अच्छी तरह से चलेगा और बिल्कुल स्ट्रीम लाइन हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी वक्त हो, नशाबन्दी के बारे में जरूर कुछ न कुछ कहा जाता है। सरकार बार बार इसको स्पष्ट कर चुकी है कि हम नशाबन्दी के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। छः जिले और छः तहसीलें हैं जहां नशाबन्दी है। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं, वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम और ज्यादा जिलों में इस काम को हाथ में लें। बार बार आंकड़ों के साथ हर तरीके से गोकुल भाई भट्ट, जयप्रकाश नारायण, सुशीला नैयर और प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे इस काम को और आगे बढ़ा सकें। अगर भारत सरकार इस बारे में अखिल भारतीय नीति बना सकती है तो हमें राष्ट्रीय नीति के साथ आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत सरकार या केन्द्र के नेता यह चाहते हैं कि हम हमारे बलबूते पर इसे करें। इससे जो क्षति होती है, उस क्षति की पूर्ति वह करें, चाहें हमें ऋण देकर करें या वह पूरा करें। और भी नेता इस बारे में लगे हुए हैं कि नशाबन्दी हो वह आश्वासन जरूर देते हैं कि क्षति-पूर्ति करवा देंगे, लेकिन आज तक केन्द्रीय वित्त मंत्री की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है। जब तक केन्द्रीय वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री की ओर से आश्वासन नहीं मिल जाता कि नशाबन्दी के द्वारा जो भी क्षति होने वाली है, उसको भारत सरकार पूरा कर देगी, चाहे ऋण के द्वारा तो हमारे लिये यह सम्भव है, नहीं तो हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, चाहे हम इस सिद्धान्त में विश्वास करने वाले क्यों न हों। आज बारह करोड़, तेरह करोड़ साल का हम छोड़ दें, यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। इस वास्ते जो भी सदन में हम लोगों पर दबाव डालते हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो दबाव आप राजस्थान सरकार पर डाल रहे हैं, वह दबाव भारत सरकार पर डालें, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए

(श्री चन्दनमल बैद)
अच्छा होगा और शायद आपको भी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। हमने हमारी नीति स्पष्ट कर दी है कि हम नशाबन्दी....

श्री मोहनराज : आप ज्यादा सक्षम हैं, आप भारत सरकार पर दबाव डाल सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हम डाल सकते हैं, हम डाल रहे हैं। लेकिन मैं यह आपको नहीं कह रहा हूं, गोकुल भाई भट्ट, सुशीला नैयर दिल्ली में रह रहे हैं, उनकी ओर मेरा इशारा है। आप उनके साथ रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप उन्हें कहें।

यह भी कहा गया कि मैंने यह कहा था हम कुछ कदम उठा रहे हैं इकोनॉमी के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जब बजट पेश किया था, उस वक्त बहस हुई थी, तब मैंने विस्तार से बताया था कि कितनी इकोनॉमी की, किस किस तरह रेवेन्यू बढ़ाने के काम किये हैं, कितनी बकाया की वसूली की है और जो दस सूत्री कार्यक्रम बनाया था, वह सारी की सारी बातें मैंने बतलायी थीं। मैं समझता हूं कि इसको दोहराने में फायदा नहीं है। मैंने बताया था कि छठा वित्त आयोग बना है, उसके सामने हमने पूरा केस पूरी मजबूती के साथ रखा है। उसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर के आस पास आने वाली है। मुझे आशा है इस बात की कि हमारे साथ साथ दूसरे जो प्रान्त हैं, जिन पर बहुत बड़ा कर्जभार है, जिनका बजट भी घाटे का बजट है, उनकी तरफ छठे वित्त आयोग का ध्यान निश्चित रूप से जायगा। जिन प्रान्तों का बजट घाटे की तरफ चला जाता है और प्रगति के लिए, विकास के लिए, बजट में से पैसा नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए तरीके सुझायेगा उसके अनुसार तरीके निकाल पायेंगे। सारे देश में इकोनॉमी की घोषणा की गई, उनका असर उन प्रान्तों पर पड़ा जिनके रेवेन्यू बजट में सरप्लस नहीं है उन्होंने प्लान में कट किया और जिन प्रदेशों में सरप्लस हैं उन्होने प्लान में नहीं काटा। हमारे रेवेन्यू बजट में सरप्लस है नहीं, ज्यादा घाटा है, तो भारत सरकार ने जो कमी की, उतना हमें प्लान कट करना पड़ा। हम खुद चाहते हैं कि हमारे पर जो बहुत बड़ा कर्ज का भार है, उसके कारण से हर साल कर्ज चुकाने, ब्याज चुकाने में बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ती है। भारत सरकार को छठा वित्त आयोग निश्चित रूप से कोई न कोई बात सुझायेगा। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो कुछ भी मैंने निवेदन किया है उस पर राजस्थान सरकार पूरी तरह से अमल कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और हमने हमारा खर्चा बहुत ही सीमा में रखा है।

और आज जो भी मांगें पेश की जा रही हैं। उन अनुपूरक मांगों को रखने के भी कुछ कारण हैं। इसमें उड़नदस्तों की जीपों के खरीद के लिये धनराशि मांगी है। पिछले साल हमें चूंकि डी. जी. एस. डी. की रेट्स से जीपें मिलने की सम्भावना थी लेकिन मिली नहीं और बजट लेप्स हो गया। इस साल हमने उसका बजट में प्रावधान नहीं रखा। बाद में हमें जीपें मिल गई तो हमने उसे कान्टिनजेन्सी फण्ड में से पैसा दे दिया। इसलिये हमें इसके लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इसे रखना पड़ा। इसके अलावा कुछ मांगें ऐसी हैं और वह

(श्री चन्दनमल बैद)

मांगें उन स्कीम्स के लिए हैं जो कि सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड हैं या हाफ ए मिलियन जॉब के अन्तर्गत वाली स्कीम्स हैं। इसके अलावा कुछ धनराशि हमने एडवर्ड मिल के रिनोवेशन के लिए करीब साढ़े बारह लाख रुपये मांगे हैं। यह वहां के लिए मशीनों के खरीदने के लिये है ताकि वहां पर उत्पादन बढ़े तो मजदूरों को भी फायदा हो। इसमें राज्य सरकार के 49 प्रतिशत शेयर हैं और दूसरों के 51 प्रतिशत हैं। बाकी रुपया और जो लोग हैं उस मिल में वह भी लगावेंगे। तो यह कोई हम ही सिर्फ रुपया नहीं लगा रहे हैं। अगर मशीनें अच्छी आयेंगी और मिल का रिनोवेशन होगा तो मैं समझता हूं कि इससे ब्यावर के लोगों को जो उनमें काम करते हैं, राहत पहुंचेगी। उसके लिये ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे धन्यवाद देंगे, लेकिन मुझे अफसोस है उन्होंने भी इसके लिए कुछ नहीं कहा।

श्री केसरीमल : उसके लिये तो आपका स्वागत ही है।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद है, साहब मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मशीनों के रिनोवेशन वगैरह में अभी चाहे हमें खर्चा करना पड़े मगर वह मिल के मजदूरों के लिये उत्पादन बढ़ने से उनके भी पैसे बढ़ेंगे ही और उन्हें फायदा होगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य सरकार नशाबन्दी नहीं करे तब तक मांगे पास नहीं होनी चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6), विधेयक 1973 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11-10-73 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तनदन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बजकर, 12 मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 11 अक्टूबर, 1973 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

राजकीय कॉलेज दौसा

93. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय कॉलेज, दौसा में गत चार वर्षों से पी. यू. सी. के कितने सेक्शन थे, तथा वर्तमान में कितने सेक्शन हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजकीय कॉलेज, दौसा में गत चार वर्षों में पी. यू. सी. के सेक्शनों की संख्या:—

सत्र 1969-70	2
सत्र 1970-71	3
सत्र 1971-72	3
सत्र 1972-73	4

तथा इस सत्र 1973-74 में भी तीन सैक्शन हैं जो कि दौसा में केवल मात्र सैकेण्ड्री स्कूल होने के कारण पी. यू. सी. की कक्षायें चलाई जा रही हैं।

(2) पी. यू. सी. की कक्षाओं में वृद्धि विद्यार्थियों के दाखिले पर ही निर्भर करती है। यदि छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है तो नियमानुसार सेक्शनों में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करदी जाती है। यह सुविधा केवल दौसा में ही उपलब्ध है जो कि यहां पर हायर सैकण्ड्री स्कूल न खुलने तक के लिये है।

बांसवाड़ा जिले में अनाज का वितरण

94. **श्री विट्ठलभाई** (पीपलखूंट) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) बांसवाड़ा जिले की जन संख्या क्या है और इस वर्ष अकाल के कारण राज्य सरकार ने इस जिले में कितना टन अनाज अब तक दिया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने निर्धारित कोटे के अनुसार प्रति व्यक्ति माहवारी अनाज नहीं दिया ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 6,54,586 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची खाद्यान्न दिनांक 1-9-72 से अब तक जो प्राप्त हुआ एवं वितरण किया गया।

अंक मात्रा क्वि. में

क्र. सं.	माह	गेहूं	मक्का	ज्वार	माइलो	योग	जन संख्या	सत प्रति व्यक्ति प्रति मास	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सितम्बर	72	300	2100	—	—	2400 क्वि.	6,54,586	368 ग्राम	
2. अक्टूबर	72	1000	600	—	—	1600 ,,	,,	244 ,,	
3. नवम्बर	72	200	605	—	—	805 ,,	,,	122 ,,	
4. दिसम्बर	72	—	5031	—	—	5031 ,,	,,	770 ,,	
5. जनवरी	73	2990	7190	—	—	10180 ,,	,,	1 किलो 554 ग्राम	
6. फरवरी	73	4516	10371	—	—	14887 ,,	,,	2 किलो 273 ग्राम	
7. मार्च	73	5036	7001	—	—	12037 ,,	,,	1 किलो 838 ग्राम	
8. अप्रेल	73	3199	12226	—	1412	16837 ,,	,,	2 किलो 570 ग्राम	
9. मई	73	11288	371	4317	7500	23476 ,,	,,	3 किलो 584 ग्राम	
10. जून	73	9570	9989	960	1340	21859 ,,	,,	3 किलो 337 ग्राम	
11. जुलाई	73	11667	5460	3574	4580	25281 ,,	,,	3 किलो 860 ग्राम	
12. अगस्त	73	1083	2209	—	770	4062 ,,	,,	620 ग्राम	
13. सितम्बर	73	677	1960	—	4260	6897 ,,	,,	1 किलो 053 ग्राम	
		51,526	65,113	8,851	19,862	1,45,352 क्वि.	6,54,586	2 किलो 237 ग्राम	

हस्ताक्षर
जिलाधीश (रसद)
बांसवाड़ा।

जिला बांसवाड़ा को माह सितम्बर, 72 से सितम्बर, 73 तक निम्न प्रकार खाद्यान्न का आवंटन किया गया

नाम माह	मात्रा टनों में					
	गेहूं	मक्का	चना	ज्वार	माइलो	योग
सितम्बर, 72	—	—	—	—	—	—
अक्टूबर, 72	200	500	—	—	—	700
नवम्बर, 72	100	—	—	—	—	100
दिसम्बर, 72	100	1200	—	—	—	1300
जनवरी, 73	350	700	—	—	—	1050
फरवरी, 73	400	600	—	—	400	1400
मार्च, 73	500	520	—	—	800	1820
अप्रेल, 73	629	—	100	100	1170	1999
मई, 73	1000	—	—	—	1500	2500
जून, 73	1500	—	—	—	1500	3000
जुलाई, 73	1300	—	—	250	1150	2700
अगस्त, 73	800	—	—	—	1000	1800
सितम्बर, 73	500	—	—	—	700	1200
योग	7,379	3,520	100	350	8,220	19,569

कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री

95. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(3) क्या सरकार सहकारिता के आधार पर सीमेन्ट फैक्ट्री लगाए जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। एक आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मैसर्स नन्द वनस्पति, इन्दौर द्वारा बिक्री कर की चोरी

96. **श्री जयनारायण रोत** (लसाड़िया) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970 में मैसर्स नन्द वनस्पति, इन्दौर से राजस्थान में डालडा लाकर बेचा गया और बिक्री कर की चोरी की गई ? यदि हां, तो इस केस में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि माल निम्बाहेड़ा और झालावाड़ में और वाणिज्य कर विभाग की चैक पोस्टों से होकर राजस्थान में लाया गया था ? यदि हां, तो उस समय उन चैक पोस्टों के अधिकारियों ने बिक्रीकर वसूल क्यों नहीं किया ? क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। बिक्री कर अधिनियमों के अन्तर्गत संबन्धित व्यापारियों का कर निर्धारण कर दिया गया है और Revenue Recovery Act के अन्तर्गत बकाया वसूली की कार्यवाही चल रही है।

(2) कुछ माल चित्तौड़ जिले में स्थित निम्बाहेड़ा व झालावाड़ जिले में स्थित रायपुर व पाटन चैक पोस्टों से लाना पाया गया। यह सही है कि चैक पोस्ट पर टैक्स की वसूली नहीं हुई। इस सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच हो रही है और इस जांच के पूर्ण होने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी।

पाली नगरपालिका के सदस्य के विरुद्ध मामला

97. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना पाली में नगरपालिका के एक सदस्य श्री मन्नाराम के विरुद्ध धारा 409, 406 का मुकदमा नगरपालिका बोर्ड ने दर्ज करवाया है ? यदि हां, तो यह मुकद्दमा कब दर्ज हुआ और उस पर क्या क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

(2) इस मुकदमे का चालान अभी तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? और अब कब तक चालान पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 22-7-73 को मु. नं. 93, धारा 420/409 ता. हि. के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर अब तक मुस्तगीस व अन्य सात गवाहान के बयान लिये जा चुके हैं।

(2) मुकदमे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सका है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

जयपुर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

98. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितनी ऐसी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें हैं जहां से अढ़ाई प्रतिशत अग्रिम अंशदान जमा कराने के पश्चात् भी वहां अभी तक कुछ भी कार्य चालू नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी योजनाओं में अधिकांश लालसोट तहसील की हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब कब तक उक्त योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल ऐसे 21 ग्रामों की जन सहयोग के रूप में धनराशि जमा है जहां पर अभी तक जल प्रदाय योजनाएं चालू नहीं की हैं।

(2) जी नहीं, इनमें से केवल 3 ग्राम, डीडवाना, मण्डावरी एवं रामगढ़ पचवाड़ा तहसील लालसोट में हैं। उक्त तीन योजनाओं में से ग्राम मंडावरी व ग्रामीण डीडवाना की जल प्रदाय योजना बनाई जा चुकी हैं व उनकी तकनीकी जांच की जा रही है, धन की उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्रामीण जल योजना की सूची

क्रमांक	नाम योजना	2½% रकम जमा	प्राप्त तिथि	जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत
1.	हनतपुरा	2500.00	24-8-71	—
2.	करेरी	3100.00	13-10-71	—
3.	डीडवाना त. लालसोट	4500.00	12-7-72	1.86 लाख
4.	मण्डावरी त. लालसोट	2920.00	8-9-72	1.18 लाख
5.	कोट खावदा	2500.00	21-9-72	2.06 लाख
6.	खवारानीजी	2500.00	26-9-72	1.65 लाख
7.	हरसोली	2500.00	11-12-72	—
8.	सैंथल	2500.00	23-1-73	1.55 लाख
9.	जमवारामगढ़	2500.00	23-1-73	—
10.	साधुन	4500.00	5-2-73	1.95 लाख
11.	कूडल	2500.00	13-3-73	—
12.	वाटिका	4600.00	13-3-73	1.84 लाख
13.	दूदू	8337.50	30-3-73	3.33 लाख
14.	शिवदासपुरा	2000.00	1-3-73	1.67 लाख
15.	रायसर	2500.00	22-3-73	—
16.	धोली	2500.00	23-3-73	—
17.	रामगढ़ पचवाड़ा तहसील लालसोट	2500.00	3-4-73	—
18.	जाहोता	2500.00	20-4-73	—
19.	हरतेड़ा	2500.00	19-5-73	—
20.	दान्तल	2500.00	13-6-73	—
21.	धामोद	2500.00	14-9-73	—

बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाके में अध्यापकों की नियुक्तियां

99. **श्री मोहनराज (बाली) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाके की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के न होने से पिछले कुछ वर्षों से ये स्कूलें बन्द पड़ी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आदिवासी गरासिया जाति के कतिपय युवक जो सैकेन्ड्री व हायर सकेन्ड्री पास हैं तथा ग्रेज्युयेट हैं पर बेकार हैं और इन्हीं लोगों को इस क्षेत्र की स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किया जाय तो ये बन्द पड़ी स्कूलें पुनः चालू हो सकती हैं क्योंकि बाहरी क्षेत्र के ट्रेन्ड अध्यापक नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद या तो नौकरी छोड़ देते हैं या अन्यत्र चले जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक स्मरण-पत्र मुख्य मंत्री व शिक्षा विभाग के निदेशक को दिया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिये थे कि ऐसी स्कूलों के लिये अनट्रेन्ड पर अन्य तौर पर क्वालीफाइड शिक्षित आदिवासी युवकों को अध्यापक नियुक्त किया जाकर आदिवासी बच्चों की शिक्षा का इन्तजाम किया जाय ? शिक्षा विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

(स्थगित किया गया)

कृषकों को बीज व खाद का वितरण

100. **श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लगातार सूखा पड़ने से राज्य के किसानों के पास आने वाली रबी की फसल के लिए एक दाना भी बीज नहीं है और राज्य में तीन साल पश्चात् अच्छी वर्षा हुई है तथा किसानों की अकाल के कारण बीज खरीदने की आर्थिक क्षमता भी खत्म हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने बीज का क्या प्रबन्ध किया है ? क्या सरकार किसानों को बीज व खाद उधार देगी ? यदि हां, तो कब तक बीज व खाद का प्रबन्ध हो जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में लगातार सूखे की स्थिति से किसानों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आगामी रबी की फसल तक किसानों के पुराने बकाया ऋणों की वसूली स्थगित करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रबी की फसल के लिए अधिक वर्षा व बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चने की उधार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। काश्तकारों को बीज बुआई से पूर्व ही पहुंचाने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खाद उधार देने का प्रावधान नहीं है। समय पर उर्वरक वितरण की सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झालावाड़ शहर में गुण्डागर्दी

101. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ शहर में गुण्डागर्दी बहुत बढ़ गई है और इस संबंध में राज्य गृह मंत्री को भी पत्र द्वारा निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन शहर में सट्टे का कार्य चरम सीमा पर पहुँच गया है जिसे रोकने में पुलिस विभाग असमर्थ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माननीय सदस्य द्वारा समय समय पर दिये गये पत्रों को सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है जिसकी सूचना माननीय सदस्य महोदय को भी दी गई है। गुण्डागर्दी की रोक-थाम के लिये धारा 110 जा. फो. के तहत दो, मुकदमात, धारा 109 जा. फो. के तहत 8 मुकदमात और धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत 13 मुकदमात का चालान किया गया है।

(2) सट्टे के अपराध की रोक-थाम हेतु स्थानीय पुलिस सक्रीय है तथा इस वर्ष सट्टा एक्ट के तहत 8 मुकदमात का चालान किया गया।

पंचायतों के चुनाव

102. श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के वार्ड जनगणना, 1951 के आधार पर बने हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि आगामी पंचायत चुनावों के लिये उसी जनगणना के आधार पर वार्ड दुरुस्त करके नवीन किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो 21 वर्ष पूर्व की जनगणना पर आधारित उक्त वार्ड क्या न्याय संगत है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार जनगणना, 1971 के आधार पर वार्ड तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वर्तमान नियमों के अनुसार अधिक से अधिक 15 पंचों के स्थान पर बढ़ी हुई जनसंख्या का आधार मानकर पंचायत में अधिक जन-प्रतिनिधित्व के लिये अधिक वार्डों की व्यवस्था करेगी ?

(5) यदि नहीं, तो अनेक पंचायतों में जहां निर्धारित जनसंख्या से अधिक जनसंख्या हो गई है, वर्तमान वार्डों में संशोधन न कर वर्तमान वार्ड ही कायम रखना जनप्रतिनिधित्व की भावना को क्या ठेस पहुँचाना नहीं है।

(स्थगित किया गया)

चित्तौड़गढ़-सब डिविजन में चीनी का वितरण

103. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौडगढ़ सब-डिवीजन में मई, जून और जुलाई, 1973 में प्रत्येक माहवार वितरण हेतु कितनी कितनी चीनी आई ?

(श्री हरलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के. एस. डी. ओ. की पोस्ट खाली रहने से चीनी का वितरण कार्य स्थानीय तहसीलदार ने किया ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने चीनी अलॉटमेन्ट में काफी पक्षपात किया है ? यदि हां, तो नगरपालिका एरिया और ग्राम पंचायतों में कितनी कितनी चीनी कहां कहां अलॉट की गई ? माहवार अलग अलग आंकड़े बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों की चीनी प्रतापगढ़ शहर के रहने वाले डीलरों को दे रखी है ? यदि हां, तो क्यों और कहां कहां की तथा क्या वह चीनी उन ग्रामों में वितरित की गई है और क्या तहसीलदार का ऐसा करना उचित था ?

(5) क्या यह सही है कि रक्षाबन्धन के पहले कुछ जगह चीनी अलॉट की और कुछ जगह नहीं की तथा कहीं ज्यादा कहीं कम ? यदि हां, तो इस प्रकार अलॉट करने का क्या कारण था ?

(6) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तीन माह के समय में कुछ डीलरों को बदला भी है ? यदि हां, तो क्या उनका लाइसेन्स केन्सिल किया गया है ? यदि हां, तो कितनों का ?

उत्तर

(1) मई, 73 में.........3537 क्वि.
जून, 73 में........3537 क्वि.
जुलाई, 73 में... ....3440 क्वि.

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वितरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(4) माह जुलाई 170 बोरी का वैगन समय पर नहीं आने से कुछ पंचायत रह गईं। 170 बोरी जिलाधीश के आदेश पर 30-8-73 को ही उठानी थी क्योंकि 31-8-73 को बैंक होलीडे था। इसलिये यह बोरियां उठाकर मूसलधार वर्षा के कारण प्रतापगढ़ में वितरित कराई गईं।

(5) जी नहीं। आन्तरिक क्षेत्र में वर्षा के कारण कच्चे रास्ते से चीनी नहीं जा सकती थी। डीलर्स चीनी लेने नहीं आने से कुछ स्थानों पर चीनी नहीं पहुंची।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मनोहरथाना पेयजल योजना

104. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील अकलेरा क्षेत्र में कस्बा मनोहरथाना की पेयजल योजना कब से चालू हुई और तब से अब तक तकनीकी खराबी के कारण कब कब और कितने दिनों तक बन्द रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के टैंक का निर्माण अनभिज्ञ निर्माता द्वारा कराने से टैंक क्रेक हो गया है जिसके कारण नागरिकों को समय पर जल वितरण में कठिनाई होती है तथा अब भी वही क्रेकशुदा टैंक है जिसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है ?

Page No 136

(श्री भैरूलाल)

(3) क्या यह सही है कि तकनीकी जांच के बाद यहां सही टैंक लगाये जाने की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त भी दूसरा टैंक नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अब शीघ्र ही सही टैंक लगाकर जनता की कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) तहसील अकलेरा क्षेत्र में कस्बा मनोहरथाना की पेयजल योजना जुलाई, 69 से चालू हुई और तब से अब तक तकनीकी खराबी के कारण जिन दिनों बन्द रही, उसकी सूची संलग्न है।

(2) योजना के टैंक का निर्माण पंजीकृत ठेकेदार (सीवलास) द्वारा कराया गया था। सन् 1967 में भारी वर्षा होने के कारण मिट्टी में शिकेज से टैंक के एक खम्भ को फाउन्डेशन के अनइक्वल-सेटलमेन्ट के के कारण दीवार, छत व फर्श में जनवरी, 1969 में क्रेक पैदा हुये थे। जिनकी मरम्मत मार्च, 69 में कराई गई। पुनः दो खम्भों में जून, 71 में क्रेक पैदा हो गये थे जिसकी मरम्मत कर टैंक काम में लाया जा रहा है।

(3) अभी तक दूसरा टैंक बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। मनोहरथाना की पुनर्गठन योजना बनाई जा रही है जिसमें आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जावेगा।

क्रमांक	अवधि बन्द रही	दिनों की सं.	योजना के कारण
1	2	3	4
1.	14-5-70 से 16-5-70	3	रास्ता बन्द होने के कारण इकलेरा से मनोहरथाना डीजल नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि बस ड्राइवर ने मना कर दिया।
2.	3-7-70	1	बाढ़ के कारण इंजन नहीं चलाया जा सका।
3.	10-7-70 से 11-7-70	2	सेक्शन पाइप बाढ़ के कारण टूट गया उसे सुधारा गया।
4.	1-8-70 से 15-9-70	46	सरपंच द्वारा बकाया रकम जमा नहीं कराने के कारण स्कीम बन्द रही।
5.	28-9-70 से 2-5-70	5	इंजन का लाईनर खराब होने के कारण नया बदला गया।
6.	1-11-70 से 3-11-70	3	इकलेरा पेट्रोल पम्प पर डीजल नहीं होने के कारण बन्द रही।

1	2	3	4
7.	6-11-70 से 16-11-70	11	कुओं में पानी की सतह नीचे चले जाने के कारण इंजन नहीं चलाये गये।
8.	21-11-70 से 24-11-70	4	नदी पर इंजन लगाने के कारण।
9.	19-12-70 से 25-12-70	7	टैंक के पिलर में क्रेक आ जाने के कारण।
10.	1-1-71 से 2-1-71	2	इंजन को नदी पर ले जाया गया व सुधारा गया।
11.	3-1-71 से 4-1-71	2	बस ड्राइवर के डीजल इकलेरा से मनोहरथाना नहीं ले जाने के कारण।
12.	11-1-71 से 20-1-71	10	फेन बैल्ट नहीं मिलने के कारण इंजन नहीं चलाये गये, कोटा बाजार में भी उपलब्ध नहीं थी।
13.	26-1-71 से 15-2-71	21	चुनाव के कारण डीजल उपलब्ध नहीं हो सका।
14.	6-3-71 से 26-4-71	52	सरपंच द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराने के कारण व इंजन ठीक करने बाबत।
15.	30-6-71 से 5-8-71	37	टैंक में क्रेक आ जाने के कारण व पिलर गिर जाने के कारण।
16.	17-5-73 से 18-5-73	2	फेन बैल्ट टूट जाने के कारण इंजन नहीं चलाये जा सके व इंजनों को सुधारा गया।
17.	4-6-73 से 8-6-73	5	इंजनों को सुधारने के कारण।
18.	24-7-73 से 1-8-73	9	बाढ़ के कारण सेक्शन लाइन टूट गई व इंजनों में पानी आ जाने से उनमें खराबी हो गई व इंजन सुधारे गये।
19.	9-9-73 से 14-9-73	6	नदियों में पानी बन्द हो जाने से व रास्ते बन्द हो जाने के कारण डीजल नहीं पहुंच सका व इंजन में पानी आ जाने से इंजन खराब हो जाने व इंजनों को सुधारा गया।

Page No 138

शास्त्री सदन छात्रावास, सांचोर को अनुदान

105. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचोर, जिला जालोर में "शास्त्री सदन" अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावास चल रहा है, अगर हां, तो कब से तथा उसको सालाना कितना अनुदान दिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास को अनुदान की धनराशि काफी महीनों से नहीं दी जा रही है ? अगर हां, तो क्यों व कितने महीनों से ? यह धनराशि कब तक दिला दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास की केश बुक आदि कागजात समाज कल्याण अधिकारी, सिरोही के पास पड़े हुए हैं ? अगर हां, तो कब से एवं क्यों ? तथा अब ये कागजात छात्रावास का हिसाब दर्ज करने हेतु कब तक भेज दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। यह छात्रावास दिसम्बर, 1968 से चल रहा है। इसे प्रति छात्र प्रति माह निम्न दर से वर्ष में 10 माह के लिये अनुदान स्वीकृत किया जाता है:—

कक्षा	दर प्रति छात्र प्रति माह
6 से 8 तक	55) रु.
9 से 11 तक	60) रु.

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिलाधीश, सवाई माधोपुर के विरुद्ध शिकायतें

106. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश, सवाई माधोपुर श्री हरिशचन्द्र पाण्डे अब तक कहां कहां एवं किस पोस्ट पर रहे तथा उनके खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उन्हें जांच के पूर्व निलम्बित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) श्री हरिश्चन्द्र पाण्डे, आई. ए. एस., जिलाधीश, सवाई माधोपुर अब तक जिन पदों पर रहे, उसकी सूची संलग्न है। श्री पाण्डे के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर जो कार्यवाही की गई उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले के गांवों में पानी की समस्या

107. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के नरसाली नाड़ी (ग्राम कोलू) बायतू

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चिमनजी ग्राम का हेमजी का तला, बायतू भोपजी के मादासर तला एवं जोगासर तला की वस्तियों, सोमेसरा, भोजासर से बिनियाली बोड़वा एवं ग्रामों में जल कष्ट की समस्या भयंकर रूप धारण किये हुए है ?

(2) क्या जन स्वास्थ्य विभाग उक्त ग्रामों एवं वस्तियों को पानी पहुंचाने के लिये ग्राम भीमड़ा में नया ट्यूब वैल खुदवा कर भीमड़ा नौसर ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का जल्दी से जल्दी सर्वे एवं स्वीकृति कराकर सन् 1973-74 में कार्य शुरू करने के लिये कदम उठाने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इन ग्रामों व बस्तियों को पानी पहुंचाने की योजना बनाने हेतु विस्तृत सर्वे करवाना होगा। योजना बनाने के उपरान्त धन की उपलब्धि के अनुसार योजना की स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

रेवदर चुनाव क्षेत्र में अतिवृष्टि से क्षति

108. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले के रेवदर चुनाव क्षेत्र में इस वर्ष अतिवृष्टि व नदी की बाढ़ से कितने परिवारों के मकान गिरे तथा उन्हें क्या सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि की अवस्था में भी सिरोही के जिलाधीश, सिरोही जिले से बाहर थे इसलिये ग्राम लोगों को विशेषकर रेवदर तहसील में पिछड़े वर्ग को अनाज के बिना भूखा मरना पड़ा और कई दिनों तक राशन व केरोसिन तेल की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण जनता में असन्तोष बढ़ा ? यदि हां, तो जिलाधीश के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले के रेवदर चुनाव क्षेत्र में इस वर्ष अतिवृष्टि से 167 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए एवं 3,996 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। नदी की बाढ़ से इस क्षेत्र में एक भी मकान नहीं गिरा है। जहां तक क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को सहायता देने का संबन्ध है राज्य सरकार की नीति यह है कि केवल बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले मकान मालिकों को ही सहायता दी जाती है।

(2) यह सही नहीं है। जिलाधीश, सिरोही सरकारी कार्य से दिनांक 27-8-73 को जयपुर आये थे एवं दिनांक 31-8-73 की शाम को जयपुर से वापिस रवाना हुए। परन्तु दिनांक 31-8-73 और 1-9-73 को बहुत अधिक वृष्टि हो जाने के कारण अजमेर से आगे का रेल और सड़क मार्ग बन्द हो गया। इस कारण उन्हें रास्ते में रुकना पड़ा। दिनांक 3-9-73 को वे रिलीफ ट्रेन एवं रेल्वे इंजिन के द्वारा यात्रा करके सिरोही जिले में पहुंच गये थे। जहां तक राज्य सरकार के द्वारा आवंटित खाद्यान्न का संबन्ध है उसका वितरण जिला-

(अकाल सहायता मन्त्री)

धीश की अनुपस्थिति में होता रहा। ऐसी दशा में किसी के भूख से मरने का प्रश्न पैदा नहीं होता। केरोसिन जितना उपलब्ध था उसके वितरण की व्यवस्था कर दी गई थी। इस मामले में जिलाधीश के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जिलाधीश, अलवर के विरुद्ध शिकायत की जांच

109. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक पुलिस अधिकारी ने कलेक्टर, अलवर श्री प्रकाश चन्द्र के खिलाफ लिखित में सतर्कता आयुक्त को शिकायत की दरख्वास्त पेश की और उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी दी गई ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त शिकायत जांच से गलत पाई गई ? यदि हां, तो शिकायत करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्बन्धित शिकायत सतर्कता आयोग कार्यालय में दिनांक 7-4-73 को एवम् मुख्य सचिव कार्यालय में दिनांक 8-4-73 को प्राप्त हुई।

सतर्कता आयोग द्वारा श्री रामदान बारेठ, सी. आई. जिन्होंने यह शिकायत प्रस्तुत की थी, से उनके परिवाद की पुष्टी में शपथ-पत्र पूर्ण तथ्यों सहित प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है जिसका उत्तर श्री बारेठ से आना शेष है।

चूंकि शिकायत मूल रूप में अध्यक्ष, सतर्कता आयोग को सम्बोधित थी अतः राज्य सरकार ने दिनांक 25-6-73 को सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही से सूचित करने हेतु निवेदन किया।

चूंकि वांछित शपथ-पत्र श्री बारेठ से आयोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः उसके अभाव में जांच की कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति

110. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1973-74 के अकाल के दौरान कितने स्किल्ड कर्मचारियों की नियुक्ति की गई ? कृपया सूची विभाग-वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को राज्य सरकार ने एब्जोर्ब करने का निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय से सब अकाल कार्य बन्द हो जाने के फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को अब पद से हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ?

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(4) क्या यह सही है कि कई कर्मचारियों को एब्जोर्ब भी कर लिया है ? यदि हां, तो क्या आधार रखा गया है और शेष का क्या होगा ?

(स्थगित किया गया।)

राज्य के अधिकारियों को दिये गये ऋण

111. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनको राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में 20,000 रु. से अधिक का कर्जा दिया है ? उनके नाम व वर्तमान पद बताने का कष्ट करें।

(2) (अ) भारतीय प्रशासनिक सेवाओं एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के पृथक् 2 कितने अधिकारियों ने गत 5 वर्षों में कुल निर्धारित राशि का कितना प्रतिशत कर्ज निम्न कार्यों के लिये लिया है:—

(1) मकान बनाने के लिए (2) नयी या पुरानी कार खरीदने के लिए (3) मकान में सुधार या मरम्मत के लिए।

(ब) उपरोक्त तीनों मदों में राज्य सरकार ने गत 5 वर्षों में कितनी धनराशि का प्रावधान किया था ?

(3) गत 5 वर्षों में एक से अधिक बार और कितनी बार कितने आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारियों ने निम्न कार्यों के लिए कर्ज लिया है :—

(1) मकान बनाने के लिए (2) नयी या पुरानी कार खरीदने के लिए (3) मकान में सुधार एवं मरम्मत के लिए।

(4) ऐसे आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस अधिकारीयों के नाम क्या हैं जिन्हें कर्ज की किस्त चुकाने के पश्चात् वेतन प्राप्ति के दिन कुल वेतन की मद का:—

(1) एक चौथाई से कम रकम वेतन में मिलती है ?

(2) आधी से कम रकम वेतन में मिलती है ?

(5) उक्त अधिकारियों के पृथक् पृथक् वेतन व पद क्या हैं ? अधिकारियों ने पृथक् आय कर के वार्षिक कागजातों में इन पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या कितनी कितनी लिखाई है ?

(6) ऐसे अधिकारियों के नाम व पते बताने का कष्ट करें, जिन्होंने कर्ज की प्राप्ति अथवा वापसी में नियमों का उल्लंघन किया है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

जिला श्री गंगानगर में तहसीलवार रबी फसल बोने की सम्भावना सन् 1973–74 (हैक्टर में)

क्रमांक	तहसील का नाम	गेहूं सिंचित मेक्सीकन किस्म	गेहूं सिंचित दूसरी किस्म	कुल असिंचित	कुल रकवा	जौ सिंचित	जौ असिंचित	योग
1.	श्री गंगानगर	16,000	9,000	200	25,200	500	500	1,000
2.	करणपुर	14,000	2,000	2,000	18,000	800	2,200	3,000
3.	पदमपुर	12,000	2,000	6500	20,500	200	1,800	2,000
4.	रायसिंह नगर	13,000	2,000	6,000	21,000	500	5,500	6,000
5.	अनुपगढ़	5,000	11,000	800	16,800	400	1,600	2,000
6.	सूरतगढ़	10,000	11,000	4,500	25,500	500	4,000	4,500
7.	हनुमानगढ़	10,000	11,000	1,500	22,500	200	1,800	2,000
8.	सादुल शहर	8,000	3,000	5,000	16,000	200	800	1,000
9.	सांगरिया	9,000	2,000	500	11,500	200	800	1,000
10.	टीबी	9,000	6,000	500	15,500	100	400	500
11.	नोहर	5,000	2,000	12,000	19,000	200	14,800	15,000
12.	भादरा	4,000	1,000	500	5,500	200	1,800	2,000
	योग:—	1,15,000	63,000	40,000	2,18,000	4,000	36,000	40,000

जिला श्रीगंगानगर तहसीलवार रबी फसल बोने की सम्भावना
सन् 1973-74 (हेक्टर में)

क्रमांक	तहसील का नाम	चना सिंचित	चना असिंचित	योग	तिलहन (सिंचित)
1.	श्रीगंगानगर	3,000	3,000	6,000	3,500
2.	करणपुर	1,500	1,000	2,500	2,000
3.	पदमपुर	3,500	6,000	9,500	2,500
4.	रायसिंहनगर	8,000	5,000	13,000	4,000
5.	अनुपगढ़	10,000	5,000	15,000	50,000
6.	सूरतगढ़	30,000	30,000	60,000	4,000
7.	हनुमानगढ़	25,000	30,000	55,000	2,000
8.	सादूल शहर	5,000	20,000	25,000	3,000
9.	सांगरिया	9,000	25,000	34,000	2,500
10.	टीबी	15,000	20,000	35,000	1,000
11.	भादरा	4,000	1,00,000	1,04,000	500
12.	नोहर	15,000	1,00,000	1,15,000	1,000
	योग....	1,29,000	3,45,000	3,74,000	76,000

परिशिष्ट 'ब'

तहसीलवार रसायनिक खाद की आवश्यकता रबी 1973-74

क्रमांक	जिले का नाम	रेल्वे स्टेशन का नाम	एन.	पी.	के.
1.	श्रीगंगानगर	गंगानगर (गंगानगर और पदमपुर)	2,000	500	250
		करणपुर	800	200	100
		केसरीसिंहपुर	800	200	100
		रायसिंहनगर	700	150	75
		गजसिंहपुर	700	150	75
		योग....	5,000	1,200	600
2.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	800	200	100
		सांगरिया	800	200	100
		सादुलशहर	600	175	87.50
		टीबी	600	175	87.50
		नोहर	100	25	12.50
		भादरा	100	25	12.50
		योग....	3,000	800	400
3.	अनूपगढ़	अनूपगढ़	250	80	15
		रायसिंहनगर	200	60	05
		विजयनगर	300	100	15
		जैतसर	250	60	15
		योग....	1,000	300	50
4.	सूरतगढ़	सूरतगढ़	400	70	20
		पीलीबंगा	925	130	30
		रावतसर	....	....	....
		योग....	1,325	200	50

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची)

क्लोजली कनैक्टेड ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता

(लाख रुपये)

कम्पनी का नाम	स्वीकृत सहायता			
	टर्म लोन		डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टी	
	स्वीकृति की तिथि	राशि	स्वीकृति की तिथि	राशि
1	2		3	
1. आलोक उद्योग :				
1. मैसर्स जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर।	2-9-67	20.00	15-9-69	50.00
2. मैसर्स साहू मिनरल्स एण्ड प्रॉपरटीज लि., किशनगढ़।	21-1-71	20.00		
2. साहू जैन ग्रुप :				
1. मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लि., डालमिया नगर।	7-6-69	20.00	7-6-69	50.00
3. बांगड़ ग्रुप :				
1. मैसर्स श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज लि., कोटा।				
(i) ऋण	15-6-61	10.00		
(ii) ऋण	13-11-62	11.00		
(iii) ऋण	22-2-65	3.00		
(iv) ऋण	7-12-65	2.00		
(v) ऋण	6-12-69	8.64	6-12-69	10.00

1		2	3	
4. जाजू ग्रुप :				
1. मैसर्स असम रोलर फ्लोर मिल्स, जयपुर।				
(i) ऋण	5-11-60	3.12		
(ii) ऋण	24-3-65	3.00		
2. मैसर्स प्रीमियर वेजिटेबिल प्रॉडक्टस लि., जयपुर।				
(i) ऋण	21-7-69	15.00		
(ii) ऋण	16-12-69	5.00	16-12-69	10.00
3. मैसर्स जयपुर ऑयल प्रॉडक्टस (प्रा.) लि., जयपुर।				
(i) ऋण	10-9-68	10.00		
(ii) ऋण	29-8-72	2.30	29-8-72	1.85
4. मैसर्स न्यू एज राइस मिल्स, हनुमानगढ़।	8-8-70	4.59		

राजस्थान वित्त निगम द्वारा स्वीकृत एवं दी गई डेफर्ड पेमेन्ट गारन्टीज का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	गारन्टी स्वीकृत रुपये	गारन्टी दी गई रुपये
1.	रोहतास इन्डस्ट्रीज लि., डालमिया नगर	50,00,000	2,98.480.00 3,00,000.00 40,48,885.00
2.	जयपुर उद्योग लि., सवाई माधोपुर	50,00,000	—
3.	प्रीमियर वेजिटेबल प्रॉडक्टस लि, जयपुर	10,00,000	1,14,191.00 1,92,900.00
4.	श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज, कोटा	10,00,000	3,97,578.91 2,45,281.00 3,10,566.00
5.	जयपुर ऑयल प्रॉडक्टस प्रा. लि, जयपुर	1,85,000	1,17,246.96 54,084.39

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों के नाम	जनसंख्या सन् 1961 की जन-गणना के अनुसार	लागत रु. लाखों में	जल श्रोत	विशे विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नीमला सुरा जयदेव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	1. सोनरी	316			
		2. सुरा	909			
		3. बिसाला	2729			
		4. सोऊ	375			
		5. नान्द	1228			
		6. दुधाबाड़ी	212	28.82	नीमला	
		7. केरवा	221			
		8. बासरा	296			
		9. कनेरा	278			
		10. लेबरऊ	67			
		11. मातवा	180			
		12. जयदेव	527			
		13. चोसिया	91			
		14. इन्दोरी	523			
		15. सिवानी	1233			
			9195			

1	2	3	4	5	6	7
2.	बामनोर पम्प एवं टैंक योजना	1. बामनोर अमीरशाह 2. भरवईशाह	1241 1494 2735	2.03	स्थानीय कुआ	
3.	संशोधित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सिनवाना, गिरा, नाल			11.48	राज का कुआ	
4.	विसारनिया पम्प एवं टैंक योजया	—	3113	1.664	स्थानीय कुआ	
5.	संशोधित जल प्रदाय योजना मोहलिया, रामिया	1. मोहलिया 2. रामिया 3. मोकलसर	352 1350 4892 6594	6.06	रामिया में मौजूदा नलकूप	
6.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना पार, गोलियाट, देख, दाखों का एक्सटेन्शन	दाखों	1970	2.69	स्थानीय कुआ	
7.	लीसर पम्प एवं टैंक योजना	लीसर	2433	20.09	स्थानीय कुआ	

1	2	3	4	5	6	7
8.	ग्रामीण जल प्रयाय योजना असदू, टेमा, नकोड़ा एक्सटेन्शन ऑफ	1. नकोड़ा	410			
		2. कितपाला	540			
		3. बारिया	1043			
		4. मेन्दापुर	195			
		5. कालरी	583			
		6. सिमली	313	12.06	असोतरा में नलकूप	
		7. सिमालिया	227			
		8. वानवा	145			
			3456			
9.	ग्रामीण, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	1. बाड़मेर	484			
		2. मेंगला	421	1.50	बामसीण का कुआ	
			905			
10.	पारलू, उमरलाई, गरसई, अबोड़ा एक्सटेन्शन ऑफ	1. कुरी	684			
		2. पराऊ	366	5.6	पारल में एक मौजूदा कुआ एवं प्रस्तावित नलकूप	
		3. गारसी का बेरा	166			
			1216			

1	2	3	4	5	6	7
11.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कावांमा बेरा मन्जल	1. रिगाटी	64			
		2. कामा का बेरा	598			
		3. लालिया	212			
		4. मानीज़ाल	2018	6.66	कावा मा बेरा	
			2892			
12.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सजीतरा ब्लाक	1. नागोरडा	274			
		2. सजीतरा	786			
		3. पासोल	478	10.41	दो नलकूप	
		4. बरारा	179		(1) एक मौजूदा एवं एक	
		5. ब्लाक	1525		(2) प्रस्तावित सजीतरा में	
			3242			
13.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गड़रारोड जैसलमेर	1. बन्दासर	770			
		2. तामलोर	448	9.5	दो प्रस्तावित नलकूप	
		3. माकन का गांव	64			
		4. लीमला	83			
		5. जयसिन्दर	3447			
			4812			

1	2	3	4	5	6	7
14.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मियार मखाब	1. मोखाब कलां	—			
		2. मखाब खुर्द	—	3.50	मीयार का मौजूदा नलकूप	
15.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना डीमड़ी मालानी	1. धीमरी	191			
		2. अलूरा	569			
		3. गुड़ा मालानी	4297			
			5057	13.00	धीमडी में तीन प्रस्तावित नलकूप	
16.	बाड़मेर पुर्नगठित जल प्रदाय योजना	—	27600			

नोटः—कालम संख्या 4 में सन् 1961 की ही जनसंख्या दी जा रही है क्योंकि सन् 1971 की जनसंख्या जनगणना विभाग ने अभी तक दी नहीं है।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
12	अन्तिम से 16	गमानमल	गुमानमल
22	अन्तिम से 3	रहैं	रहे
26	ऊपर से 16	मोहम्द	मोहम्मद
55	अन्तिम से 16	(डूंगरपुर)	(डूंगरगढ़)
69	अन्तिम से 15	याजस्थान	राजस्थान
88	अन्तिम से 10	सूचन	सूचना
118	ऊपर से 6	हांढ़ा	हाण्डा
141	अन्तिम से 16	सेनसस	सेन्सस
181	ऊपर से 13	हृ कतों	हरकतों
188	ऊपर से 19	क ना	करना
210	अन्तिम से 10	ने	के
	अन्तिम से 5	बढ़ोने	बढ़ाने
215	ऊपर से 9	पाकिस्नान	पाकिस्तान
216	अन्तिम से 11	में	मैं
220	अन्तिम से 10	गड़गड़	गड़बड़
222	अन्तिम से 5	ऐस	ऐसी
226	अन्तिम से 11	आपने	आपके
266	ऊपर से 11	जज्दी	जल्दी